खण्ड-111, अंक-4
गुरूवार, 17 आश्विन, शक संवत् 1874
(9 अक्टूबर, 1952 ई0)

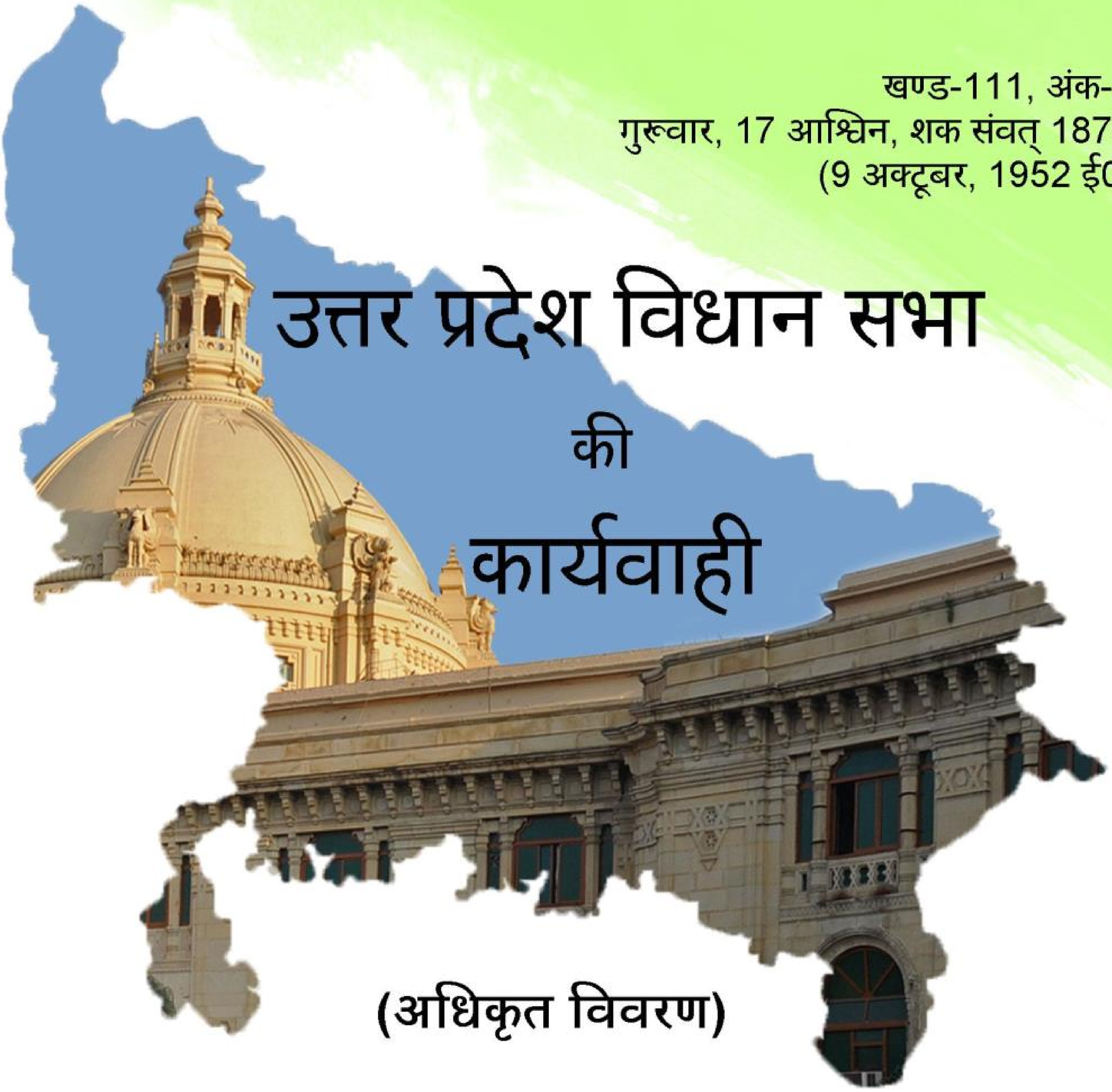

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 111 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ६ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५४)

अंसवान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केदार नाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाँडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाँडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पाँडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरन्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटा शंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारिकाप्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री

बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्ता, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूदआलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणन्जय सिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेंद्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
राम नारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री

रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराय कालम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भरनाथ पाँडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाँडेय, श्री
शिवराम सिंह, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिव स्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द्र, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सत्यानन्द, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगावार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम डाक्टर, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री

सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हर खयाल सिंह, श्री
हर गोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गुड़, खादी तथा तेल योजना को सफल बनाने के लिये सहायता

*१--श्री व्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को मालूम है कि योजना कमीशन (Planning Commission) ने गुड़, खादी, तेल आदि ग्रामीण उद्योग-धंधों को चालू रखने का सुझाव दिया है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में इस वर्ष क्या करने जा रही है?

उद्योग मन्त्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इन उद्योगों की उन्नति के लिये क्षेत्र है। इस साल सरकार निम्नलिखित कार्य करने जा रही है:--

खादी योजना के अन्तर्गत

१--ग्राम कत्तिनों की ट्रेनिंग,
२--बुनकरों की खादी बुनाई में ट्रेनिंग,
३--कत्तिनों की ट्रेनिंग के लिये चर्खा सरंजाम व रुई का प्रबन्ध,
४--अनुसंधान तथा प्रयोग,
५--सूत तथा खादी का उत्पादन,
६--पुरानी तथा नई खादी संस्थाओं की सहायता,

गुड़ उन्नति योजना के अन्तर्गत

गुड़ उन्नति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पूर्वी जिलों में ६ सेन्टर जारी रक्खे जायेंगे, जिनका कार्य निम्नलिखित होगा:--

१--बिना गन्ने के क्षेत्रफल को बढ़ाये, पुराने और बेकार कोल्हुओं को अच्छे और अधिक प्रतिशत रस देने वाले कोल्हुओं से बदल कर उत्पादन बढ़ाना,

२--ऐसी भट्ठियां बनाना जिनसे उत्पादन की कीमत में कमी हो, और गुड़ अच्छी किस्म का बने,

३--रस साफ करने वाली वस्तुओं को वितरित करना तथा उनकी विधियां किसानों को बतलाना,

४--ऐसे सुगम और वैज्ञानिक तरीकों को, जो ग्रामीण वातावरण के अनुकूल हों, व्यवहार में लाना,

५--भिन्न तरीकों से निर्यात बढ़ाना,

६--आधुनिक तरीकों से गुड़ की मिठाई आदि की विधियां बताना।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--क्या सरकार को मालूम है कि लाखों रुपये की खादी गांधी आश्रम और हरिजन गुरुकुल दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ तथा अन्य उत्पादन केन्द्रों में तैयार है, जो पड़ी हुई है?

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--खादी है, काफी तादाद में है। लेकिन कितनी कीमत की है, लाखों रुपये की है या कितने की है, मैं नहीं कह सकता।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार को मालूम है कि प्रान्त में लगभग ७ लाख कत्तिनें बेरोजगार हो गयी हैं बवजह इसके कि खादी की बिक्री नहीं हो रही है?

श्री हुकुम सिंह--७ लाख कत्तिनें बेकार हो गयी हैं, यह तादाद तो मैं नहीं कह सकता लेकिन काम में कुछ ढीलापन आ गया है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--क्या यह सत्य है कि सरकार के आदेश से गांधी आश्रम में करीब ढाई लाख रुपये की लाल तथा काली धारीदार खादी बनायी गयी और अब सरकार कह रही है कि वह एक लाख रुपये की खादी खरीदेगी?

श्री हुकुम सिंह--इसके लिये नोटिस चाहिये। मेरे पास इसके लिये कोई ऐसी सामग्री नहीं है जिससे मैं कोई माकूल जवाब दे सकूं।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र--क्या यह सही है कि उन ६ केंद्रों में, जिनका जिक्र इस उत्तर में किया गया है, प्रत्येक जिले के लिये केवल एक सुपरवाइजर तथा दो उनके सहायक ही रखने का निश्चय किया गया है?

श्री हुकुम सिंह--एक स्क्वाड के सुपुर्द एक जिला रखा गया है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--उस स्क्वाड की संख्या क्या होगी?

श्री हुकुम सिंह--उस स्क्वाड में वही आफिसर्स होंगे जिनका जिक्र अभी माननीय सदस्य ने किया।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--जो खादी बिना बिक्री हुए खादी केंद्रों में पड़ी है उसे गवर्नमेंट स्वयं खरीदने का कोई आयोजन करेगी?

श्री हुकुम सिंह--सरकार ने चार, पांच लाख रुपये की खादी खरीदने की योजना बजट में की है।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार प्रतिवर्ष सरकारी कार्यालयों के लिये कितना खादी खरीदती है?

श्री हुकुम सिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*२--**श्री ब्रजविहारी मिश्र**--क्या सरकार निश्चय कर चुकी है कि गुड़ योजना कुछ जिलों में इस वर्ष भी चालू रखी जायेगी? यदि हां, तो सरकार ने उस वर्ष के लिये क्या कार्यक्रम बनाया है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--(अ) जी हां।

(ब) इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष जो कार्य किया जावेगा उसका ब्यौरा ऊपर दिया जा चुका है।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार को मालूम है कि गवर्नमेंट द्वारा उत्साह किये बगैर ही अपने प्रदेश में इतना गुड़ पड़ा हुआ है कि उसकी खपत अपने प्रदेश में तथा अपने

देश के अन्दर भी नहीं हो रही है और उसको बाहर भेजने की कोशिश की जा रही है ?

श्री हुकुम सिंह--जी हां।

*३--श्री ब्रजबिहारी मिश्र--क्या सरकार को मालूम है कि गुड़ बनाने का समय बिल्कुल निकट आ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्नतिशील कोल्हू, कढ़ाव आदि तुरन्त किसानों में वितरण कराने की कोई योजना बना ली है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--(अ) जी हां।

(ब) सरकार ने कुटीर उद्योग विभाग से संचालक को कोल्हू व कढ़ाव तकावी पर देने के लिये आदेश दे दिये ह।

श्री रामदास आर्य--(जिला मुजफ्फरनगर) क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष जो कोल्हू किसानों को दिये जायेंगे उनके रेट नियुक्त कर दिये गये हैं या नहीं और अगर कर दिये गये हैं तो क्या ?

श्री हुकुम सिंह--आदेश दे दिये गये हैं। क्या रेट हैं यह मैं नहीं बता सकता।

श्री सत्यानन्द (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि खादी का काम करने वाली कितनी ऐसी संस्थायें हैं जिनको पिछले ८ या ९ महीनों से कोई भी सहायता नहीं दी गई है यद्यपि सहायता देने का वचन सरकार ने पिछले साल दिया था ?

श्री हुकुम सिंह--दोहरीघाट को दी गयी है। मैंने अभी हाल में उसे मंजूर किया है।

नगर उपभोक्ता सहकारी संघ मऊ, जिला आजमगढ़ के तीन कर्मचारियों की मुअत्तली

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊ (जिला आजमगढ़) नगर उपभोक्ता सहकारी संघ के जिन तीन अधिकारियों पर जिला राशनिंग विभाग द्वारा मुकद्दमा चलाया जा रहा है, उनकी मुअत्तली के लिये आदेश, जिलाधीश, आजमगढ़ ने मऊनगर उपभोक्ता सहकारी संघ के अधिकारियों को कब दिया था, और उस आदेश का संघ के अधिकारी ने कब पालन किया ?

सहकारिता उपमन्त्री (श्री मंगला प्रसाद)--जिलाधीश ने मुअत्तली का आदेश १९ जून सन् १९५२ ई० को दिया था तथा संघ ने २१ जून सन् १९५२ई० से उन कर्मचारियों को मुअत्तल किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि मुअत्तली का आदेश प्राप्त होने के बावजूद भी अधिकारीवर्ग उन कर्मचारियों से काम लेते रहे ?

श्री मंगला प्रसाद--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें

*५--श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सचिवालय की नियुक्ति तथा कंडीशन्स आफ सर्विस अधिनियम बन गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो कब तक बन जाने की आशा है ?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)--जी नहीं। सरकार इस मामले पर गौर कर रही है लेकिन यह ठीक तौर पर नहीं कहा जा सकता कि यह अधिनियम कब तक बनेगा।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय न्याय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद १८७ (३) के अनुसार गवर्नर महोदय ने अध्यक्ष महोदय से मिल कर कोई क़ानून बनाया है ?

श्री सैयद अली जहीर--इसका जवाब तो दे दिया गया है कि अभी नहीं बना है अधिनियम।

श्री भगवान सहाय--मेरे उस प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया। तो सवाल यह है कि जैसा भारतीय संविधान में दिया हुआ है कि जब तक अधिनियम न बने तब तक के लिये गवर्नर महोदय, अध्यक्ष से मिल कर रूल्स बनायेंगे, अनुच्छेद १८७ (३) के हिसाब से, तो क्या वह रूल्स अध्यक्ष महोदय से मिल कर गवर्नर महोदय ने बनाये हैं ?

अध्यक्ष--यह इससे उत्पन्न नहीं होता है। आपने तो अधिनियम के संबंध में सवाल किया था। अब आप रूल्स के संबंध में सवाल कर रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री भगवान सहाय--अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न....

अध्यक्ष--यह तो आप अध्यक्ष से पूछ सकते हैं कमरे में आकर। गवर्नमेन्ट से पूछने का यह सवाल नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के मुलाजिमों की नौकरी की शर्तें आजकल किस कानून के मुताबिक चलती हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--रूल्स इसके बने हुए हैं और उन रूल्स पर इस वक्त भी गौर हो रहा है। लेकिन पहले से जो इसके रूल्स बने हुये हैं उन पर अमलदरामद किया जा रहा है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रूल्स कब और किस सन् में लागू किये गये थे ?

श्री सैयद अली जहीर--यह रूल्स मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं यह नहीं बतला सकता कि कब रायज हुए। गालिबन १९३२ से चल रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नये रूल्स पर कब से काम शुरू हो जायगा ?

श्री हुकुम सिंह--जब बन जायेंगे।

श्री गेंदा सिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री सैयद अली जहीर--मैं कोई मुद्दत नहीं बतला सकता। लेकिन कोशिश यह है कि जल्दी से जल्दी बन जायं।

तारांकित प्रश्न

नैनीताल जिले के बन्धनपुरा क्षेत्र के शिल्पकारों को बसने के लिये भूमि

*१--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--क्या यह सही है कि जिला नैनीताल के चीना रेंज में (कुंज सड़क) बन्धनपुरा में भूमि हीन शिल्पकारों को एक बियाबान जंगलात के बीच भूमि आबाद करने को दी गयी है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)--चीना रेंज में कुंज सड़क के समीप भूमिहीन शिल्पकारों के लिये २२२ एकड़ भूमि का वन-विच्छेद किया गया है।

श्री खुशीराम--माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस २२२ एकड़ भूमि में कितनी काबिल है कितनी नाकाबिल है जो जंगली हिस्सा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो सब काबिल है। बड़ी अच्छी जमीन है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसमें कितने भूमिहीन शिल्पकार आबाद हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसमें २० घर अब तक आबाद हो चुके हैं।

*२--श्री खुशीराम--क्या यह सही है कि इस घनघोर जंगल में बड़े-बड़े पेड़ हैं जिन्हें काट-काट कर लोगों को खेती करनी पड़ रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जी हां, इस भूमि पर पेड़ हैं और जैसा कि वन भूमि को आबाद करने में होता है ये पेड़ तो काटना पड़ता ही है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार जिस जमीन पर पेड़ नहीं है जंगलात में उन्हें भी भूमिहीन किसानों को देगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--दर्जा एक के जो जंगल हैं उन्हीं में उन भूमिहीन शिल्पकारों को जमीन दी जा रही है ।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नई आबादी के ४-५ मील के अन्दर कोई आबादी नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--बिल्कुल ठीक है कोई आबादी नहीं है ।

श्री खुशीराम--क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे इस कालोनी की जगह को देखने के लिये वहां मई के शुरू में लैंड आफिसर साहब और डी० एस० ओ० साहब को मौका दिया गया ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--उसकी रिपोर्ट के अनुसार तो यह कालोनी दी गयी लेकिन उसकी तो एक कमेटी भी है जिसमें शिल्पकार सभा के सभापति भी हैं और सम्भवतः मेम्बर साहब ही उसके मेम्बर हैं ।

*३--श्री खुशीराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस घनघोर जंगल के बीच शेर, बाघ व अन्य जंगली जानवरों से खेती को बचाने के हेतु कोई प्रबन्ध बन्दूक या तार, बाड़ा, हाताबन्दी का सरकार की तरफ से अभी तक हुआ है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्योंकि यहां पर लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । ये लोग लकड़ी ही की घेर बाड़ बनाते हैं । बन्दूक के लाइसेन्स के लिये यदि यहां के लोग प्रार्थना करेंगे तो वह नियमानुसार दिया जा सकेगा ।

उत्तर प्रदेश की राजधानी

*४--श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है या इलाहाबाद ?

नियोजन उपमन्त्री (श्री फूल सिंह)--उत्तर प्रदेश की राजधानी विधितः अब भी इलाहाबाद है हालांकि व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये वस्तुतः राजधानी लखनऊ ही है ।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतायेगी कि "विधितः राजधानी" से उसकी क्या मुराद है ?

श्री फूलसिंह--कानूनी रूप से तो इलाहाबाद ही है लेकिन अमल में लखनऊ है ।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या मैं यह मुराद समझूं कि इस लेजिस्लेचर का कोई कानून है कि जो स्टेट्यूट बुक पर है जिसमें यह लिखा हुआ है कि इलाहाबाद राजधानी है ?

श्री फूलसिंह--कानून ऐसा कोई नहीं है।

श्री सुल्तान आलम खां---क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि इस इन्तजाम के जरिये से बाज बाज जो दफ्तर दे दिये गये हैं मसलन डाइरेक्टर आफ एजूकेशन का इससे गवर्नमेण्ट को कितना रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ता है बनिस्बत इसके कि एक जगह दफ्तर होता तो उसका खर्च करना पड़ता ?

श्री फूल सिंह--एसा सम्भव है लेकिन मकानात वगैरह की बड़ी दिक्कतें हैं एक जगह पर करने में । इसलिये फिलहाल ऐसा किया गया है ।

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)--क्या मैं दरयाफ्त कर सकता हूं कि गवर्नमेन्ट को क्या दिक्कत है लखनऊ को राजधानी बनाने में ?

श्री हुकुम सिंह--गवर्नमेन्ट को कोई दिक्कत नहीं है। लखनऊ भी बड़ा रौनकदार शहर है।

श्री सुलतान आलम खां--क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि दो दो गवर्नमेन्ट हाउसेज क्यों इलाहाबाद और लखनऊ में हैं इनमें से एक गवर्नमेण्ट हाउस रक्खा जाय तो इससे गवर्नमेन्ट के काम में क्या नुकसान पहुंच सकता है, या क्या हर्ज हो सकता है ?

श्री हुकुम सिंह--दोनों जगहें बहुत इम्पार्टेंट हैं और दोनों जगह गवर्नमेंट हाउस रहने की जरूरत है, क्योंकि अफसर लोग जाते हैं तो वहां ठहरने की सुविधा रहती है। जब गवर्नर महोदय जाते हैं तो उनके ठहरने की भी सुविधा रहती है। अगर इलाहाबाद का गवर्नमेन्ट हाउस तोड़ दिया जायगा तो सुल्तान आलम खां साहब की दिलशिकनी होगी और इलाहाबाद से जो ताल्लुक रखते हैं उनकी भी दिलशिकनी होगी।

*५--श्री सुल्तान आलम खां--इस प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में से कौन-कौन से दफ्तर लखनऊ में हैं और कौन-कौन से इलाहाबाद में हैं ?

श्री फूल सिंह--इन दोनों स्थानों में स्थित सरकारी कार्यालयों की सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३१७ पर)

राज्य में जूतों का व्यवसाय

*६--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत पांच वर्षों में जूते के उद्योग से सम्बन्धित प्रति वर्ष कितना--कितना कच्चा माल उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उत्तर प्रदेश से अधिकतर चमड़ा ही निर्यात किया जाता है, जिसकी तालिका नीचे दी है :

वर्ष	कच्चा चमड़ा	कमाया चमड़ा	खालें
	मन	मन	मन
१९४६-४७ ..	३,३३,०००	८९,०००	१,११,०००
१९४७-४८ ..	२,१९,०००	५९,०००	१,०२,०००
१९४८-४९ ..	२,३३,१४९	७६,४७२	१,०९,३७९
१९४९-५० ..	२,६६,४४३	६३,१०९	१,०६,२६६
१९५०-५१ ..	३,२४,५९१	८४,२७५	१,०५,५८६

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार को विदित है कि इतना अधिक कच्चा माल उत्तर प्रदेश से निर्यात हो जाने की वजह से जूते के कारीगरों को माल सस्ता तथा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता ?

श्री हुकुम सिंह--हो सकता है ।

श्री केशव गुप्त--जो चमड़ा प्रदेश से बाहर जाता है वह सरकार की अनुमति से जाता है या अपने आप ही व्यापारी लोग ले जाते हैं ?

श्री हुकुम सिंह--इसके लिये तो नोटिस चाहिये । इस वक्त मैं ठीक नहीं बता सकता ।

श्री केशव गुप्त--क्या सरकार यह देखने का प्रयत्न करती है कि हमारे प्रदेश से कच्चा चमड़ा जाने से पहले वह यह देख ले कि उत्तर प्रदेश की आवश्यकता कितनी है और उसको देख कर तब बाहर जाने दे ?

श्री हुकुम सिंह--कोई कंट्रोल तो इसपर है नहीं ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--क्या सरकार को यह मालूम है कि बहुत सा इस प्रान्त का कच्चा चमड़ा बरबाद हो जाता है ?

श्री हुकुम सिंह--हो भी जाता है ।

राजा वीरेन्द शाह--क्या सरकार को यह भी मालूम है कि जो कच्चा चमड़ा इस प्रान्त में बरबाद होता है वह जानवरों की खाल न उधेड़ने की वजह से होता है ?

श्री हुकुम सिंह--नहीं ।

श्री रामदास आर्य--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त के देहातों में जो कच्चा चमड़ा बरबाद हो रहा है उसको रोकने की क्या योजना बनायी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह--जो जूता बनाने का काम करते थे उन लोगों की रुचि अब उधर कम रह गयी है । वे लोग अगर सहायता करें तो हम लोग काम कर सकते हैं ।

*७--श्री पुत्तूलाल--क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जूते बनाने के व्यवसाय की हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है यदि हां, तो सरकार ने उसकी उन्नति के लिए क्या उपाय सोचा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, उसकी उन्नति के लिये सरकार यथाशक्ति प्रयत्न कर रही है । कारीगरों की समितियां बनाई जा रही ह जिनको ऋण तथा अनुदान देने का प्रबन्ध किया गया है। सरकार ने अगर आगरे में क्वालिटी मार्किंग योजना भी चालू कर दी है ।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि अब तक उत्तर प्रदेश में कारीगरों की कितनी समितियां बनीं और उनके लिये कितना रुपया ऋण तथा अनुदान दे कर खर्च किया गया ?

श्री हुकुम सिंह--शायद ८-९ समितियां बनीं । रुपये की तादाद इस वक्त ठीक नहीं बतायी जा सकती ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वह अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं या नहीं कि जूते के व्यवसाय के लिये जब तक मार्केटिंग की योजना नहीं की जायगी तब तक ठीक प्रकार से काम नहीं चल सकता ?

श्री हुकुम सिंह--अगर इस नतीजे पर न पहुंचते तो क्वालिटी मार्केटिंग सिस्टम जारी न करते ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या सरकार इस बात की ओर ध्यान देगी कि कोई ऐसा आदेश जारी करे कि छोटे छोटे गृह-उद्योग के द्वारा बनाये हुए जूतों का प्रयोग ही सरकार के यहां हुआ करे ?

श्री हुकुम सिंह--न सरकारी विभाग के लोग देहात का जूता पसन्द करते हैं और न माननीय सदस्य पसन्द करते हैं बड़ी दिक्कत है।

इटावा-महेवा विकास योजना

*८--श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा-महेवा विकास योजना को चालू किये कितना समय व्यतीत हुआ है ?

श्री फूल सिंह--इटावा-महेवा विकास योजना को चालू हुए अब लगभग ४ वर्ष हो रहे हैं।

श्री मिहरबान सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अधीन कुछ परती भूमि भी उपजाऊ बनायी गयी है और अगर बनायी गयी है तो कितनी ?

श्री फूल सिंह--भूमि उपजाऊ तो बनायी गयी है मगर उसके आंकड़े इस समय मेरे सामने नहीं हैं।

श्री सत्यानन्द--क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इटावा योजना में ग्राम-उद्योग और खादी का विकास भी शामिल है ?

श्री फूलसिंह--जी हां।

*९--श्री मिहरबान सिंह--क्या सरकार यह बतालाने की कृपा करेगी कि इस योजना में अभी तक कितना रुपया व्यय हुआ है और इस समय कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

श्री फूल सिंह--इस योजना पर अब तक कुल १४,४२,६३६ रुपया व्यय हुआ है और इसके तीन क्षेत्रों में इस समय गजटेड तथा नान-गजटेड पदों पर छोटे बड़े कुल १२७ कर्मचारी काम कर रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो खर्चा बताया गया है उसमें स्टाफ और इस्टैब्लिशमेंट की पे और टी० ए० कितना है ?

श्री फूल सिंह--इसके आंकड़े तो इस वक्त मैं नहीं दे सकता। अगर माननीय मेम्बर सवाल करेंगे तो मैं बता दूंगा।

*१०--श्री मिहरबान सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस योजना से कितने ग्रामों को लाभ पहुंच रहा है ?

श्री फूल सिंह--इस विकास योजना के ३ क्षेत्रों के अन्तर्गत लगभग २५० गांव हैं जिनको इससे पूर्णरुपेण लाभ पहुंच रहा है। परोक्षरूप में इस योजना से सम्पूर्ण इटावा जिले को लाभ पहुंच रहा है।

श्री मिहरबान सिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो २५० ग्रामों को पूर्णरूपेणा फायदा हुआ है उनकी पैदावार इस योजना के पहले कितनी थी उससे कितने प्रतिशत बढ़ गयी है ?

श्री फूल सिंह--इसका पूरा जवाब तो मैं नहीं दे सकता लेकिन यह निश्चय है कि पैदावार में बहुत लाभ लोगों को हुआ है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या सरकार का स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेण्ट इस बात के आंकड़े रखता है कि किसी स्थान पर योजना के पहले क्या पैदावार थी और उसके बाद क्या हुई ?

श्री फूल सिंह--स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट के अलावा सरकारी कर्मचारियों ने वहां पैदावार की पहले जांच की थी और अब भी जांच की है।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार यह बतलायेगी कि इस विकास योजना के अन्तर्गत कौन-कौन काम किये गये हैं जिनके द्वारा गांवों को लाभ पहुंचा है।

श्री फूल सिंह--मुख्यतः खेती, पशु-पालन, ग्रामोद्योग तथा शिक्षा सम्बन्धी काम किये गये हैं।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार यह बतालायेगी कि इस योजना के बाद जब से खेती का उत्पादन हुआ कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई ?

श्री फूल सिंह--काफी वृद्धि हुई है। अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो मैं बतला दूंगा।

*११-१२--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ)--[१३ अक्तूबर, १९५२ के लिये संख्या २५-२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गए।]

फर्रुखाबाद जिले के राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*१३--श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार कृपा करके फर्रुखाबाद जिले के उन राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों के नामों की सूची पतों सहित इस प्रकार से मेज पर रक्खेगी कि जिससे पता चल सके कि किस-किस व्यक्ति को कितनी और क्या सहायता अब तक मिली है ?

श्री फूल सिंह--मांगी हुई सूचना संलग्न सूचियों में देखी जा सकती है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३१९ पर)

श्री चिरंजीलाल पालीवाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है वह भी इस राजनीतिक पीड़ित होने के नाते लाभ उठा सकते हैं ?

श्री फूल सिंह--जी नहीं।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल--किसी परिवार में क्या दो व्यक्तियों को राजनीतिक पीड़ित होने की सुविधा दी जा सकती है ?

श्री फूल सिंह--इस सम्बन्ध में कोई उसूल लेड डाउन नहीं किया जा सकता जैसी आवश्यकता होती है वैसा किया जाता है।

*१४--श्री गुरुप्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २७१ पर]

तहसील चन्दौली (बनारस) में सहकारी उपभोक्ता समिति तथा सहकारी संघों में गबन

*१५--श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--क्या सरकार को पता है जिला बनारस में चन्दौली तहसील के अन्दर अधिकांश सहकारी उपभोक्ता समिति तथा सहकारी संघों में गबन है ?

श्री मंगला प्रसाद--जी नहीं।

जिला विकास संघ, बनारस के अन्तर्गत नर्सरी के लिए भूमि

*१६--श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिला विकास-संघ, बनारस के अन्दर नर्सरी के लिये जो रुपया दिया गया था उससे क्या क्या कार्य हुये ? क्या सरकार को ज्ञात है कि सका अधिकांश हिस्सा असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, बनारस ने अपने बंगले तथा आफिस की जमीन में खेती करने पर खर्च किया है ?

श्री मंगला प्रसाद--जिला विकास संघ, बनारस के अन्दर नर्सरी के लिये जो रुपया दिया गया था उससे निम्नलिखित कार्य हुये :--

१--नर्सरी के लिये भूमि ठीक करायी गयी।

२--सीड बेड तैयार किये गये।

३--पानी के निकास का मार्ग तैयार किया गया।

४--प्रथम १६ अमरूद तथा आम के पौधे लगाये गये और ४ औंस पपीते के बीज बोये गये। इसके बाद २०० आम तथा ३० कटहल के पौधे और लगाये गये।

५--नर्सरी भूमि के चारों और कांटेदार तार से फेंसिंग कराया गया।

६--१ जोड़ी बैलों के चारे तथा अन्य खाद्य सम्बन्धी वस्तुओं पर खर्च किया गया।

७--माली को वेतन दिया गया।

सहायक रजिस्ट्रार, बनारस ने अपने बंगले तथा आफिस की जमीन में खेती पर कुछ नहीं खर्च किया।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि नर्सरी के लिये भूमि कहां पर ठीक कराई गई ?

श्री मंगला प्रसाद--नर्सरी के लिये भूमि जहां रजिस्ट्रार का आफिस है उसके सामने पास पास ही की जमीन में ठीक कराई गई और जो जमीन ढूंढ़ी गई वह वहां के हार्टिकल्चर के इंसपेक्टर की राय से चुनी गई।

श्री बेचनराम गुप्त--क्या यह सही है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज को जिला विकास संघ ने २ हजार रुपया नर्सरी के लिये दिया था ?

श्री मंगला प्रसाद--२,००० तो गलत है उस से अधिक २,५०० रुपया इस काम के लिये दिया गया था और उनकी अर्जी पर दिया गया था।

श्री नेकराम शर्मा--क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिस बंगले में असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहते हैं वह उन का स्वयं का बंगला है या सरकारी ?

श्री मंगला प्रसाद--उसमें उनका आफिस भी है और उसी के एक हिस्से में वह रहते भी हैं।

श्री नेकराम शर्मा--किस बंगले में यह रुपया खर्च किया गया, क्या सरकार इस विषय में जांच करावेगी ?

श्री मंगला प्रसाद--बंगले का सवाल ही नहीं है जिस जमीन पर नर्सरी है उसी पर खर्च किया गया और जाँच कराने के बाद ही यह सूचना दी जा रही है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या सरकार बतलावेगी कि इस नर्सरी में तरकारियां लगाने का भी कुछ इंतजाम था ?

श्री मंगला प्रसाद--नहीं।

*१७--श्री बेचनराम गुप्त--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कितना रुपया इस सम्बन्ध में खर्च हुआ है और सरकार को कितना लाभ हुआ ?

श्री मंगला प्रसाद--इस नर्सरी पर कुल १,४०३ रु० २ आना ९ पाई खर्च हुआ। जलाभाव के कारण नर्सरी पूर्ण रूप से स्थापित न हो सकी, इसलिये इससे लाभ होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस नर्सरी में जो हानि हुई है उस का क्या कारण था ?

श्री मंगला प्रसाद---हानि का सवाल तो पैदा नहीं होता और न यह कहा गया है कि हानि हुई है।

अल्मोड़ा जिले में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अधीन कार्य

*१८--**श्री मदनमोहन उपाध्याय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अधीन अल्मोड़ा जिले में कौन-कौन से काम किस-किस क्षेत्र में होने की योजना है ?

श्री फूल सिंह--कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अधीन अल्मोड़ा जिले में बैजनाथ और गरूड़ क्षेत्र के २५६ गाँवों में कृषि, पशु-पालन, सिंचाई, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें तथा उद्योग की योजनाएं हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये नयी नियुक्तियाँ भी की जायेंगी ?

श्री फूल सिंह--जी हाँ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--इन नियुक्तियों को कौन करेगा ?

श्री फूल सिंह--सरकार।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय उपमंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न नंबर १८ के कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स गढ़वाल जिले में भी हैं अगर हैं तो कहाँ-कहाँ है ?

श्री फूल सिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में अमरीका द्वारा आर्थिक सहायता की वजह से अमरीकनों का रखना लाजिमी है ?

श्री फूल सिंह---जी नहीं।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि जिन-जिन जिलों में कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स कायम किये गये हैं वे किस आधार पर किये गये हैं ?

श्री फूल सिंह--ऐसे स्थानों को छांट लिया गया है जहाँ काम सबसे पहिले शुरू होना लाजिमी समझा गया ताकि उससे नफा उठाकर बाकी प्रान्त में काम शुरू किया जा सके।

*१९--**श्री मदनमोहन उपाध्याय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रोजेक्ट के अधीन प्रत्येक जिले के लिये रुपया अलग-अलग निर्धारित है ? यदि हाँ तो अल्मोड़े जिले के लिये कितना रुपया दिया हुआ है ?

श्री फूल सिंह--प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिये रुपया अलग-अलग निर्धारित है, न कि प्रत्येक जिले के लिए। अल्मोड़ा, गढ़वाल प्रोजेक्ट के लिये ६५ लाख निर्धारित है।

*२०--**श्री मदनमोहन उपाध्याय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अधीन जो काम सम्पादित करने की योजना है वह जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नियन्त्रण में किया जाता है या उसके लिये अलग से कोई आफिसर नियुक्त है ?

श्री फूल सिंह--कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अधीन जो काम सम्पादित करने की योजना है वह जिले में जिलाधीश के नियंत्रण में होगी। जिलाधीश की सहायता के लिए और अफसर नियुक्त किए जायंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या इन योजनाओं को देखने में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का भी हाथ होगा ?

श्री फूल सिंह--उनको देखने के लिये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी होगी और प्रोजेक्ट कमेटी भी होगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--जहाँ तक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का सवाल है उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का क्या काम होगा ?

श्री फूल सिंह--इसके संबंध में अभी एक नोटीफिकेशन हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को उनके ऊपर पूरी देखरेख की इजाजत होगी।

सुल्तानपुर जिले के अन्तर्गत बंधुआ और कुड़वार ग्रामों की औद्योगिक कार्यों में सहायता की आवश्यकता

*२१--**श्री रामबली मिश्र** (जिला सुल्तानपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि सुल्तानपुर जिले में बंधुआ ग्राम में ठठेरों की संख्या बहुत अधिक है और उनका एक मात्र धन्धा पीतल और फूल का बर्तन बनाना है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हाँ।

*२२--**श्री रामबली मिश्र**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गृह-उद्योग बढ़ाने के लिये स्थानीय नियोजन विभाग ने ग्राम बंधुआ में क्या कार्य किया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--स्थानीय नियोजन विभाग ने बंधुआ ग्राम में बहुत उपयोगी सहकारी समिति स्थापित की है जिसके सदस्य वहाँ के अनेक बर्तन बनाने वाले हैं। इस समिति से सदस्यों को आवश्यकतानुसार ऋण मिल जाता है। उक्त विभाग कोयले का भी प्रबन्ध करता है।

*२३--**श्री रामबली मिश्र**--क्या सरकार को ज्ञात है कि सुल्तानपुर जिले में कुड़वार ग्रामों में एक औद्योगिक विद्यालय है, किन्तु वहाँ पर कोई मुख्य शैक्षिक कार्य नहीं हो रहा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हाँ, कुड़वार में एक औद्योगिक विद्यालय है। वहाँ शैक्षिक कार्य भलीभांति हो रहा है। साथ ही साथ वहाँ उत्पादन कार्य भी हो रहा है।

श्री रामबली मिश्र--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुड़वार में क्या शिक्षण कार्य हो रहा है ?

श्री हुकुम सिंह--लुहारी का काम सिखाया जाता है, बढ़ई का काम सिखाया जाता है, ढलाई का काम सिखाया जाता है तथा धातु की चादरें बनाना सिखाया जाता है।

श्री रामबली मिश्र--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वहाँ विद्यार्थियों को क्या वजीफा दिया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह--इस वक्त मुझे ठीक तो याद नहीं है, लेकिन १५ रुपया के लगभग दिया जाता है।

श्री भगवानदीन मिश्र--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह शिक्षालय कितने अर्से से चल रहा है और उसमें से प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थी निकलते हैं ?

श्री हुकुम सिंह--अर्सा व संख्या तो इस वक्त बताना मुश्किल है। इस वक्त ९ विद्यार्थी प्रोडेक्शन में काम कर रहे हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस उद्योग विद्यालय के लिये विशेषज्ञ कहाँ से बुलाये गये जो इस समय वहां सिखाने का काम कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—सब अपने देश के ही हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुना—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त वहाँ पर जो ६ विद्यार्थी हैं तो वह इतनी तादाद पूरी है जितनी के लिये जगह है या विद्यार्थी कम हैं ?

श्री हुकुम सिंह—कम हैं, वहाँ के लोगों को और हमारे साथियों को चाहिये कि विद्यार्थी भेजें ताकि उनकी तादाद बढ़ें ।

*२४—२६—**श्री रामस्वरूप गुप्त** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)— [देखिये आगे पृष्ठ २७१ पर]।

बड़ौत (मेरठ) के आसपास गन्ने के सदुपयोग के साधन

*२७—**श्री श्रीचन्द** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बड़ौत (मेरठ) के आसपास अत्यधिक गन्ने की उपज है, इस गन्ने को पेरवाने के लिये क्या सरकार गन्ना फैक्टरी लगवाने की अनुकम्पा करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हाँ, ज्ञात है, गन्ना फैक्ट्री लगवाने का काम सरकार का नहीं है, यदि कोई पार्टी मेरठ में गन्ना फैक्ट्री लगाने को तैयार हो तो उसे केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

श्री बलवंत सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अगर कोई पार्टी मिल लगवाना चाहे तो इस देश की सरकार क्या सहायता करेगी ?

श्री हुकुम सिंह—उसका केस मैं गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को रिकमेंड कर दूंगा ।

*२८—**श्री श्रीचन्द**—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत गन्ना की फसल में गुड़ का भाव ३, ४ रुपये मन तक हो गया था ? यदि हाँ तो किन कारणों से?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी नहीं गत गन्ने की फसल में गुड़ का भाव ३, ४ रुपये मन तक नहीं हुआ था । इसके बाद का प्रश्न उठता ही नहीं ।

पश्चिमी जिलों में कनसवा से गन्ने को हानि

*२९—**श्री श्रीचन्द**—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पश्चिमी जिलों में गन्ने में कनसवा लगने से अत्यन्त हानि हो रही है ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हाँ, ज्ञात है। यह बीमारी पश्चिमी जिलों के मिल क्षेत्रों में लगभग १० से ३० प्रतिशत तक लगी है । इसका उन्मूलन करने के लिये गन्ना विकास विभाग पूरा प्रयत्न कर रहा है और बीमारी लगे हुये गन्नों को खेतों से उखड़वाया जा रहा है ।

श्री श्रीचन्द—यह बीमारी मिल क्षेत्रों में ही है । जहाँ गन्ना लिया जाता है या दूसरे अस्थानों में भी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मिल क्षेत्रों में भी है और जगह भी है जहाँ ३१२ का गन्ना होता है वहाँ भी शिकायत है ।

श्री रामदास—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कनसवा गन्ने में किस अवस्था में लगता है और सरकार ने इससे बचाने के लिये क्या प्रायोगिक कार्य किये हैं ?

श्री हुकुम सिंह—गन्ना उखड़वाने की कोशिश की है ।

राजनीतिक पीड़ितों की गजेटेड पद पर नियुक्ति

*३०—**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गत पाँच वर्ष में कितने राज नीतिक पीड़ित व्यक्ति गजटेड पद पर नियुक्ति किये गये हैं और किन-किन विभागों में ?

श्री फूल सिंह--गत पाँच वर्ष में सरकार ने ३७ राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को गजटेड पद पर नियुक्त किया है। हर विभाग का विवरण यह है :--

नियुक्ति विभाग	..	१४
पंचायतराज विभाग	..	२
प्लानिंग विभाग	..	३
सहायता तथा पुनर्वास विभाग		३
चिकित्सा विभाग	..	१
यातायात विभाग	..	४
जेल विभाग	..	५
सूचना विभाग	..	३
खाद्य तथा रसद विभाग	..	२

श्री गंगाप्रसाद सिंह--सरकार कृपया बतलायेगी कि ये ३७ आफिसर्स पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐस्प्रूव्ड हैं क्या ?

श्री फूल सिंह--इनमें से प्रायः टेम्पोरेरी हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुना--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कोई ऐसा आदेश सरकार ने किन्हीं विभाग को दिया था कि राजनीतिक पीड़ित अफसरों का तबादला उनके घरों से दूर न किया जाय ?

श्री फूल सिंह--तबादला करते समय छोटे पदाधिकारियों के लिये तो ध्यान रखा जाता है कि उनका तबादला उनके घरों से दूर न हो जाय लेकिन बाकी अफसरों के लिये यह खयाल नहीं किया जाता।

*३१--३२--श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़) --[१६ अक्तूबर, १९५२ ई० के लिए स्थगित किये गए।]

*३३--३५--श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--[देखिए आगे पृष्ठ २७१ व २७२ पर]।

*३६--श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)--[३० अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*३७--३८--श्री सत्य सिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)--[२३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

कोआपरेटिव सुपरवाइजरों की भर्ती

*३९--श्री मोहन सिंह शाक्य (जिला एटा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव सुपरवाइजरों की भर्ती हो रही है ?

श्री मंगला प्रसाद--इस समय कोआपरेटिव सुपरवाइजरों की भर्ती नहीं हो रही है।

*४०--श्री मोहन सिंह शाक्य--यदि हाँ, तो यह भर्ती किसके द्वारा होगी और कब तक ?

श्री मंगला प्रसाद--प्रश्न नहीं उठता है।

*४१--श्री मोहन सिंह शाक्य--कुल कितने सुपरवाइजर लिये जायंगे और उनकी योग्यता क्या होगी ?

श्री मंगला प्रसाद--प्रश्न नहीं उठता है।

भ्रष्टाचार रोकने की योजना

*४२--श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उसने मुख्य मन्त्री के भ्रष्टाचार रोकने के विचारों को जो उन्होंने पिछले दिनों बख्शी तालाब के एक उत्सव में प्रगट किये थे, कार्यरूप में परिणत करने के लिये कोई क्रियात्मक योजना बनाई या नहीं ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री फूल सिंह--जहाँ तक मुख्य मन्त्री जी को याद है उन्होंने बख्शी के तालाब में वास्तविक सेवा भाव से प्रेरित होकर सार्वजनिक कार्य करने पर जोर दिया था। उसके लिये सरकारी कर्मचारियों से देश के निर्माण में अपनी सारी शक्ति लगाने का अनुरोध किया था और उन्हें आशा है ऐसी उच्च भावनाओं से कार्य में उन्नति होगी।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री फूल सिंह--यह सवाल तो इससे उठता नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी कर्मचारियों में कर्तव्यपरायणता लाने के लिये किसी प्रचार की आवश्यकता है ?

श्री फूल सिंह--जी हाँ।

जौनपुर जिले के राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*४३--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन दी जाती है ?

श्री फूल सिंह--२९।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन २९ आदमियों को पेन्शनें दी जाती हैं उनके पृथक्-पृथक् क्या-क्या नाम हैं ?

अध्यक्ष--नामों की तो बहुत बड़ी लिस्ट होगी। उसको पढ़ने में समय लगेगा। माननीय सदस्य मन्त्री जी से स्वयं प्राप्त कर लें।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इन २९ व्यक्तियों में से कितनी महिलाएं हैं ? और उनके क्या नाम हैं ?

श्री फूल सिंह--यह छांटने में देर लगेगी। अगर आप अलग से सवाल करेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

कस्बा जसराना (मैनपुरी) के चूड़ी के उद्योग की सहायता की आवश्यकता

*४४--श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)--क्या यह सही है कि कस्बा जसराना, जिला मैनपुरी का बहुत पुराना काँच की चूड़ियों आदि का उद्योग दिन प्रति दिन अवनत होता चला जा रहा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--आजकल मन्दी के कारण व्यापार गिर गया है और जसराना का काँच की चूड़ियों का उद्योग भी इससे प्रभावित हुआ है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा--क्या सरकार यह अनुभव करती है कि जसराना के बने हुए सामान बाहर भेजने के लिये कोई साधन नहीं है ?

श्री हुकुम सिंह--ऐसा तो मेरा अनुभव नहीं है। उसकी खपत मैनपुरी में बहुत ज्यादा है।

*४५--श्री विष्णुदयाल वर्मा--क्या सरकार इस उद्योग के विकास के लिये कोई आर्थिक सहायता देने जा रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी नहीं।

शुगर कण्ट्रोल बोर्ड के नामांकित सदस्य

*४६--श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने शुगर कण्ट्रोल बोर्ड में जिन व्यक्तियों को नामजद किया है उनका किस राजनीतिक दल से सम्बन्ध है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--राज्य सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को शुगर कन्ट्रोल बोर्ड में नामजद किया है :--

(१) श्री आर० पी० नेवटिया, एम० पी०, नई दिल्ली मिल के प्रतिनिधि ।
(२) श्री अल्ताफ हुसैन, मुहल्ला शेखपुर, गोरखपुर । गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधि) ।
(३) श्री हर सहाय गुप्ता, एम० एल० सी०, बिलारी, मुरादाबाद ।
(४) श्री वीरेन्द्र वर्मा, एम० एल० ए०, मुजफ्फरनगर ।
(५) श्री काशीनाथ पांडेय बारूद खाना, लखनऊ, श्रमिकों के प्रतिनिधि ।

सर्वश्री नेवटिया, गुप्ता व बर्मा का कांग्रेस से सम्बन्ध है तथा श्री पान्डेय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के साधारण सचिव हैं ।

*४७--श्री गेंदा सिंह--क्या यह सच है कि सरकार का इरादा ईख की दर गिरा देने का है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--यह विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन है ।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय उद्योग मन्त्री जी को पता है कि अब गन्ने का भाव केन्द्रीय सरकार से तय कर दिया है और तय हो गया है तो वह क्या है ?

श्री हुकुम सिंह--पता है । गेट पर एक रुपये पाँच आने और गेट से बाहर रेलवे स्टेशन पर १ रुपये तीन आने ।

राज्य के कुछ स्थानों का पुनः नामकरण

*४८--श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या यह--

बनारस का काशी,
फैजाबाद का अयोध्या,
इलाहाबाद का प्रयाग,
सुल्तानपुर का लवकुशनगर,
देवरिया का कुशीनगर,

नामकरण करने पर विचार कर रही है । यदि हाँ, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--जी नहीं । जनता के सुभीते के विचार से सरकार इन नामों को बदलना, जो बहुत दिनों से प्रचलित है, आवश्यक नहीं समझती ।

*४९--श्री राम नरेश शुक्ल--[१७ अक्तूबर, १९५२ के लिये संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखीमपुर जिले के राजनीतिक शहीद श्री राजनारायण मिश्र के परिवार की सहायता

*५०--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र फांसी पाने वाले अगस्त, १९४२ क्रांति के लखीमपुर-खीरी जिला (ग्राम भीषमपुर) के शहीद, श्री राज नारायण मिश्र के परिवार को वह क्या सहायता कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--ग्राम भीषमपुर के शहीद श्री राजनारायण मिश्र की विधवा श्रीमती विद्या देवी को २५ रु० मासिक पेन्शन १ अगस्त, १९४८ से दी जा रही है । इसके अतिरिक्त उनको मार्च, १९४९ से १२ रु० ८ आ० महंगाई को मिलाकर ३७ रु० ८ आना मासिक सहायता मिल रही है ।

*५१--श्री झारखण्डे राय--अगर नहीं, तो क्या आगे सरकार उस शहीद परिवार को सहायता करने का विचार रखती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--प्रश्न नहीं उठता।

*५२--श्री झारखण्डे राय--कितनी सहायता और किस प्रकार की सहायता विचारधीन है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--प्रश्न नहीं उठता।

*५३-५४--श्री देवमूर्ति राम (जिला बनारस)--[२३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

श्री मोहम्मद वसीम, बैरिस्टर, लखनऊ, की निष्क्रान्त सम्पत्ति

*५५--श्री रामअनन्त पाण्डेय (जिला बलिया)--क्या यह सत्य है कि मोहम्मद वसीम, बैरिस्टर, लखनऊ वाले पाकिस्तान चले गये थे और लखनऊ के जिले में काफी जायदाद छोड़ गये थे ?

श्री हुकुम सिंह--जी हाँ।

*५६--श्री रामअनन्त पाण्डेय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनके चले जाने के बाद उनकी जायदाद इवैकुई प्रापर्टी घोषित की गई या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह--उनकी सम्पत्ति निष्क्रान्त सम्पत्ति घोषित कर दी गई।

*५७--श्री रामअनन्त पाण्डेय--क्या सरकार को मालूम है कि उनके लड़कों ने कस्टोडियन से उक्त जायदाद को बाँट लेने की आज्ञा माँगी और कस्टोडियन ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा भी दे दी ?

श्री हुकुम सिंह--कस्टोडियन से उक्त जायदाद को बाँट लेने की कोई आज्ञा नहीं माँगी गई और न कस्टोडियन ने ऐसा करने की आज्ञा ही दी है।

नौपड़ेवा ब्लाक, जौनपुर के कोआपरेटिव सुपरवाइजर की मुअत्तली के लिये आदेश

*५८--श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या विकास मन्त्री को ज्ञात है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य ने अपने जौनपुर के दौरे में नौपड़ेवा ब्लाक का निरीक्षण किया और विभाग को फर्जी रिपोर्ट देने के आधार पर किसी कोआपरेटिव सुपरवाइजर को मुअत्तल किये जाने का आदेश दिया है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मङ्गला प्रसाद--जी हाँ, सुपरवाइजर का स्पष्टीकरण लिया गया और उन्हें मुअत्तल किया गया तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही की गई।

अजीत सहकारी संघ (इटावा) के सुपरवाइजर की मुअत्तली

*५९--श्री मिहरबान सिंह--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के अजीतमल सहकारी संघ के किसी सुपरवाइजर को जालसाजी व गबन की कोशिश करने के चार्ज पर वहाँ के जिलाधीश महोदय ने मुअत्तल करने का आदेश दिया था ? यदि हाँ, तो क्या उस आज्ञा का पालन किया गया ?

श्री मङ्गला प्रसाद--जिलाधीश ने लिखा था कि सुपरवाइजर को मुअत्तल किया जाय। सुपरवाइजर के विरुद्ध गबन व जालसाजी की कोशिश करने का चार्ज नहीं था। जिलाधीश के सुझाव के अनुसार वे मुअत्तल कर दिये गये।

बस्ती नगर की हाउसिंग सोसाइटी

*६०—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती नगर में हाउसिंग सोसाइटी नाम की कोई संस्था सरकार द्वारा रजिस्टर्ड करायी गयी है ?

श्री मङ्गलाप्रसाद—बस्ती नगर में निम्नलिखित तीन हाउसिंग सोसाइटियाँ सहकारी ऐक्ट, १९१२, के अन्तर्गत अब तक रजिस्टर्ड हुई है :—

(१) बस्ती रिफ्यूजी हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड ।
(२) बार एसोसियेशन हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, बस्ती ।
(३) कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, बस्ती ।

*६१—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाउसिंग सोसाइटी, बस्ती, का हिसाब-किताब रजिस्टर्ड संस्था होने के नाते कभी जाँचा गया है ? क्या सरकार इस वर्ष जाँच करायेगी ?

श्री मङ्गलाप्रसाद—सोसाइटी नं० २ व ३ का हिसाब प्रति वर्ष जाँचा गया है और इस वर्ष भी जाँचा जायेगा ।

सोसाइटी नं० १ में अभी तक कार्यारम्भ नहीं किया है । अतएव उसके हिसाब की जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

टाउन एरिया अमिला (आजमगढ़) तथा सहकारी ग्राम समिति अमिला बाजार की ओर से शिकायती पत्र

*६२—श्री झारखण्डे राय—क्या सरकार को यह मालूम है कि टाउन एरिया अमिला, (आजमगढ़) के निवासियों तथा सहकारी ग्राम समिति के अमिला बाजार समिति के रजिस्टर्ड सदस्यों की ओर से एक शिकायती पत्र सरपञ्च सहकारी ग्राम समिति अमिला बाजार समिति के नाम दिया गया है और उसकी नकल आजमगढ़ जिलाधीश और आजमगढ़ कोआपरेटिव अफसर को २८ मार्च, १९५२, को रजिस्ट्री के जरिये भेजी गयी है तथा उसी की नकल रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, लखनऊ को ७ जुलाई, १९५२, को रजिस्ट्री के जरिये भेजी गयी है ?

श्री मङ्गलाप्रसाद—जिला सहकारी अफसर को उस शिकायती पत्र की एक प्रतिलिपि जो कि टाउन एरिया अमिला के निवासियों ने तथा सहकारी ग्राम समिति, अमिला, के सदस्यों ने सरपंच सहकारी ग्राम समिति, अमिला, के नाम दी थी, अप्रैल में प्राप्त हुई । एक प्रतिलिपि जिलाधीश को मिली थी । यह विदित नहीं कि यह शिकायती पत्र सरपंच सहकारी ग्राम समिति, अमिला बाजार को मिला या नहीं । रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज, लखनऊ, को उसकी कोई प्रतिलिपि नहीं मिली ।

*६३—श्री झारखण्डे राय—क्या सरकार यह बतायेगी कि सरपंच और जिला अधिकारियों ने अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मङ्गलाप्रसाद—उक्त शिकायती पत्र में लगाये गए आरोपों की जांच जिला सहकारी अफसर ने की थी जिसके फलस्वरूप ज्ञात हुआ था कि सहकारी संघ, अमिला बाजार, पर लगाए गये आरोप निराधार हैं । इस संघ में १८ ग्राम समितियां सम्मिलित हैं । अमिला बाजार के सदस्यों के अतिरिक्त और किसी समिति के सदस्यों ने कोई शिकायत नहीं की ।

बाराखोली रेंज चोरगत्था, तराई भाबर, में वृक्षों की अनुचित कटान

*६४—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बाराखोली रेंज, चोरगत्था, तराई भाबर फारेस्ट डिवीजन, में ३०० पेड़ साल व १०० पेड़ शीशम के नाजायज कटान के बारे में कोई शिकायत सरकार के पास आयी थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां ।

*६५--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह तत्सम्बन्धी S. F. O. तराई-भाबर की रिपोर्ट के अनुसार या स्वयं इस संबंध म क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--स्पेशल फारेस्ट अफिसर द्वारा छानबीन की गई। अपराधी जो पकड़े गए उनसे कानून के अनुसार सुआविज़ा लिया गया। जिन कर्मचारियों ने नाजायज कटान को पकड़ने में सुस्ती या लापरवाही की उन पर उचित कार्यवाही की जा रही है।

गोरखपुर जिले में ग्रामीण सड़क विकास योजना के अन्तर्गत कार्य

*६६--श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--गोरखपुर जिले में ग्रामीण सड़क विकास योजना के अन्तर्गत १९४९-५०, १९५०-५१ और १९५१-५२ ई० में कौन-कौन सी कच्ची सड़कें ली गयी थीं और उन पर क्या क्या काम हुआ ? क्या फरेंदा से धानी जाने वाली सड़क का भी निर्माण कार्य सरकार ने अपने हाथ में लिया था ? यदि हां तो उस पर क्या काम हुआ और अब क्या बाकी है ?

श्री फूल सिंह--सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

जी नहीं।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२३ पर)

*६७--श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु उक्त प्रश्न में निर्दिशित वर्षों में कितनी निधि दी गयी थी और वह किन-किन सड़कों पर व्यय की गयी ?

श्री फूल सिंह--४२,३४९ रु० १९४९--५० ई० में सरकार ने डेवलपमेंट कौंसिल को दिया और उसके बाद कुछ नहीं दिया। यह नहीं बतलाया जा सकता कि सरकारी अनुदान में से कौन कौन सी सड़क पर खर्च किया गया क्योंकि कौंसिल, केन यूनियन और मिलों से प्राप्त सामूहिक धन राशि से सड़क का काम किया जाता है।

*६८--श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा भी ग्रामीण सड़कों के विकास हेतु कोई अनुदान मिला था ? यदि हां, तो वह अनुदान कितना है और वह किन किन जिलों में व्यय किया गया ?

श्री फूल सिंह--जी हां, १ लाख रुपया और वह दस जिलों में खर्च किया जायेगा। इसके सम्बन्ध में योजना विचाराधीन है।

*६९-७१--श्री उमाशंकर तिवारी (जिला बनारस)--[७ नवम्बर, १९५२, के लिए स्थगित किये गए।]

*७२-७४--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--[१७ अक्तूबर, १९५२, के लिए संख्या ७६--७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गए।]

गाजीपुर जिले की प्लानिंग कमेटी के सदस्य

*७५--श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि गाजीपुर जिले की प्लानिंग कमेटी के कौन-कौन मेम्बरान हैं ?

श्री फूल सिंह--प्लानिंग कमेटी, गाजीपुर, के वर्तमान मेम्बरों की सूची मेज पर रख दी है किन्तु अब जिला प्लानिंग कमेटियों का पुनस्संगठन हो रहा है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२६ पर)

नियोजन समिति का संगठन

*७६--श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला प्लानिंग कमेटी का संगठन क्या है ? क्या इस संबंध में कोई आदेश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री फूल सिंह--जिला प्लानिंग कमेटी का पुनस्संगठन हाल ही में हुआ है। इस संबंध में जो आदेश जारी हुए हैं उसकी एक प्रतिलिपि मेज पर रख दी गई है और उससे संगठन क्या है, ज्ञात हो जाएगा।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३२७ पर)

*७७-७८--श्री तेज बहादुर (जिला आजमगढ़)--[१६ अक्तूबर, १९५२, के लिए स्थगित किये गए।]

चीनी मिलों द्वारा किसानों से खरीदा गया गन्ना

*७९--श्री सुन्दर लाल (जिला बरेली)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के शुगर फैक्टरीज द्वारा गत वर्ष कुल कितने रुपये का गन्ना किसानों से खरीदा गया ?

श्री हुकुम सिंह--गत वर्ष (१९५१--५२ सीजन में) उत्तर प्रदेश की सभी मिलों ने कुल ४० करोड़ ९३ लाख १४ हजार रुपये का गन्ना खरीदा। इसके अतिरिक्त पूर्वी पंजाब में स्थित अब्दुल्लापुर की चीनी मिल ने इस प्रदेश से ३५ लाख ३७ हजार रुपये का गन्ना खरीदा।

जिला बुलन्दशहर में नहर गंग पर कुछ वृक्षों का नीलाम

*८०--श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में मील नं० १३६, फर्लांग नं० ५, में नहर गंग पर चार शीशम के पेड़ नीलाम हुये हैं ? यदि हां, तो कितने में और किसको ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--१९५२ में कोई शीशम के पेड़ नहीं बेचे गए हैं।

*८१--श्री धर्म सिंह--क्या पेड़ों को नीलाम करने से पूर्व उचित अधिकारियों ने कोई कार्यवाही विज्ञप्ति सम्बन्धी (मनादी) कराई थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--यह प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जिले में चौमुही बीज गोदाम के इंचार्ज पर गबन का मुकद्दमा

*८२--श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा में चौमुही बीज गोदाम के इन्चार्ज पर कई हजार रुपये के गबन का केस चल रहा है ?

श्री मंगला प्रसाद--जी हां।

*८३--श्री रामहेत सिंह--यदि हां, तो क्या इससे सम्बन्धित और भी कर्मचारी उसमें शामिल हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--जी नहीं।

आगरा जिले में यमुना और चम्बल की खादर भूमि

*८४--श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)--क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में जुमना और चम्बल नदी के खादरों (Reveries) में कितनी भूमि घिरी हुई है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--७८,६०४ एकड़।

*८५--श्री रमेश वर्मा--क्या इस भूमि में जंगलात लगाने की कोई योजना सरकार के सामने प्रस्तुत है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--जमुना के बीहड़ों में जो हिस्सा वन विभाग के अधीन है उसमें जंगल लगाने की वन विभाग ने योजना तैयार की है।

*८६--श्री रमेश वर्मा--इस योजना को कार्यरूप में परिणत करने पर उसकी लगान और संभावित लाभ क्या होगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--लागत का अनुमान लगभग ३१,००० रुपये है। संभावित लाभ का अनुमान अभी नहीं किया जा सकता। इस समय आमदनी १७,००० रुपये वार्षिक है।

* * *

राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*१४--श्री गुरुप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में राजनीतिक पीड़ितों को जो पेंशनें दी जाती हैं उसमें कुल कितना धन प्रति वर्ष व्यय होता है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--३१ मार्च, १९५२, तक कुल ९३९ राजनीतिक पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को २३,४९० रु० प्रतिमास पेंशन, महंगाई भत्ते के साथ। सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। इस हिसाब से १९५१--५२ वर्ष में कुल व्यय २,७०,२३७ रु० होना चाहिये और इस मद के लिये १९५१--५२ के बजट में कुल २,७५,००० रु० की व्यवस्था की गई।

१९५२--५३ बजट वर्ष के लिये ३,००,००० रु० की व्यवस्था बजट में इस मद पर की गई है और अनुमान है कि इसी के लगभग खर्चा होगा।

* * *

कानपुर जिले में सामूहिक जुर्माना

*२४--श्री रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिला में सामूहिक जुर्माना की कितनी-कितनी रकम किन-किन ग्राम सभाओं को किस-किस कार्य के लिये अभी तक दी जा चुकी है और कितनी रकम अभी देना बाकी है ?

श्री मंगला प्रसाद--सामूहिक जुर्माने की कोई भी रकम ग्राम सभाओं को अभी तक नहीं दी गई है।

हरे वृक्ष काटने के विरुद्ध कानपुर जिले में सरकारी आदेश

*२५--श्री रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)--क्या सरकार उस आदेश की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी जो हरे पेड़ काटने के खिलाफ कानपुर जिलाधीश ने सन् १९५०--५१ में प्रचारित की थी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--एक प्रति मेज पर रखी है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३३० पर)

*२६--श्री रामस्वरूप गुप्त (अनुपस्थित)--इस आदेश का उल्लंघन करने वाले कितने लोगों पर आज तक मुकद्दमे चलाये गये या उनको दंड दिया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--कोई मुकद्दमे नहीं चलाये गए।

* * *

शरणार्थियों के पुनर्वासन की समस्या

*३३--श्री तेजा सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अब तक कितने शरणार्थी प्रान्त में गैरआबाद हैं ?

श्री हुकुम सिंह--लगभग ११,७५० निबन्धित परिवार जिसमें ६,७०० परिवार पाकिस्तान के नागरिक क्षेत्रों के हैं तथा ५,०५० परिवार ग्रामीण क्षेत्रों के हैं।

*३४--श्री तेजा सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार इन गैरआबाद लोगों को बसाने की कोई योजना रखती है, और क्या ?

श्री हुकुम सिंह--हां। नागरिक क्षेत्रों से आये हुए परिवारों में से ४,००० परिवारों को नौकरियों में और यदि भारत सरकार ऋण के रूप में प्रदेश सरकार को सहायता दे तो २,५०० परिवारों को व्यापार और २०० परिवारों को उद्योगों में बसाने की योजना है।

इसी शर्त पर ग्रामीण क्षेत्रों से आये हुए परिवारों में से ३,०५० परिवारों को खेती में; १,००० परिवारों को छोटे-छोटे व्यापारों अथवा व्यवसायों में ग्रामीण क्षेत्रों में बसाने की योजना है। यह अनुमान है कि शेष १,००० परिवार खेतिहर मजदूरों के रूप में बस जायेंगे।

*३५---श्री तेजा सिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार शरणार्थियों की समस्या हल करने के लिये सुझाव देने वाली गैर सरकारी कमेटी बनाने को तैयार है?

श्री हुकुम सिंह---नहीं। क्योंकि ऐसी कमेटी की अब कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। जिलों में ऋण परामर्श दात्री समितियां हैं ही जिनमें अधिकतर गैर सरकारी सदस्य हैं।

विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, ६ अक्तूबर को मैंने आपकी सेवा में एक बीच आफ प्रिविलेज के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र दिया था। उसमें मैंने जिक्र किया था कि २० सितम्बर को माननीय शिक्षा मंत्री ने चैरिटेबिल इंडाउमेंट्स संशोधक बिल पर वाद-विवाद के उत्तर के सिलसिले में बोलते हुए मेरे ऊपर एक आरोप लगाया था। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उस विषय में क्या निर्णय किया है?

अध्यक्ष---उसका जवाब आपको मिल जायगा एक रोज में। मैं उसकी जांच करने के बाद जवाब दूंगा।

इटावा म्युनिसिपल बोर्ड की कुछ कार्यवाहियों के विरुद्ध श्री अर्जुन सिंह के अनशन के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव इटावा के संबंध में है। म्युनिसिपल बोर्ड की कुछ कार्यवाहियों के खिलाफ श्री अर्जुन सिंह जी ने वहां पर अनशन किया हुआ है। यह म्युनिसिपैलिटी से संबंधित प्रश्न है। सरकार से संबंधित प्रश्न नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता कि इस सदन में यह प्रस्ताव लाया जाय। दूसरे अत्यावश्यक भी नहीं मालूम होता इन कारणों से मैं इसको इजाजत नहीं देता हूं।

उत्तर प्रदेशीय संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के एक रिक्त स्थान के लिये विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष निश्चित करें उसके अनुसार, उत्तर प्रदेशीय संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के एक रिक्त स्थान के लिए विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष निश्चित करे उसके अनुसार, उत्तर प्रदेशीय संग्रहालय परामर्शदात्री समिति के एक रिक्त स्थान के लिए विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जौनसार बावर भौमिक अधिकार सुरक्षा तथा भौमिक अभिलेख विधेयक, १९५२

अध्यक्ष---अब तीसरे नम्बर पर जो विधेयक है उसकी कापियां नहीं आयी हैं, न बंटी हैं। इसलिए यह तो पेश नहीं हो सकेगा।

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)---दोपहर के बाद पेश करने की इजाजत दे दी जाय। दो घंटे में इसकी कापियां आ जायंगी।

अध्यक्ष---जब कापियां बट जायंगी तो उसके बाद माननीय मंत्री जी इजाजत ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५२

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--मैं उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३३१ पर)

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी सदन को बता देंगे कि माननीय राज्यपाल की अनुमति इस पर आ चुकी है ।

श्री चरण सिंह--जी, आ चुकी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--नियमों के अनुसार, अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर इंचार्ज ही बिल पेश कर सकता है । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वही इस बिल के इंचार्ज हैं ।

श्री चरण सिंह--मैं समझता हूं कि कैबिनेट का हर मेम्बर हर बिल का इंचार्ज है । आज माननीय वित्त मंत्री जी काउंसिल में है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--नियम ९५ में है--

"The member in charge...may make one of the following motions."

[भारसाधक सदस्य निम्नलिखित प्रस्तावों में कोई एक प्रस्तुत कर सकता है.....]

मेम्बर इंचार्ज तो माननीय वित्त मंत्री हैं ।

अध्यक्ष--'मेम्बर' की परिभाषा माननीय सदस्य देख लें--

"Member in charge of the Bill' means, in the case of a Governmen Bill any Minister,....."

["विधेयक भारसाधक सदस्य" का तात्पर्य सरकारी विधेयक के संबंध में किसी मंत्री से है....."]

तो "एनी मेम्बर इंचार्ज" से मतलब किसी भी मंत्री से हो सकता है जो उस बिल को पेश करे । इसलिये वह इसको पेश कर सकते हैं ।

मन्त्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समितियों के निर्वाचन, संघटन तथा कार्यविधि के नियमों के सम्बन्ध में संकल्प

अध्यक्ष--अब माननीय न्याय मंत्री के संकल्प पर विचार जारी होगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय न्याय मंत्री जी ने हमारे सामने स्थायी समितियों के निर्वाचन, संगठन तथा कार्य-विधि के नियमों को स्वीकार करने के लिये संकल्प रखा है वह सराहनीय है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटियां, स्थायी समितियां, किसी भी सदन के द्वारा जो बनाई जाती हैं वह सदन की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलाने और नियंत्रण करने के लिये सहायक होती हैं । तो जहां तक स्टैंडिंग कमेटीज को बनाने का सवाल है और नियंत्रित करने का सवाल है, वहां पर तो यह प्रस्ताव बहुत ही उचित है, लेकिन इस प्रस्ताव में अगर कोई ऐसी बात होती जिसके द्वारा स्थायी समिति के नियमों को हमारी धारा सभा के नियमों में या विधान परिषद् के नियमों में शामिल कर लिया जाता तो बहुत ही उपयुक्त होता । इससे इस संकल्प की भावना को स्थायित्व प्राप्त हो जाता और जबकि नियम ये अलग छपेंगे और अलग पास होंगे यह आवश्यक था कि रूल्स आफ प्रोसीजर के जो नियम हमारी विधान सभा के हैं उन्हीं में स्थायी समिति के नियम शामिल कर लिये जाते । मेरे पास इस समय और भी प्रदेशों के रूल्स मौजूद हैं जिनमें इस बात की आज्ञा दी गयी है । मध्य भारत की लेजिस्लेटिव

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

असेम्बली में रूल्स आफ प्रोसीजर के नियम १४४ में यह स्पष्ट कर दिया गया है जो कुछ भी आज न्याय मंत्री एक नये प्रस्ताव के द्वारा ला रहे हैं। वह इस प्रकार है --

"When on the motion of the Government or otherwise the Assembly agrees to choose its representatives for any Standing or other Committee set up or proposed to be set up by Government or otherwise, the election of such representatives shall be made from amongst the members of Legislative Assembly..."

[जब सरकार के प्रस्ताव पर अथवा अन्यथा सभा किसी स्थायी अथवा अन्य समिति के लिए, जो सरकार द्वारा अथवा अन्य प्रकार से निर्मित की गई हो या निर्मित किये जाने के लिए प्रस्तावित की गई हो, प्रतिनिधि चुनने के लिए सहमत हो जाय तो ऐसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों में से होगा.....]

और इसके बाद १४४ और १४५ जितने नियम हैं इसी स्टैंडिंग कमेटी के विधान के बारे में है। इसी प्रकार बम्बई के लेजिस्लेचर के जो नियम हैं उनमें भी स्टैंडिंग कमेटी के बारे में एक बहुत अच्छा प्राविजन है जो कि इस संकल्प से भी बहुत आगे बढ़ जाता है। वह नियम ११० इस प्रकार है--

"After giving ten days' notice any member may, with the consent of the Minister incharge of the department to which the matter relates move that any matter of public importance be referred for consideration and report to a Committee."

[दस दिनों की पूर्व सूचना देने के उपरान्त कोई भी सदस्य, विभाग के भारसाधक मंत्री की सम्मति से जिससे उस विषय का संबंध हो, प्रस्ताव कर सकता है कि सार्वजनिक महत्व का विषय समिति के विचार तथा प्रतिवेदन के लिए निर्दिष्ट किया जाय।]

तो जबकि हमारे माननीय न्याय मंत्री जी ने अपनी नत्थी जो इस प्रस्ताव में रखी है उसमें उन्होंने बहुत सीमित कर दिया है इसको, लेकिन बम्बई में "इन मैटर आफ पब्लिक इंपार्टेंस" यह स्टैंडिंग कमेटी के सामने या किसी भी कमेटी के सामने भेजा जा सकता है। यदि नत्थी 'ख' को पढ़ें तो माननीय सदस्य देखेंगे कि नियम ४ के प्रतिबन्ध २ के उपखंड (२) में जो कुछ दिया हुआ है वह हमारी भावनाओं के लिये इतना घातक है, इसकी बहस होना बहुत जरूरी है। वह तो संकल्प की भावना पर भी कुठाराघात करता है। उसमें लिखा है कि, "ऐसे सब विषय जिनको सम्बन्धित मंत्री जनहित के विचार से समिति के सामने प्रस्तुत करना उचित न समझें।" तो सरकार इस प्रकार से "पब्लिक इंटेरेस्ट" के नाम पर कोई भी मंत्री कोई भी विषय स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाने से रोक सकते हैं।

तो मैं बम्बई के नियमों और यहां के नियमों की तुलना कर रहा था। वहां तो "इन मैटर आफ पब्लिक इम्पार्टेंस" बिना किसी विवाद के स्टैंडिंग कमेटी को कोई चीज भेजी जा सकती है लेकिन हम जो संकल्प कर रहे हैं उसमें इस प्राविजन के द्वारा जो हम अधिकार दे रहे हैं वह भी बहुत कुछ कट जाते हैं।

यह एक सिद्धांत की बात है। मुझे आशा है कि माननीय न्याय मंत्री जी इस नियम ४ का जो उपखंड (२) है उसको जन-हित के विचार से निकाल देंगे। कांस्टिटुएंट असेम्बली के जो नियम थे उनमें भी यह नियम शामिल था कि कोई भी मैटर जो हाउस आवश्यक समझे स्टैंडिंग कमेटी के सामने जा सकता था। उसमें कोई लम्बी-चौड़ी लिस्ट नहीं थी कि इस तरह से कोई खास विषय हो। मैं समझता हूं कि इन सब सिद्धांतों के अनुसार इस संकल्प का पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है।

एक और इसमें सिद्धांत की बात आती है। जो नत्थी का नियम ६ है उसमें यह चीज हमें नजर आती है। बैठक का कार्यक्रम सचिव तैयार करेगा और उसे वह ऐसे स्मृति-

पत्र के साथ परिचालित करेगा जिसमें वह स्पष्टतया बताया जायगा कि प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही किस प्रकार की है और वह ऐसे पत्रों की प्रतियां भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिन्हें सम्बन्धित मन्त्री प्रस्तुत करने का आदेश दें। सदस्यगण प्रत्येक बैठक के समाप्त होने पर उक्त पत्र सचिव को लौटा देंगे। अब हम, श्रीमन्, जरा इसके लिये सोचें कि उसी मीटिंग में हमको तमाम स्मृति-पत्र स्टैंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी दें और उसी मीटिंग में विचार करके हम उनको वापस कर दें। यह कैसे संभव हो सकता है चाहे कितने ही योग्य माननीय सदस्य क्यों न हों कि उसी मीटिंग में सारे के सारे स्मृति-पत्र देख लें, उन पर विचार प्रदर्शित कर दें और फिर उनको वापस कर दें? यह आवश्यक है कि यदि सब स्मृति-पत्र उसी मीटिंग में वापस होने हैं तो उनपर अपने विचारों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिये कम से कम एक हफ्ता पहले स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर्स को सब कागज दे देने चाहिये। जब ऐसा किया जायगा तभी वे अपने विचार ठीक प्रकार से सरकार के सामने रख सकेंगे और जो सहूलियत हमको इस प्रस्ताव के द्वारा दी जा रही है उसका पूरा-पूरा उपयोग हो सकेगा।

इसके साथ ही साथ एक और सिद्धांत की बात है। नियम ४ के उपखंड (क) में लिखा है कि ऐसे सब अ-सरकारी विधेयक जो विधान मंडल में प्रस्तुत किये जायं। इसमें जो प्राइवेट मेम्बर्स बिल हैं वे तो आ गये हैं लेकिन प्राइवेट मेम्बर्स रेजोल्यूशन का कोई जिक्र नहीं है। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से कभी-कभी शुक्रवार के दिन हम लोगों को प्राइवेट रेजोल्यूशन पेश करने का अवसर मिलता है लेकिन बैलट के द्वारा केवल चार प्रस्ताव लिये जाते हैं। जब पहली बार यहां प्राइवेट मेम्बर्स रेजोल्यशन का बैलट हुआ तो ७४ प्रस्ताव आपके सचिवालय में पहुंचे थे। अगर स्टैंडिंग कमेटी इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार कर ले तो उससे यह बात होगी कि अगर उन ७४ प्रस्तावों में कोई महत्वपूर्ण प्रस्ताव होगा, जिससे सरकार लाभ उठा सकेगी, तो उसके ऊपर विचार हो जायगा। आज क्या होता है? तमाम माननीय सदस्य अपने अपने रेजोल्यूशन्स देते हैं परन्तु किन्हीं का बैलट में रेजोल्यूशन आ जाता है और किन्हीं का नहीं आता है। बहुत से ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं और जिन पर विचार होने से सरकार लाभ उठा सकती है परन्तु वे बैलट में नहीं आ पाते हैं। अगर इसमें हम यह नियम रख देंगे कि जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं उनका कोई भी प्रस्ताव, जो वे विचारार्थ देते हैं, उस पर स्टैंडिंग कमेटी विचार कर सकेगी, तो जो बैलट का झगड़ा है और जो बैलट की वजह से प्रस्ताव नहीं आ पाते हैं वह कमी दूर हो जायगी। अच्छा सुझाव ले करके जो माननीय सदस्य प्रस्ताव रखेंगे उसपर विचार हो सकेगा और सरकार उसका लाभ उठा सकेगी। यह बहुत ही आवश्यक है। मैं तो यह समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों के अच्छे २ प्रस्ताव थे परन्तु वे बैलट में नहीं आ सके और उनका हम लाभ नहीं उठा सके। इसलिये नियम में इसका आना आवश्यक है। विरोधी दल के माननीय नेता ने बहुत से प्रस्ताव दिये थे जिनसे हम फायदा उठा सकते थे, खेतिहर मजदूरों के बारे में और दूसरे बहुत से प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने दिये थे लेकिन वे बैलट में नहीं आ सके। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इन सभी सुझावों को ध्यान में रखेंगे और कम से कम अपनी ओर से एक ऐसा प्रस्ताव ले आयेंगे जिसके अनुसार जो संकल्प हम स्वीकार करने जा रहे हैं वह विधान सभा के रूल्स आफ प्रोसीजर में शामिल हो जायगा।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इन नियमों के बारे में माननीय नारायण दत्त जी ने काफ़ी प्रकाश डाल दिया है पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नियम ४ के खंड (२) (१) की ओर दिलाना चाहता हूं —

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि: —

अधिकारियों अथवा कर्मचारियों से संबंधित ऐसे व्यक्तिगत विषय जिनका सम्बन्ध नियुक्तियों, स्थान नियुक्तियों, स्थान परिवर्तनों अथवा अनुशासन से हो;"

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

मैं यह समझता हूं कि जहां तक किसी की नियुक्ति या स्थान परिवर्तन का सम्बन्ध है उस पर तो कमेटी के किसी भी मेम्बर को कोई एतराज न होगा। पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक अनुशासन का सवाल है, मैं समझता हूं कि अनुशासन एक ऐसी चीज है जिससे कि हमारे प्रान्त के ऐडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। अगर हमारे इस सूबे के कर्मचारियों में अनुशासन न होगा और यह अनुशासन वाला मामला अगर इन कमेटियों से बाहर रखा जायगा तो मैं समझता हूं कि उनकी उपयोगिता नहीं रह जायगी। मैं चाहता हूं कि अनुशासन के जो मामले हैं अगर वे कमेटीज के सामने आ जायं, प्रान्त के अन्दर जितना भ्रष्टाचार होता है, जितने उस विभाग से सम्बन्धित लोग घूसखोरी वगैरह और और किस्म की जितनी बातें हैं अगर वे चीजें भी इन कमेटियों के सामने रखी जायं तो इस सदन का समय नष्ट न होगा, क्योंकि ऐसे मामले आ जाते हैं कि सदन के सामने उनका लाना आवश्यक हो जाता है। उसको या तो सवाल के रूप में या ऐडजर्नमेंट मोशन के रूप में सदन के सामने हम उसे लाते हैं। अगर किसी विभाग में किसी कर्मचारी ने कोई ऐसा काम किया है कि जिससे अनुशासन भंग होता हो या अनुशासन पर कोई असर पड़ता हो तो मैं समझता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बरान को उस पर विचार करने का अधिकार होना चाहिये। और जो नियम हैं उन पर तो काफी प्रकाश डाला हो गया है पर इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि "अनुशासन" शब्द को अगर वह इससे हटा दें "नियुक्तियां अथवा स्थान परिवर्तन" तक रखें तो मैं समझता हूं कि कमेटी अपना काम अच्छी तरह से निभा सकेगी और इस सदन के माननीय सदस्यों को यह मौका मिलेगा कि अलग-अलग विभागों में जितनी गड़बड़ी होती है, उन विभागों के कर्मचारी लोग जितना गड़बड़ इस प्रान्त में करते हैं, वह सब उस कमेटी के सामने आये ताकि इस सदन का समय उसमें नष्ट न हो। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि "अनुशासन" शब्द को अगर वह हटा दें, तो बहुत अच्छा होगा और इस प्रान्त के ऐडमिनिस्ट्रेशन की टोन ठीक हो जायगी।

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, जो कमेटियां इस वक्त बनाने की तजवीज है हाउस के सामने इसकी गरज, जैसा कि इसमें जिक्र किया गया है, सिर्फ यह है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो मिनिस्टरों के मुताल्लिक हैं उनको कुछ गैर सरकारी मेम्बरान की सलाह अपने काम के करने में मिल सके। यह इसकी खास गरज है और इस गरज के लिये ताकि एक कन्टेक्ट बना रहे मेम्बरों में और मिनिस्टरों में यह कमेटियां बनायी जा रही हैं। पर इनके अख्तियारात क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, जाहिर है कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर बहस की जा सकती है। बहरहाल, इस वक्त जो तजवीजें पेश की गयी हैं और जो तिवारी जी ने तजवीजें पेश की हैं उनमें बाज ऐसी हैं जिनको कि गवर्नमेंट, जब वह पेश करेंगे, मंजूर कर लेने के लिये तैयार हो जायगी। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके मुताल्लिक हमारा और उनका उसूली इख्तलाफ है और वह रहेगा। मसलन्, एक बात उन्होंने कही मुलाजिमान के डिसप्लीनरी मेटर्स भी उस कमेटी में आये और उनके ऊपर कमेटी में बहस हो सके। यह मामला ऐसा है कि इसको कमेटी में रखना निहायत नामुनासिब होगा। जहां तक आफिशियल्स का ताल्लुक है, उनकी एक जिम्मेदारी होती है और जिस जिम्मेदारी को वह अन्जाम देते हैं बिला लिहाज इसके कि कौन सी हुकूमत इस वक्त बरसरे इक्तिदार है। अगर कोई मामला किसी कमेटी में, जो नान-आफिशियल की हों, रख दिया जायगा तो उनको हमेशा यह अन्देशा रहेगा कि मालूम नहीं कि इसके मुताल्लिक गवर्नमेंट के सामने किस शक्ल से मामला पेश किया जाता है और क्या असर पड़ेगा। इसलिये यह नामुनासिब चीज है जो कोई भी गवर्नमेंट मंजूर नहीं कर सकती है। जब गवर्नमेंट बन जाती है तो वह गवर्नमेंट के रिस्पांसिबिल होते हैं। जहां तक और पार्टीज हैं या वही पार्टी जिसकी कि गवर्नमेंट बनी है या दूसरी पार्टीज जो मुल्क में हैं उससे उनका कोई आफिशियल कनेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको तो अपने फरायज बहैसियत एक मुलाजिम के अन्जाम देना है। कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके इत्मीनान के लिये उनको अपने फरायज अन्जाम

देना है। यह तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि आया वह उससे किस तरह से काम ले या डिस्प्लीनरी एक्शन ले या तबादला करे। यह सब चीजें ऐसी हैं जिसके लिये गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। यह उसूली बात है और इसके लिये गवर्नमेंट कभी भी तैयार नहीं हो सकती है कि डिसप्लीनरी मैटर्स कमेटी के जेर गौर हो और उन पर उस में बहस की जा सके।

बकिया और जो बातें हैं वह कोई ऐसी इम्पार्टेन्ट नहीं है। मसलन श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने यह तजवीज पेश की है कि विधेयक के साथ-साथ जो प्रस्ताव है उनके ऊपर भी कमेटी गौर कर सके तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मुनासिब समझा जायगा और वह 'प्रस्ताव' लफ्ज के ऊपर इसरार करेंगे तो वह बढ़ाया जा सकता है और उस पर गौर हो सकता है। इसी प्रकार उन्होंने प्रतिवेदन का लफ्ज बढ़ाने के लिये कहा है, कमीशनों के बाद . . .

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जो संशोधन सामने आयेंगे तो उस समय यह पेश किये जायेंगे।

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, और भी बातें इस कमेटी के मुताल्लिक कही गयी हैं। जहां तक बम्बई वगैरह का हवाला दिया गया है अगर पूरे रूल्स का मुकाबिला किया जाय, बहरहाल अलग अलग देखा जाय तो दूसरी बात है वर्ना इन कमेटीज को जो अख्तियारात दिये जा रहे हैं वह और सूबों से किसी तरह से भी कम नहीं है और वह काफी है। लिहाजा मैं अर्ज करूंगा कि इस पर गौर किया जाय।

अध्यक्ष--अब इसकी तरतीब यह रहेगी कि मैं सब संशोधन ले लेता हूं और मत लिये जाने के बाद जो मुख्य संकल्प है उसके ऊपर मत लूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि "नियम" १ के उपनियम (क) में दी गई स्थायी समितियों की सूची में क्रम-संख्या २२ के द्वितीय स्तम्भ में शब्द "विकास" के बाद शब्द "व नियोजन" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, अगर गौर से देखा जाय तो विकास और नियोजन और भारतीय सेवक समाज की स्थापना के बाद हाई-वे प्लानिंग के परीक्षण के बाद यह आवश्यक ही नहीं बल्कि परमावश्यक हो गया है कि प्लानिंग के जो सवाल हैं उनको हम स्टैंडिंग कमेटीज के सामने रखें। मैं समझता हूं कि इसके लिये सबसे उपयोगी स्थान वही होगा यानी २२ है। इसमें शब्द "विकास" के बाद "व नियोजन" शब्द जोड़ दिये जायं तो इसकी पूर्ति हो जाती है। मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर--यह तजवीज मुझे मन्जूर है।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम १ के उपनियम (क) में दी गयी स्थायी समितियों की सूची में क्रम-संख्या २२ के द्वितीय स्तम्भ में शब्द "विकास" के बाद शब्द "व नियोजन" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि नियम ४ के उपनियम 'क' की पंक्ति १ में शब्द "विधेयक" के बाद शब्द "व प्रस्ताव" बढ़ा दिये जायं।

इस नियम ४ के उपनियम (क) में यह है कि ऐसे सब असरकारी विधेयक जो विधान मंडल में प्रस्तुत किये जायं या जिनको प्रस्तुत करने का प्रस्ताव हो और ऐसे विधान सम्बन्धी प्रस्ताव जिन पर सम्बन्धित विभाग कार्यवाही करना चाहे। तो विधेयक तो समिति के सामने रखे जा सकते हैं लेकिन अगर कोई विधान सभा का सदस्य कोई लेजिस्लेटिव प्रपोजल रखना चाहे तो उसका जिक्र नहीं है। जैसा मैंने कहा सभी सदस्यों को मौका दिया गया कि वह किसी भी प्राइवेट दिन बैलेट के द्वारा अपना प्रस्ताव रख सकता है लेकिन वह प्रस्ताव उस समिति में नहीं लिया जा सकता है। बैलेट के द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण प्रस्ताव रह जाते हैं वह नहीं आ पाते जिनसे लाभ उठाना जरूरी है। अगर वह भी स्थायी समिति के सामने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

आ जायं तो बहुत अच्छा हो यानी ऐसे असरकारी विधेयक या प्रस्ताव जिनको प्रस्तुत करना गवर्नमेंट चाहे तो वह आ जायं। बस इतनी बात है।

श्री सैयद अली जहीर--मुझे कोई एतराज नहीं है कि इसमें 'प्रस्ताव' लफ्ज बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ४ के उपनियम (क) की पंक्ति १ में शब्द "विधेयक" के बाद शब्द "व प्रस्ताव" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि नियम ४ के उपनियम (ख) की पंक्ति १ में शब्द "कमीशनों के" बाद शब्द "प्रतिवेदन" तथा कोष्ठक के भीतर के शब्द "नहीं हैं" के बाद शब्द "पर सूचना के लिये आवश्यकता पड़ने पर कोई भी सदस्य ऐसे प्रतिवेदन देख सकते हैं" बढ़ा दिये जायं।

श्रीमन्, जो संशोधन मैंने उपस्थित किया है उसमें "कमीशनों के" के बाद कोई शब्द बढ़ाने की जरूरत है और वह प्रतिवेदन ही हो सकता है जो बढ़ाया जा सकता है। मेरा खयाल यह है कि समिति के सामने कमीशन के प्रतिवेदन उपस्थित किये जा सकें, यही इसका मतलब होता है और इसी वजह से मैंने यह प्रतिवेदन शब्द बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। दूसरा संशोधन कोष्ठ के अन्दर जहां पर "नहीं हैं" लिखा है उसके बाद मैं यह बढ़ाना चाहता हूं कि अगर किसी सदस्य को कोई प्रतिवेदन यानी कोई रिपोर्ट जो अभी छपी नहीं है देखने की आवश्यकता पड़ जाय, तो उसको वह देख सके। थोड़ी देर के लिये वह कमेटी के विचार के लिये आ सके। बस इतना ही अधिकार इस नियम में चाहा गया है कि वह सूचना के लिये देख सकें। बाहर उसकी घोषणा नहीं की जायगी क्योंकि वह तो एक सीक्रेट चीज होगी। उनके लिये यह लाजिमी होगा कि वह कहीं पर भी सीक्रेट चीज को प्रकाशित न करें। जो चीज छपी नहीं है उसको प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिये माननीय न्याय मन्त्री जी को यह खतरा हो सकता है कि वह पब्लिश हो जायेगी लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मैं न्याय मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)---अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायणदत्त जी ने जहां तक कि शब्द "प्रतिवेदन" बढ़ाये जाने का प्रश्न उठाया है उसको मैं समझता हूं कि स्वीकार करना चाहिए और यदि वह स्वीकार नहीं किया जाता तो इस नियम का (ख) वाला अंग कुछ ऐसा रह जाता है जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, लेकिन उसके आगे जो संशोधन में दूसरे शब्दों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करूंगा और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। यह शब्द कि "पर सूचना के लिये आवश्यकता पड़ने पर कोई भी सदस्य ऐसे प्रतिवेदन देख सकते हैं" यदि बढ़ाये जाते हैं तो यह जो ४ के (२) में प्रतिबन्ध है कि "ऐसे सब विषय जिनको सम्बन्धित मन्त्री जनहित के विचार से समिति के सामने प्रस्तुत करना उचित न समझें" इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्यों कि यह प्रतिवेदन उन विषयों से भी सम्बन्धित हो सकते हैं और यदि ऐसे कोई प्रतिवेदन भी सदस्य देख सकेंगे तो यदि माननीय मन्त्री गोपनीय रखना चाहेंगे तो भी उनकी गोपनीयता न रह सकेगी। ऐसी दशा में "प्रतिवेदन" शब्द तो अवश्य बढ़ा दिया जाय किन्तु संशोधन के आगे के भाग में जो अंश माननीय नारायण दत्त जी बढ़ाना चाहते हैं वह बढ़ाना उचित न होगा।

श्री सैयद अली जहीर---अभी जो तकरीर की गई मुझे उससे इत्तिफाक है और शब्द "प्रतिवेदन" को बढ़ाने की तजवीज को मैं मन्जूर करता हूं लेकिन आगे जिन अल्फाज को बढ़ाने की तजवीज है उनका बढ़ाना मुनासिब न होगा क्योंकि कमेटी के मेम्बरों को कान्फीडेंशियल कागजात देखने का हक भी उससे हासिल हो जायगा और ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में

मुनासिब न होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वह अपने संशोधन के आखिर के हिस्से को वापिस ले लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे डर है कि मुझे माननीय न्याय मन्त्री से पुनः इस पर विचार करने की अपील करनी पड़ेगी क्योंकि जिस नियम ४ के प्रतिबन्ध का हवाला दिया गया है वह तो सारे विषयों के लिये आता है, उसमें प्रकाशित या अप्रकाशित का सवाल नहीं है। अगर वह जनहित के खिलाफ समझते हैं तो वह सभी को रोक सकते हैं उसमें छपे हुए या बिना छपे हुए का सवाल ही नहीं है। यह प्रतिबन्ध तो सारे नियमों के लिये है। इसलिये यह न्यायसंगत न होगा कि सदस्य उसको न देख सकें। यह भी ठीक नहीं मालूम होता कि आधा संशोधन स्वीकार हो और आधा न हो, यदि इसको भी स्वीकार कर लिया जाय तो अच्छा है।

श्री सैयद अली जहीर--मुझे और कुछ नहीं कहना है। सिर्फ यही कहूंगा कि इस को मन्जूर करने से गवर्नमेंट का जो आब्जेक्ट है वह पूरा न हो सकेगा।

अध्यक्ष--मैं इस संशोधन को दो भागों में लूंगा।

प्रश्न यह है कि नियम ४ के उपनियम(ख) की पंक्ति १ में शब्द "कमीशनों के" के बाद शब्द 'प्रतिवेदन" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि नियम ४ के उपनियम(ख) की पंक्ति १ में कोष्ठकों के भीतर के शब्द 'नहीं है" के बाद शब्द "पर सूचना के लिये आवश्यकता पड़ने पर कोई भी सदस्य ऐसे प्रतिवेदन देख सकते हैं" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं--

नियम ४ के प्रतिबन्ध के खंड १ के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

"परन्तु संबन्धित समिति के सदस्यों को ऐसी आवश्यकता और दी गयी आज्ञा की सूचना भेज देगा।"

श्रीमन्, यदि आप नियम ४ के प्रतिबन्ध (१) को पढ़ें तो आप को मालूम होगा कि वह इस प्रकार है "अत्यन्त आवश्यकता की दशा में संबन्धित मन्त्री को यह अधिकार होगा कि वह समिति का परामर्श न ले" कम से कम स्थायी समिति के सदस्यों को यह अधिकार तो होना ही चाहिए कि वह यह जाने कि आवश्यकता क्या थी और कौनसा ऐसा कार्य माननीय मन्त्री जी ने बिना परामर्श लिये किया। जो कार्य माननीय मन्त्री जी करेंगे उसमें भी बाधा न होगी और सदस्यों की डिगनिटी और परम्परा के भी यह अनुकूल होगा कि संबन्धित मन्त्री उसकी सूचना उनको दें। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव की बात है मैं उसका विरोध करता हूं और मेरे विरोध करने का कारण स्पष्ट है। जहां तक इस बात का संबन्ध है "आवश्यकता पड़ने की दशा में संबन्धित मन्त्री को यह अधिकार होगा कि वह समिति का परामर्श न ले" मेरे मित्र भी इस अधिकार के विरोध में नहीं हैं। किसी भी प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली में किसी भी मन्त्री को यह अधिकार होना चाहिये कि आवश्यकता की दशा में वह किसी भी समिति से कोई परामर्श न करे। जहां तक इस अधिकार का प्रश्न है, मेरे मित्र इससे सहमत हैं कि यह अधिकार उनको दिया जाय। लेकिन उनके शब्दों को अगर बढ़ा दिया जाय तो उसका मतलब यह होगा कि समिति के सदस्यों को उनके ऊपर ऐसा अधिकार दिया जा रहा है जिसके कारण मन्त्रियों को

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

दिये गये अधिकार का कोई अर्थ ही न रहेगा। यदि आप किसी को कोई अधिकार देते हैं तो यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह यह देखे कि वह काम क्यों नहीं किया गया और अन्तिम रूप से यह देखे कि वह उस अधिकार का उपयोग करे या न करे। इसके साथ ही साथ यदि आप ४ (ङ) को पढ़ें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है "संबन्धित मन्त्री की अनुमति से सार्वजनिक महत्व का कोई भी विषय जो समिति के कार्यक्षेत्र में हो और समिति का कोई भी सदस्य विचार के लिये प्रस्तुत करे" यदि इसको ध्यानपूर्वक देखा जाय तो मेरे मित्र का उपरोक्त प्रस्ताव और भी अधिक अनावश्यक प्रतीत होगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आवश्यकता पड़ने की दशा में सम्बन्धित मन्त्री महोदय ने अपने अधिकार का प्रयोग किया और उन्होंने समिति से कोई परामर्श नहीं लिया, तब भी किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति से सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय को समिति के सामने रख सके। खंड ४ का उपनियम "ङ" अगर मौजूद रहता है तो मेरे मित्र का जो प्रस्ताव है वह अनावश्यक है और इन शब्दों के जोड़ने में एक प्रकार से सम्बन्धित मन्त्री के अधिकारों का कुठाराघात करने की कुछ भावना है। ऐसी दशा में मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी ने जो संशोधन रखा है उसका मतलब तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी मन्त्री के अधिकार पर आक्षेप करने से कोई सम्बन्ध इसका नहीं है। एक तो यह कि सलाहकारिणी समिति को जितने विभाग के मामले हैं, उनकी जानकारी में जो-जो प्रश्न उनके सामने आयेंगे, अगर मन्त्री महोदय उसकी सूचना देते रहेंगे तो इससे आसानी होगी यह जानने में कि विभाग का क्या कार्यक्रम है तथा पूरा विभाग किस तरह से चल रहा है और किसी दूसरे मौके पर उस सूचना के आधार पर समिति अपनी राय दे सकेगी। इसके साथ ही साथ थोड़ा चेक भी रहेगा। अगर माननीय मन्त्री जी किसी बात की उपेक्षा करके अनावश्यक प्रश्न को भी महत्वपूर्ण प्रश्न कह कर उस पर सलाह कारिणी समिति की राय लेना आवश्यक न समझें तो उस पर थोड़ा चेक हो जायेगा और इस तरह का चेक होना प्रजातन्त्र प्रणाली के लिये आवश्यक है। ऐसी दशा में मैं आशा करता हूं कि माननीय न्याय मन्त्री जी इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दत्त जी द्वारा उपस्थित संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमान्, अभी विरोध में एक माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसको मैंने सुना, परन्तु दुख है कि मैं उससे प्रभावित नहीं हो सकता। क्योंकि माननीय मन्त्री जी के अधिकारों पर इस संशोधन द्वारा तो कोई कुठाराघात होता नहीं है। प्रस्तावक महोदय यह चाहते हैं कि अगर माननीय मन्त्री जी समिति की कोई राय न लेना चाहें किसी आवश्यक कारणवश, तो वे उसकी सूचना सदस्यों को दे दें कि उनका परामर्श क्यों नहीं लिया जा सकता। जहां तक प्रजातंत्र प्रणाली का प्रश्न है, इस भवन में इस प्रश्न का आना ही कि एक ऐसी समिति बने जो माननीय मन्त्री जी को परामर्श देती रहे, उसका माने साफ यह है कि माननीय मन्त्रीगण कभी भी कोई ऐसा कार्य करना नहीं चाहेंगे। जहां तक यह है कि वे सदस्यों को न बतलाना चाहें या उनके परामर्श से काम करना न चाहें क्योंकि कन्टिंजेन्सी की हालत में ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत आवश्यक कार्य हो जिसको मन्त्री महोदय, समिति के सामने न लाना चाहें या समिति को बुलाने का मौका न मिले तो उस हालत में वे अपना निश्चय दे दें, इसलिये कि वह आवश्यक कार्य रुका न रहे। तो ऐसी अवस्था में जब भी कोई निर्णय करें तो उसकी सूचना माननीय सदस्यों को दे दें तो मैं समझता हूं कि इससे माननीय मन्त्री के अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं होता। हां, अगर यह कहा जाता कि यह उन्हें बतलाना पड़ेगा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, या उस पर वाद-विवाद किया जायगा या उनपर कोई आरोप लगाया जायगा, तो मैं समझ सकता था कि ऐसा संशोधन मुनासिब नहीं है। परन्तु यह तो केवल सूचना मांगी जा रही है कि किन

किन कारणोंवश माननीय मन्त्री जी को यह आवश्यक जान पड़ा कि वह बिना समिति के परामर्श के ही इस आवश्यक कार्य पर अपना निर्णय दे दें। श्रीमान्, मेरी समझ में इस संशोधन को मान लिया जाता है तो इससे माननीय मन्त्री के अधिकारों पर कोई कुठाराघात नहीं होता। और माननीय मन्त्री जी के लिये यह मुनासिब है कि इस संशोधन को स्वीकार कर लें, जिससे प्रजातन्त्र प्रणाली जिसके अन्तर्गत आज ये समितियां बन रही हैं, उनकी डिगनिटी के खिलाफ कोई बात न होगी बल्कि और अच्छा ही होगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेंट श्री नारायण दत्त जी ने पेश किया है अगर उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय तो जहां तक अमेंडमेंट का सम्बन्ध है, जो मन्त्री महोदय को राइट दिया गया है उस राइट को न तो वह छीनता है, न उस राइट को कम करता है।

बल्कि उसके साथ एडीशन यह है कि जो कार्यवाही हो, उस पर वह आज्ञा करें और उस आज्ञा की सूचना सदस्यों को दे दें। मैं समझता हूं कि इससे बिलकुल हानि नहीं होती। न कोई हकतलफी होती है और न कोई असर होता है, इसलिये मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट को मान लेना चाहिये क्योंकि माननीय मन्त्रियों के आर्डर्स को तो हर सदस्य को जानना चाहिये। यह अमेंडमेंट बहुत इन्नोसेंट है और इसलिये मैं समझता हूं कि इसको ऐक्सेप्ट होने में कोई उज्र नहीं होना चाहिये।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि बावजूद इन तकरीरों के मैं यह तरमीम मंजूर नहीं कर सकता। मेरे खयाल में माननीय सदस्य इन कमेटियों की गरज और इनका हद और स्कोप कि कहाँ तक काम करेंगी इसको अच्छी तरह से समझे नहीं हैं। इनकी गरज यह है कि जो अहम मामले हों, जिनमें कोई मंत्री यह समझे कि उसको नान-आफिशियल मेम्बर्स से मशविरा लेना है तो वह मामलात कमेटी में रखे जायेंगे अगर यह तरमीम मंजूर हो गई तो इसका मतलब यह होगा कि हर मामले के लिये जो भी मंत्रियों के सामने कार्य करने के लिये आवेंगे उसको यह फैसला करना पड़ेगा कि आया यह मामला कमेटी में जाने के क़ाबिल है या नहीं बजाय इसके कि वह यह गौर करें कि किन-किन मामलात को कमेटी में रखना है उसको यह सोचना पड़ेगा कि यह मामला कमेटी में जाय या नहीं तो मेरे खयाल में इसके बाद बड़ी मुसीबत पड़ जायगी क्योंकि वह मामले जो रोजमर्रा के हैं बहुत से ऐसे मामले हैं जो रूटीन वर्क के हुआ करते हैं उनको न तो कोई सोचता है और न कमेटी में जाने की जरूरत होती है। अगर किसी खास इत्तिला की जरूरत होती है तो वह कुछ सवालों के जरिये से या मंत्रियों के पास जा करके उसके मुताल्लिक़ जो इंफार्मेशन सदस्यगण चाहते हैं हासिल कर लेते हैं, लेकिन कमेटियों में भेजने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद यह होगा कि जो मामले कमेटी में जाने वाले न होंगे उनके मुताल्लिक़ वजह देनी पड़ेगी कि क्यों कमेटी में नहीं दिये जा रहे हैं। इससे काम में बहुत मुश्किल पड़ेगी। कमेटी आप देखेंगे कि साल में दो-तीन मरतबे जमा होगी और उसके सामने जो अहम मामले हैं वह रखे जायंगे और जो नहीं रखे जायेंगे वह तो बहुत से ऐसे हैं जिनके रखे जाने की जरूरत नहीं समझी जायेगी और जो कमेटियों के सामने नहीं जायेंगे। तो मेरे खयाल में इस तरमीम के मान लेने की वजह से कमेटी के स्कोप में और जिस गरज के लिये कमेटियाँ बनाई जा रही हैं उनमें बहुत फर्क़ हो जायगा और इसको गवर्नमेंट किसी तरह पर मान नहीं सकती।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बिलकुल आशा नहीं थी कि हमारे न्याय मन्त्री जी और माननीय आचार्य जी ऐसा सुन्दर निवेदन करेंगे जो उन्होंने मेरे संशोधन के बारे में किया। जब माननीय आचार्य जी यह कह रहे थे कि इससे माननीय मंत्रियों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा तो मैंने इसको तीन बार पढ़ा कि किस प्रकार यह कुठाराघात करता है। इसमें तो केवल सूचना भेजने की बात है; फैसला उनका होगा। जब उन्होंने फैसला कर लिया तो उसकी सूचना कमेटी के मेम्बरों को दे दी। इससे तो उनका एक अधिकार और बढ़ जाता है कि वह सब स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बरों को

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

अपने फैसले की सूचना भेजते हैं। इसमें मेम्बरों को अधिकार नहीं दिया गया। और अगर माननीय आचार्य जी को इससे सूचना भेजने से मंत्रियों के अधिकारों पर कुठाराघात दिखलाई देता है तब तो कमेटियों के बनने पर ही उनको आबजेक्शन होना चाहिये और अगर वह उसमें कुठाराघात नहीं समझते, तब कैसे इसमें कुठाराघात समझते हैं यह बात नहीं समझ में आई। इन कमेटियों को केवल यह अधिकार है कि मंत्रियों को परामर्श दे, मंत्रियों को तो फिर भी अधिकार है ही कि चाहे उस परामर्श को स्वीकार करें या न करें और अगर वह स्वीकार न करें तो स्टैंडिंग कमेटी उनका क्या करेगी ?

१ (क) को पढ़ें। "स्तम्भ २ में उल्लिखित विषयों पर मंत्रियों को परामर्श देने के लिए निम्नलिखित स्थायी समितियाँ होंगी ....."

फिर नम्बर ५ में लिखा हुआ है, "स्थायी समितियों का काम परामर्श देना होगा।"

इसके परामर्श बाधित नहीं हैं। यह अवश्य है कि कर्टसी के रूप में उसके परामर्श माने लेकिन वह इसके लिए बाध्य नहीं हैं। तो चाहे जितने भी अधिकार समिति को दे दिये जायं फिर भी कुठाराघात नहीं है। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आप भी कुछ हस्तक्षेप करें और इस गलतफहमी को दूर करें कि सूचना देने से किस प्रकार कुठाराघात हो सकता है। माननीय न्याय मंत्री जी ने भी अपना बल उनको दे दिया, यह देखकर मुझे और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि यह समिति के स्कोप को बढ़ा देगा। ४, ५ नियमों को पढ़ा जाय। संबंधित मंत्री की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कुछ भी मूव नहीं कर सकता है। अगर कोई भी सदस्य कुछ मूव करना चाहेगा तो वह पहले मंत्री जी के पास जायगा। अगर मंत्री जी इजाजत नहीं देंगे तो मूव नहीं होगा।

मैं मंत्री जी से फिर दोबारा अपील करूंगा कि वह इसको इतना खतरनाक न समझें जैसा कि माननीय आचार्य जी ने इसको अपने भाषण में बताया है। जब माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य स्टैंडिंग कमेटियों के बनने को कुठाराघात नहीं समझते तो इस संशोधन को कुठाराघात कैसे समझते हैं ? अगर वह इसको मान लें तो बड़ा अच्छा हो और शंका का समाधान कम से कम हो ही जायगा।

श्री सैयद अली जहीर--अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही गुजारिश हाउस के सामने पेश कर चुका हूं। मेरे खयाल में, जैसा कि मैंने कहा, यह तो महज कंसल्टेटिव कमेटी है और इसके अन्दर लिखा हुआ है कि जिस वक्त मुनासिब न हो, कोई ऐसी जरूरत समझें कि उसका मश्विरा न लिया जाय, तो मेम्बरों को उसकी वजूहात की सूचना देंगे। यह एक बड़ी मुश्किल हो जायगी। जिससे बड़ी दिक्कतें पेश आएंगी। लिहाजा मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता हूं।

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ४ के प्रतिबन्ध के खंड (१) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं--

"परन्तु संबंधित समिति के सदस्यों को ऐसी आवश्यकता और दी गयी आज्ञा की सूचना भेज देगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में---२१

विपक्ष में--१७९)

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं--

"नियम ४ के प्रतिबन्ध के खंड (२) के उपखंड (१) की पंक्ति २ से शब्द "स्थान परिवर्तनों अथवा अनुशासन से हो" के स्थान पर शब्द "अथवा स्थान-परिवर्तनों से हो" रख दिये जायं।

श्रीमन्, मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सम्बन्धित ऐसे व्यक्तिगत विषयों का सम्बन्ध हो जो कि अनुशासन से संबंधित हों, उनका विचार स्थायी समितियों में किया जाय और वह उन पर विचार कर सके। यानी यह अनुशासन सम्बन्धी विषय जो है जैसे कि आज ही समाचार-पत्रों द्वारा मुझे यह मालूम हुआ कि अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के संबंध में १५० काँग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजा कि इसकी बड़ी ही आवश्यकता है कि सरकारी कर्मचारियों के अनुशासन पर विचार करने के लिये कोई क़दम उठाये जायं। तो अगर अनुशासन के बारे में हम स्थायी समितियों को विचार करने का मौका देते रहेंगे तो सारे प्रदेश में समय समय पर जो अनुशासन सम्बन्धी शिकायतें या प्रतिवेदन होते हैं उससे इस सदन के सभी माननीय सदस्यों, चाहे वह विरोधी दल के हों या बहुमत दल के, उनकी शिकायतों का भी समाधान हो सकेगा और माननीय मंत्रियों का परामर्श भी इस बारे में मिल सकेगा।

अध्यक्ष---शोर यहाँ पर काफी हो रहा है। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य जोर से बातचीत न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---जो सदन के सभी माननीय सदस्य हैं उन्होंने बार-बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि स्थायी समितियों के नियमों में अनुशासन सम्बन्धी नियम जोड़ दिया जाय। इसलिये यदि इस प्रतिबन्ध से ऐसे विषय, जिनका संबंध अनुशासन से है हटा दें तो यह बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से माननीय न्याय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन माननीय नारायणदत्त जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आश्चर्य है कि नारायणदत्त जी यह चाहते हैं कि अनुशासन संबंधी विषय स्थायी समितियों के सामने आया करें और स्थायी समितियाँ उनपर अपना निर्णय दिया करें। यह उचित नहीं है कि स्थायी समितियाँ अनुशासन संबंधी विषय पर विचार करें और अपना निर्णय दें। इससे बजाय इसके कि अनुशासन सख्त हो ढीला हो जायगा। उचित यह है कि अनुशासन के मामले में पूरी सख्ती के साथ बरताव किया जाय। आज माननीय नारायणदत्त जी यह समझते हैं कि काँग्रेस शासनारूढ़ है परन्तु कल या दस वर्ष के बाद या बीस वर्ष के बाद यह हो सकता है कि दूसरी पार्टी शासन में आ जाय। तो क्या उनकी इच्छा यह है कि उस वक्त अनुशासन का कार्य ढीला चले? अनुशासन ही वह भित्ति है जिस पर शासन की सारी नींव खड़ी होती है। अगर अनुशासनहीनता रही, अगर सरकारी कर्मचारियों में अनुशासनहीनता रही तो उसका परिणाम यह होगा कि कोई शासन चल नहीं सकता। इस लिये इस क़िस्म का संशोधन रखना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और यह मान्य नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और यह फिर कहता हूं कि यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मेरे मित्र ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य यह बता रहे थे कि अगर अनुशासन या ऐडमिनिस्ट्रेशन का कोई मामला कमेटी के सामने आयेगा तो उसमें गड़बड़ी मचेगी, मैं आप के जरिये काँग्रेस पार्टी के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अभी अभी यह बतलाया गया कि एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो मंत्रियों से शिकायत करते रहते हैं कि उनकी बात को नहीं माना गया। इस प्रकार ऐडमिनिस्ट्रेशन में रोजाना दखल दिया जाता है। मैं आप के जरिये यह बता देना चाहता हूं कि इस संशोधन से एक चीज केवल सामने आ जायगी। वरना आज भी होता यह है कि जितने गवर्नमेंट की पार्टी के सदस्य हैं वे ऐडमिनिस्ट्रेशन में, तबादिले में और अप्वाइंटमेंट के सिलसिले में हर मंत्री को परेशान किया करते हैं। मंत्रियों से आ करके कहा करते हैं कि इनको हटा दिया जाय, उनको निकाल दिया जाय, यह कर दिया जाय, वह कर दिया जाय, इत्यादि। इसमें

[राजा वीरेन्द्र शाह]

क्या नई चीज नारायणदत्त जी ने रखी है ? उन्होंने सिर्फ यही रखा है कि जितने दस बारह आदमी होंगे, वे भले आदमी होंगे और उनकी बात मंत्री जी सुन लिया करें। श्रीमन्, मैं यह जानता हूं कि डिमोक्रेसी में कोई भी सरकार उस वक्त तक नहीं चल सकती है जब तक वह अपनी पार्टी के सदस्यों की बात न माने। मैं यह समझता हूं कि जैसा वातावरण आज प्रान्त के अन्दर है, अगर मंत्री जी इस संशोधन को मान लेते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं होगी। उसमें केवल इतना ही अन्तर होगा कि जो चीज आज नान-आफिशल (non-official) है वह आफिशल हो जायगी। मैं ऐसे बहुत से ईसटाँसेज जानता हूं लेकिन उनके बतलाने में मैं भवन का समय नहीं लूंगा। हर मेम्बर इस तरह की कोशिश करता है। मैं भी अलग नहीं हूं, मैं भी इस तरह की चेष्टा करता हूं लेकिन वह गलत है या सही है यह मैं नहीं कह सकता। इस संशोधन के जरिये से अगर वह चीज एक तरीके से आ जाती है तो कोई उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार कर लें, इसमें कोई ऐसी गड़बड़ी मचने वाली बात नहीं है जिससे कोई परेशानी हो।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भय है कि मेरे मित्र फिर मुझे गलत न समझें और मैं आपके इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मेरा विरोध दो बातों पर आश्रित है। एक तो जिन स्थायी समितियों की चर्चा इस सदन के सामने हो रही है उनका जो कार्यक्षेत्र है उसको स्पष्ट न समझने के कारण सम्भवतः यह प्रस्ताव मेरे मित्र ने इस सदन के सामने रखा। जहाँ तक मैं देख पाता हूं, उनका कार्य क्षेत्र किसी भी प्रकार से एक्जीक्युटिव नहीं है किन्तु उनका कार्यक्षेत्र लेजिस्लेटिव और ऐडवाइजरी है। यानी ये जो परामर्शदात्री समितियाँ और जो कि सदन के सामने काम होता है उनके सम्बन्ध में अपना परामर्श देने के लिये इनका निर्माण किया जाता है, यह स्पष्ट है। यदि उनका कार्यक्षेत्र एक्जीक्युटिव नहीं, तो फिर इस प्रकार का संशोधन कैसे कोई स्वीकार कर सकेगा यह स्वयं उनके विचार के लिये मैं उपस्थित करता हूं। जहाँ तक कि इन कार्यक्षेत्र का प्रश्न है, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि चाहे वह यह शासन प्रणाली हो अथवा और कोई शासन प्रणाली हो, यह एक नीति का प्रश्न है, किसी भी प्रकार से कोई स्थायी समिति के सामने कोई एक्जीक्युटिव कार्य कोई सरकार नहीं रख सकेगी, ऐसा मेरा निश्चित मत है। क्योंकि यदि एक्जीक्युटिव कार्य सरकार समितियों के सामने रखने लगे तो अंत में उसकी क्या दुर्दशा हो सकती है इसका कुछ चित्र मेरे मित्र मिश्रजी ने इस सदन के सामने रखा और निश्चित रूप से इस प्रकार का कार्य यदि परामर्शदात्री समितियों के द्वारा तय हो कि फलाँ कर्मचारी ने अनुशासनहीनता का काम किया और परामर्शदात्री समिति बैठकर यह निश्चय करे कि उसको अमुक दंड दिया जाय तो फिर इस प्रांत के मंत्रीगण और मंत्रिमंडल को कौन-सा कार्य करने के लिये शेष रह जायगा। मैं तो स्पष्ट रूप से यह मानता हूं कि अगर किसी पदाधिकारी ने या किसी सरकारी कर्मचारी ने अमुक कार्य किया और उसके लिये अमुक दंड दिया जाय, उसका स्थान-परिवर्तन किया जाय या और कोई दंड उसे दिया जाय इसके संबंध में निश्चित रूप से, मैं इसमें विधान को भी सामने रखता हूं, मैं समझता हूं कि वैधानिक रूप से भी केवल मात्र यह मंत्री अथवा मंत्रिमंडल का कार्य है, वे ही इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निश्चित कर सकते हैं। यदि मैं गलती नहीं करता तो यह कैबिनेट का भी कार्य है कैबिनेट बैसिस पर ये चीजें अन्त में निर्णय होती हैं। प्रत्येक शासन प्रणाली में, मेरे मित्र इसके संबंध में कई बार विदेशों की बातें इस सदन के सामने रखा करते हैं, मैं उनके सामने अमरीका और इंगलैंड की शासन प्रणाली, मैं रूस की बात नहीं करता क्योंकि वह शासन प्रणाली तो हमसे बहुत दूर है, किन्तु अमरीका और इंगलैंड की शासन प्रणाली के संबंध में मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन दोनों देशों में कुछ भी इस प्रकार का कार्य कहीं ऐडवाइजरी कमेटीज की सहायता से नहीं किया जाता, केवल मंत्रिमंडल, कैबिनेट रेस्पांसिबिलिटी से इन कार्यों को किया जाता है। यह सही है कि दुर्भाग्यवश हमारे देश में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है, अधिकारियों के प्रति बहुत ज्यादा असंतोष मेरे मित्र को है, मैं भी उसके संबंध में बहुत संतुष्ट नहीं हूं, किन्तु यदि हम अपने आदेश में इस प्रकार की कोई चीज

रख दे जिसका असर शासन प्रणाली के विरोध में पड़े, तो मैं कहूंगा कि यह बहुत गलत होगा। मैंने प्रारम्भ में जैसा कि कहा, एक तो मुझे इन समितियों के स्कोप के बारे में विरोध है जिसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसके अलावा थोड़ा सा प्रश्न नीति का भी है। मेरे मित्र ने जिक्र किया कि उन्होंने समाचारपत्रों में आज यह पढ़ा कि कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने इस प्रकार का कोई आवेदन या इस प्रकार का कोई प्रस्ताव किया है कि पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध अथवा अधिकारियों के विरुद्ध वे लोग असंतुष्ट हैं और इसके लिये दल की एक सभा बुलायी जाय। यह संभव है कि यह सत्य हो, लेकिन एक बात इसमें इसको विचार सकते हैं कि कांग्रेस दल के सदस्य इस प्रकार का आवेदन करें या सभा के बुलाने के लिये कार्य करें तो इसमें और स्थायी समितियों के कार्यक्षेत्र में कितना अंतर है। कांग्रेस दल निश्चित रूप से अपने दलपति से अपने दल की बैठक की माँग कर सकता है और हमें अधिकार है कि हम अपने दलपति से इस प्रकार बैठक की माँग करें और अंत में निर्णय करे हमारा दलपति कि हमें क्या कार्यवाही करनी है। यह हम जानते हैं कि अंत में जो कुछ भी उचित है उसको हमारा दल तय करता है और सरकार उसको मानती है या नहीं, यह सरकार के ऊपर है।

एक बात की मैं और प्रार्थना कर दूं कि मैंने जब यह विधेयक शुरू से अखीर तक पढ़ा तो एक चीज और सामने आई और मेरे मित्र भी शायद उससे संतुष्ट हों कि जहाँ तक नीति का प्रश्न है तो नीति निश्चित रूप से परामर्शदात्री समिति तय करेगी। तो मेरा खयाल है और सरकार की दृष्टि में भी यह चीज है और मेरे मित्र जो कुछ नहीं कहते हैं वह भी जान-बूझकर ही है। जब यह स्थायी समिति किसी नीति के संबंध में परामर्श दे सकती है तो कभी कहाँ हैं क्योंकि अधिकारियों के संबंध में भी एक नीति का यह परामर्श दे सकती है और मंत्री महोदय उसे स्वीकार कर सकते हैं। जहाँ तक नीति का प्रश्न है उसकी सीमा है, उसके आगे कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन अभी श्री नारायण दत्त जी तिवारी ने रखा है, मेरे दृष्टिकोण में यह वह खतरनाक रास्ता है कि अगर यह सदन उसे स्वीकार करे तो जिस पर चलकर यह देश भविष्य में कमजोर हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, शक्ति का संबंध अनुशासन से बहुत ही गहरा है और अनुशासन रह नहीं सकता यदि वह अधिक हाथों में पहुंच जाय। इस मूल सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये जब मैं कहता हूं और अध्यक्ष महोदय, अपने सामने की तरफ देखता हूं तो मेरे कुछ मित्र मुस्कराते हुये दीख पड़ते हैं, उसको मैं समझने का प्रयत्न करता हूं और मैं आपके द्वारा बतला देना चाहता हूं कि यदि उनकी मुस्कराहट का यह अर्थ है कि इन सवालों के पीछे कोई एक तानाशाही का विचार छिपा हुआ है तो वह इस भ्रम में न आयें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बतला देना चाहता हूं कि इस अनुशासन से अगर उनका मतलब यह है कि देश की नौकरियों के अंदर अनुशासन लाया जाय तो यह पंचायतों के द्वारा नहीं हो सकता है और यह भी याद दिलाने की आवश्यकता है कि इस सदन में एक बार नहीं कई बार यह कहा गया है कि इस प्रांत में तथा और प्रांतों में भी अब तो एम० एल० एज० राज्य क़ायम हो रहा है। मुझे याद पड़ता है कि शायद हमारे राजा साहब के यह शब्द हैं जब कि उन्होंने बड़ी कृपा करके हम लोगों के बारे में कहे थे कि अब तो यहाँ एम० एल० एज० का राज्य क़ायम हो रहा है। जब यह कमेटी बनेगी तो क्या उसके सदस्य कहीं बाहर से आयंगे .....

अध्यक्ष—माननीय सदस्य अधिक समय लेंगे क्या ?

श्री रामनरेश शुक्ल—जी हाँ, अभी कुछ थोड़ा सा और समय लूंगा।

अध्यक्ष—तो आप जलपान के बाद अपना भाषण जारी रक्खें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम नरेश शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि पिछले दिनों अपने भाषणों में एक मर्तबा नहीं, बल्कि बहुत बार जहाँ तक मुझे याद पड़ता है राजा बीरेन्द्रशाह ने यह कहा था कि अब तो इस प्रान्त में काँग्रेसी एम० एल० ए० का राज्य हो रहा है। तो मैंने यह भी कहा था, आपके द्वारा मैं उनको याद दिलाऊं, कि वह कैसे डाक्टर हैं कि मर्ज का पता लगा लेने के बाद फिर ऐसी दवाई बताते हैं कि जिससे मर्ज और बढ़ जाय। यह तो न कोई राजनीति होगी और न कोई अच्छी सलाह होगी। जहाँ तक अनुशासन का सम्बन्ध है, मैंने प्रारम्भ में यह प्रार्थना की थी कि यह एक बड़ा नाजुक प्रश्न है और इसमें हमको उन तमाम विचारों को मनन करना पड़ेगा जिनका संबंध मानव दुर्बलताओं से है। क्या हमारा पिछला अनुभव यह नहीं बताता है कि जो कमेटी आज है उन कमेटियों के सदस्यों के पास वे लोग पहुंचकर उनको प्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं? तो अनुशासन का ऐसा प्रश्न है जिसका संबंध प्रान्त की सारी नौकरियों से होगा। उसमें भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, जब कि मानव दुर्बलता का विचार करने से कड़े से कड़ा मनुष्य भी चाहे वह इस सदन का सदस्य हो, चाहे वह बाहर का हो, वह क्या यह कहने की कोशिश नहीं करेगा कि फलाँ आदमी उसका रिश्तेदार है, उसके घर का आदमी है, उसके ज़िले का रहनेवाला है? तो ऐसी स्थिति में फिर यह संभव नहीं हो सकता कि अनुशासन में, जैसा नारायण दत्त जी ने कहा है, वह आगे चलकर ऐसी शक्ल में हो जायगा जो वह चाहते हैं। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ अगर यह बात मालूम हो कि अनुशासन के संबंध में उसका मामला कमेटी के सामने जाने वाला है तो फिर वह आदमी दौड़-धूप शुरू कर देगा। मुझे यह पता चलता है और मैं इसको कहना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि आज इस प्रकार का प्रयत्न इस सदन में किया जाता है और ऐसी झलक यहाँ पर मिला करती है। सरकार अगर किसी के ऊपर कड़ी कार्यवाही करती है तो वह दौड़धूप करना शुरू कर देता है। ऐसा हो सकता है कि उसमें गलती हो। मैं इस बात को मानता हूं लेकिन यह सच है कि वह दौड़धूप करता है और इतने बड़े सदन के किसी न किसी सदस्य को वह तैयार कर लेता है कि अपने बारे में यहाँ पर सवाल कराये और सवाल पूछने के लिये इस बात का प्रयत्न करता है कि उसके बड़े अफसर उसके प्रश्न को नये सिरे से सोचने की कोशिश करें और शायद उसकी गलती की माफी मिल जायगी। हमारे मित्र का यह उद्देश्य है कि अनुशासन से नौकरों के अन्दर कर्त्तव्य परायणता आयेगी, कुछ भ्रष्टाचार रुकेगा। तो मेरी छोटी राय में वह प्रश्न भी समझने का हो जाता है। इसके अतिरिक्त मैं तो साफतौर पर उदाहरण देकर आपके सामने इस प्रश्न को साफ करने का प्रयत्न करूंगा जैसा कि मेडिकल कालेज का मामला हुआ। सरकार को इस बात का मुबारकबाद दिया जा सकता है और देना भी चाहिये जैसा कि सारे प्रान्त ने दिया कि सरकार ने बड़ी सख्ती का और ठीक क़दम उठाया। इन नौकरियों के खिलाफ जनता की ऐसी माँग थी। अगर अनुशासन की कार्यवाही करने के लिये कोई इस प्रकार की कमेटी होती तो मुझे डर लगता है और शुबहा भी होता है कि सरकार ऐसा कोई क़दम न उठा पाती जैसा कि उसने उठाया।

आज हमारे प्रान्त में फर्रुखाबाद में भी एक घटना हुई। वहाँ पर जिन अध्यापकों ने अनुशासनहीनता को बढ़ाया उनके खिलाफ सरकार ने सख्त क़दम उठाया और उन कालेजों को बंद कर दिया तथा अध्यापकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की। फिर मुझे शक और भय होता है कि यदि कोई इस प्रकार की कमेटी होती और इन सदस्यों के ऊपर यह चार्ज लगाया जाता है कि एम० एल० ए० राज्य चलता है तो यही एम० एल० ए० अध्यापकों को माफी दिलाने का प्रयत्न करते। इन नौकरियों के बारे में जो शिकायत माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य ने की, वही शिकायत मुझे भी है, लेकिन मुझे वह दवा नहीं चाहिये जो दवा कि हमारे साथी नारायण दत्त जी को है। हमारी दवा तो यह है कि मंत्री ढीले न हों, शिकायत यह है कि देर से फैसला करते हैं, जब कि ऐसे मामलों में माफ करें तो हमें सरकार को बताना चाहिये कि यह उसकी गलती है। इस तरह से शासन मजबूत नहीं हो सकता। तब हम उनसे यह प्रार्थना करें कि वह और सख्त क़दम उठायें। मुमकिन हो सकता है कि सख्ती से क़दम उठाने में कुछ

ग़लती हो जाय। एक दो निर्दोष आदमी भी दब जायं, सज़ा पा जायं लेकिन देश को बचाने के लिये यह आवश्यक होता है और कभी-कभी ऐसी ग़लतियों को बरदाश्त भी करना पड़ता है, कभी कभी बेगुनाह भी कुचल दिये जाते हैं तो उनके लिये हमें माफ़ी देनी पड़ती है। मैं तो इस रास्ते को ज्यादा सही समझता हूं। अलावा इसके एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जब इस संशोधन को, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ता हूं तो मेरे लायक़ दोस्त ट्रान्सफर की बात तो छोड़ जाते हैं, अप्वाइंटमेंट की बात कहना नहीं चाहते हैं; व्यक्तिगत मामलों के बारे में उनको कुछ कहना नहीं है। लेकिन वह हाथ रखना चाहते हैं केवल अनुशासन में। जब दो पहलू हमारे सामने दो तरीक़े से आते हैं तब यह समझ में नहीं आता कि अनुशासन कैसे चलाया जा सकता है। अनुशासन का कुछ फल तो होना ही चाहिये। डिसकशन के बाद उसका कुछ रिजल्ट होना चाहिये लेकिन रिजल्ट की तरफ आप खामोश हैं। आप कहते हैं कि उस पर हमें इशारा नहीं करना है। हमें तो अनुशासन रखने को दे दिया जाय ताकि दौड़-धूप शुरू हो जाय। यह मानवीय दुर्बलता है। मैं माननीय सदस्य को दोष नहीं देना चाहता। उनके यहाँ दरबार लगता है लेकिन इस बात की मंशा हो और किसी को शुभा हो तो यह बात अनुचित नहीं होगी। इस पहलू पर गौर करने के बाद मैं यह कहूंगा कि यह प्रजातंत्र का प्रयोग है। इसके ऊपर मिसालें दी गईं जो भी हमारे पक्ष में जाती हैं। इंगलैंड की पार्लियामेंट को ही ले लिया जाय, वहाँ बिलों के ऊपर सब-कमेटीज बनाई जाती हैं और यह बात जरूर सही है कि अमरीका के संविधान में ऐसी कमेटियाँ हैं लेकिन अगर उसका मुक़ाबला हम अपने यहाँ से करें तो हमारी कमेटियों को ज्यादा ताक़त दी गई है बनिस्बत अमरीका की कमेटियों के। मेरे लायक दोस्त जो प्रजातंत्र के बड़े पक्षपाती हैं उसके लिये सब कुछ करने के लिये तैयार हैं और कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि वह अमरीका के तरीक़ों को पसन्द नहीं करते हैं, तो उनको एतराज होना चाहिये अगर हम अमरीका के बराबर ताक़त उनको देते और उनको कमी करने की कोशिश करना चाहिये थी और ज्यादा माँग करना तो और भी बड़ी भूल होगी।

इसके अलावा अन्त में मैं एक और बात कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। हर राष्ट्र को अनुशासन की जरूरत है और कोई भी राष्ट्र जो शक्ति पर पनपता है वह अनुशासन के बगैर शक्तिशाली नहीं रह सकता। अगर शक्ति को क़ायम रखने के लिये अनुशासन की आवश्यकता है तो एक दो नहीं या ये ४३१ नहीं, बल्कि हजारों आदमियों को भी नाखुश करना पड़े तो सरकार को उस नाखुशी को बरदाश्त करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह--(जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार के एक प्रवक्ता ने सरकारी चित्र को अच्छी तरह से यहां पर रखा। सरकार के बारे में हमारी तो यह धारणा हो ही चुकी है कि वह धीरे-धीरे प्रजातंत्र पद्धति से अपने को खींचकर और कुछ अधिनायकवादी तत्वों से मिल कर काम करना चाहती है। इससे जब सरकारी प्रवक्ता ने इस बात का विरोध किया कि यदि ऐसा अधिकार कमेटी को दे दिया गया तो फिर अनुशासन का काम बड़े खतरे में पड़ जायगा। मैं समझता हूं कि वही बात जो भीतर काम कर रही थी वह किसी न किसी तरह से ऊपर आ गयी; क्योंकि यही बात सच्ची है। मैं नहीं समझता कि माननीय मंत्रीगण और जो शासनाधिकारी हैं वह हाड़-चाम के बने नहीं हैं। यदि इन १७ आदमियों के हाथ में अनुशासन दिया गया या उनसे सलाह लेने की बात हुई तो किस तरह से न मालूम कौन-कौन से बाजारों के गर्म होने की ओर संकेत किया गया, वह सब गर्म होने लगेंगे!

श्री रामनरेश शुक्ल--मैंने बाजार नहीं बल्कि दरबार गर्म होने की बात कही थी।

श्री गेंदा सिंह--दरबार ही सही, मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से दरबार गर्म होने लगेंगे। यदि यह अधिकार इस कमेटी को दिये जायं तो कुछ माननीय मंत्रीगण का बोझ भी हल्का होगा और क्या मैं इस बात को मान लूं कि श्री राम नरेश जी के कहने से कि माननीय मंत्रियों के दरबार नहीं हुआ करते हैं उन्हें स्वयं यह कहना पड़ता है कि माननीय

[श्री गेंदा सिंह]

मंत्री इन दरबारों से दूर रहना चाहते हैं और उन्हें दरबार के कारण फुरसत नहीं मिलती और वह दरबार वालों से अलग रहने की चेष्टा करते हैं कि दरबार न लगें। दरबार लगते हैं और यदि अनुशासन के मामले में गड़बड़ी पैदा होती है, तो उसका क्या कारण है? क्या माननीय रामनरेश जी इसे स्वीकार करेंगे कि यह गड़बड़ियां इन दरबारों के गर्म होने से होती हैं? इन १७ आदमियों में से भी ३ तो वही रहेंगे जिनके यहां दरबार पहिले से ही लगते हैं और १४ इस सदन के सदस्य उस कमेटी में होंगे और मेरा तो विश्वास कि यदि उनके सामने अनुशासन की बात जाय तो कुछ दरबार में कमी हो सकती है और यह भी है कि मेरठ के रहने वाले आदमी को देवरिया में दरबार करने में दिक्कत होगी और समझने में भी दिक्कत होगी तथा दरबार में सफलता प्राप्त करने में भी दिक्कत होगी। लेकिन जिसका संबंध सारे प्रदेश के लोगों से है, उसके यहां दरबार बड़ी आसानी से जम सकता है। तो यह सब जो शक हैं, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल बेकार के हैं। माननीय लक्ष्मीरमण जी ने इसकी ओर संकेत किया कि इस तरह का कोई स्कोप ही नहीं है, फिर क्यों इस तरह की बात की जाती है। मैं समझता हूं कि अगर स्कोप नहीं होता तो यहां पर इसके निषेध करने की जरूरत नहीं होती। छोड़ दिया जाता, उस पर चर्चा भी नहीं की जाती। विधि और निषेध में मैं देखता हूं कि एक तरफ तो उसी के लिये सब विधियां इकट्ठी की गयी हैं वहां पर दूसरी तरफ इसका खासतौर से निषेध किया गया है कि ये काम उस कमेटी के काम की गिनती में न आयेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि स्कोप तो है।

अब रहा यह कि ऐसा कर देने से प्रदेश के अनुशासन पर असर पड़ेगा, किसी किसी ने तो कहा कि हमारी लुटिया ही डूब जायेगी। मैं कहता हूं कि आपकी लुटिया नहीं डूबेगी। मैं बार-बार आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय किसी दूसरी धातु के नहीं बने हुए हैं और माननीय सदस्य किसी दूसरी धातु के। जिस हाड़-मांस के वे बने हुए हैं उसी हाड़-मांस के माननीय सदस्य जी बने हुए हैं। माननीय मंत्रीगण भी उन सारी कमजोरियों के पुतले हैं जिन कमजोरियों के हमारे माननीय सदस्य पुतले हैं। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं और मैं माननीय शुक्ला जी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर इन १४ आदमियों में माननीय शुक्ला जी जैसे सदस्य ही मौजूद रहें और चुनाव के मौके पर हम लोग इस बात का ख्याल भी रखेंगे कि माननीय शुक्ला जी जैसे विचार रखने वाले सदस्य ही अधिक से अधिक तादाद में आवें तो मैं आशा करता हूं कि प्रान्त की हालत ही बिलकुल बदल जायगी। आज जिलों में जो आन्टी करप्शन कमेटियां बनी हुई हैं आखिर उनका क्या काम है? क्या आप उनको इस तरह के अधिकार नहीं दिये हुए हैं, आखिर अनुशासन का माने क्या होता है? अगर मैजिस्ट्रेट रिश्वत लेता है, कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो अन्टी-करप्शन कमेटी को अधिकार है कि वह उस मामले में विचार करे। अगर उस मामले में विचार करने का अधिकार आन्टी-करप्शन कमेटी को है तो फिर सारे प्रदेश के लिये जब इस तरह की कमेटी बनें तो उससे आप क्यों इंकार करते हैं? मैं समझता हूं कि यह भ्रांति है बल्कि भ्रांति नहीं है जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप कोई सख्त कदम नहीं उठाना चाहते हैं। जब यहाँ से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सख्त कदम उठाने के लिये कहा जाता है तो सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता है कि हम चीन का तरीका नहीं अख्तियार करना चाहते, हम रूस का तरीका नहीं अख्तियार करना चाहते। आप न चीन का तरीका पसन्द करते हैं न आप अमेरिका का तरीका पसन्द करते हैं तो फिर आप कौन सा रास्ता पसन्द करते हैं?

श्री रामनरेश शुक्ल--हम अपना रास्ता पसन्द करते हैं।

श्री गेंदा सिंह--आप रास्ता पसन्द करते हैं हिटलर साहब का यह बड़ा अप्रिय शब्द मैंने सरकार के लिये इस्तेमाल किया है लेकिन क्या करूं, लाचारी है।

किसी न किसी तरफ आपको जाना चाहिये, किसी न किसी तरफ आपको बढ़ने की कोशिश करनी चाहिये। आप कहते हैं कि इसमें डिक्टेटरशिप की गंध आती है, अगर सरकारी नौकरों के साथ, और दूसरे लोगों के साथ सख्ती से अमल किया जाता है। इसलिये हम ऐसा तरीका अख्तियार करना नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूं कि यह जो तरीका है यही डेमोक्रैटिक तरीका है जिसमें कमेटी बने और वह कमेटी उस पर विचार करे और फिर उस पर फैसला करे तथा उसे सरकार लागू करे। तो मैं यह समझता हूं कि इस अनुशासन शब्द को निकाल देने का जो प्रस्ताव माननीय श्री नारायण दत्त जी ने किया है वह बहुत जरूरी है। माननीय श्री रामनरेश जी शुक्ल तथा माननीय श्री लक्ष्मीरमण जी यदि इस बात को समझे होते तो शायद ऐसा विचार वे अपना न रखते। मैं फिर उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर गौर करें और माननीय नारायण दत्त जी के संशोधन के पक्ष में विचार प्रकट करें।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इन कायदों के ऊपर और बिलखसूस इस खास अमेंडमेंट पर जिसको मेरे दोस्त नारायण दत्त जी ने पेश किया है, जो तकरीरें हुईं उस पर उन सब को बहुत गौर से सुना और खास तौर पर अपने पुराने दोस्त वीरेन्द्रशाह जी की तकरीर को सुना और मैं आपसे सही कहता हूं कि उस तकरीर को सुनने के बाद मुझे बहुत बड़ी हैरत हुई इस बात को कि उन्होंने अपनी तकरीर में यह सब कुछ मान लिया कि इस वक्त बड़ी इनडिसिप्लिन है लोगों को इससे बड़ी शिकायत है और इसकी शिकायत आम तौर पर मेम्बरान असेम्बली की तरफ से सरजद होती है लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसका इलाज वह तजवीज किया जो मरज जिस हालत में है उसमें और इजाफा उससे हो जाय। मैं इस बात पर खुश हूं कि नारायण दत्त जी ने जो अमेंडमेंट और तजावीज आज इस हाउस के सामने रखी उनमें से कई को माननीय मंत्री ने मंजूर कर लिया और मैं जानता हूं कि नारायण दत्त जी बहुत स्टडी करके आते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और जो बात करते हैं माकूल तरीके पर पेश करते हैं इसके मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन इस वक्त जो यह मखसूस मामला हमारे सामने है उसकी अहमियत उससे कहीं ज्यादा है जितनी की अब तक हमने इस पर गौर की है और जितना हमने सोचा है। आज कौन है जो इस बात की शिकायत नहीं करता कि मुल्क के अन्दर इनडिसिप्लिन बहुत बढ़ गयी है। मुल्क के अन्दर बहुत करप्शन है, बहुत इनएफीशियेंसी है और इसके मुताल्लिक कोई दो राय नहीं हो सकती लेकिन सवाल यह है कि इस इनडिसिप्लिन को, इस करप्शन को रोकने के लिये हम क्या तजावीज पेश करते हैं। इसके ऊपर सर जोड़ कर कभी कोशिश हमने नहीं की कि सोचा जाय। मुझे यह मालूम है कि जिस किस्म का अमेंडमेंट आज यहां पेश किया गया है इस किस्म का आइडिया इस मुल्क में कोई नया आइडिया नहीं है। आज से काफी वक्त पहले, तकरीबन आज से ५० साल पहले मिस्टर गोखले ने एक रिजोल्यूशन पेश किया था और उसका मकसद यह था कि जिले में जो ऐडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके साथ पबलिक ओपीनियन एसोशियेट कर दी जाय। जितने कौमपरस्त थे, जितने नेशनलिस्ट थे वह इस इस बात पर हामी थे कि उनका खयाल यह था कि ब्यूरोक्रेटिक टाइम में अगर इस किस्म के ऐडमिनिस्ट्रेशन के साथ पबलिक ओपीनियन असोशियेट कर दी जायगी तो इससे एक किस्म का फायदा होगा और ऐडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हो सकेगा। उस वक्त एक दूसरा दौर था। और इस किस्म का रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता था लेकिन वह एक तारीखी यादगार है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, और मुझे यह भी याद है कि इस हाउस के अन्दर एक दफा एक मुअज्जिज मेम्बर ने एक रिजोल्यशन इस किस्म का पेश किया था पिछली असेम्बली के समय में और उस पर बहुत काफी बहस-मुबाहिसा हुआ था और उस मुबाहिसे के बाद बिलआखिर इस हाउस ने यही तय किया था कि जहां तक आफिशियल फंक्शंस की बात है उसमें किसी किस्म की रुकावट पड़ना यह ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये बहुत ही मुजिर साबित होगा। यह चीज आज से बहुत पहले हम लोग तय कर चुके हैं। अब सवाल इस वक्त यह है कि इनडिसिप्लिन को रोकने के लिये जो तजवीज हमारे सामने आयी है वह मुफीद हो सकती है या जिस तरीके से ऐडमिनिस्ट्रेशन आज तक चलता आ रहा

[श्री सुल्तान आलम खां]

है वही चीज मुनासिब है, इस बात को सोचना है और इस पर फैसला देना है। हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में डिमोक्रेसी एक नयी चीज है, इसकी आइडियालोजी को हमने बहुत हाल में लिया है और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे कांस्टीट्यूशन ने और हमारे ट्रेडीशन ने हमारे लिये जो रास्ता निकाला है उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं मगर फिर भी यह चीज डेमोक्रेसी उसका तरीका बिल्कुल नया है और वह इस वजह से हमें उसमें बड़ी दिक्कत और दुश्वारियां हो रही हैं और इसी वजह से इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बावजूद इसके कि पांच साल के जमाने में हमारी हुकूमत ने और हमारे मुल्क ने बहुत कुछ अचीवमेंट्स किये ऐसे अचीवमेंट्स किये जो तारीखी हैसियत रखते हैं, हमने कांस्टीट्यूशन बनाया हमने जनरल एलेक्शन दिया जो ऐडल्ट फ्रेंचाइज पर किया गया। हमने फाइव ईयर प्लान दिया और हमने ऐडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की बहुत सी चीजें कीं। इसमें कोई शक नहीं कि खुद हमारे सूबे में दो-तीन काम इतने बड़े हुए हैं जिसकी नजीर शायद मुशकिल से कहीं मिल सके। हमारे यहां पंचायत राज कायम हुआ, हमारे यहां जमींदारी अबालिशन हुआ और भी ऐसे काम हुए जिसके ऊपर हम बजा तौर पर फख्र कर सकते हैं कि हमारे मुल्क और सूबे ने आजादी हासिल करने के बाद काफी तरक्की की। लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह भी मानना चाहिये कि इस नये दौर में, इस हुकूमत के नये सेट-अप में जब कि डेमोक्रेसी का पहली मरतबा एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है, हमारे यहां इनएफीशेंसी आ गयी, कुछ करप्शन भी आ गया। यह एक ऐसी चीज है जिसके मुताल्लिक इधर या उधर दोनों की तरफ से कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल तो यह है कि इसका इलाज क्या हो? अगर हम सिर्फ यह सोचते रहें कि और स्लोगंस पर जिन्दा रहें, एक दूसरे पर कुछ कीचड़ उछालने की कोशिश करें तो इससे इस चीज का हल नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने पहले कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैंने बीरेन्द्र साहब को यह कहते सुना कि करप्शन है, इंडिसिप्लिन है, इनएफिशेंसी है। अगर एक कमेटी बना दी जाय और कुछ लोगों को मौका दे दिया जाय तो इसमें क्या हर्ज है। मैं समझता हूं कि इस तरह सोचना बिल्कुल सही नहीं है। यह गलत बात है। अगर हम जो स्टैंडिंग कमेटीज बनाने वाले हैं उनको यह भी अधिकार दे दें कि इंडिसिप्लिन के केसेज पर गौर करें और फैसला दें, गवर्नमेंट को सलाह दें तो यह कितना मुश्किल होगा। मैं सही तौर पर महसूस करता हूं कि यह मेम्बरान के हक में ही ज्यादा मुनासिब न होगा। अगर इसमें से हर आनरेबिल मेम्बर दिल पर हाथ रखकर टटोलने की कोशिश करे तो खुद महसूस करेगा कि वह ऐसे उसूल और ऐसे कायदे के अन्दर बंधे हुए हैं कि हर वक्त लोग उसके पास आते हैं। हर एक से वह परेशान किया जाता है। उससे ऐसा तकाजा होता है जो न उसके फरायज में हैं और न अधिकार में है। मैं समझता हूं कि बहुत कम मेम्बरान ऐसे होंगे जिनके पास जो लोग आते होंगे उनसे यह मतालबा करते होंगे कि उनके लिये नहरें बनवा दें, अस्पताल खुलवा दें, डाकखाने खुलवा दें या बिजली ले आयें या कोई और पबलिक युटिलिटी का काम करवा दें। ज्यादातर लोग यही फरमाइश करते हैं कि इस अफसर का तबादला करा दिया जाय, इसका तकर्रुर करा दिया जाय, एक पब्लिक कैरियर का परमिट दिला दें, सिवा इस के और फरमाइशें नहीं होती हैं। इस सूरतहाल में अगर उन मेम्बरान को यह भी अधिकार मिल गया कि वह कमेटी में बैठकर सूबे के तमाम अफसरान के मुताल्लिक इनडिसिप्लिन के मामलात पर अपनी राय दें और उससे गवर्नमेंट को मुतास्सिर करें तो उनका काम कितना बड़ा और कितना खतरनाक हो जायगा और क्या वह इस काम को ईमानदारी के साथ, सही-तौर पर अंजाम दे सकेंगे। मैं समझता हूं कि अगर हम गौर करें तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह काम हमारे लिये न सिर्फ गैरजरूरी है बल्कि निहायत खतरनाक है। यह एक ऐसा काम है, यह एक ऐसा कदम जिसको उठाने से शायद डेमोक्रेसी अपनी जगह पर फेल हो जाय। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नयी है। यही वजह है कि हमको बड़ी अहतियात से फूंक-फूंक कर कदम रखना चाहिये। हमें ऐसे ट्रेडीशंस और कनवेंशंस कायम करने हैं

जिससे यह इमारत आखिर तक पहुंच सके और जो नयी आने वाली नस्लें हैं, वह फख्र करें कि जो इससे पहले लोग आये थे उन्होंने सही किस्म के कनवेंशंस कायम किये जिस पर उन्हें आज काम करना है। मैं यह भी अर्ज करूंगा कि जब डेमोक्रेसी हमारे लिये बिल्कुल एक नयी चीज है और उस नयी चीज को हमें आगे बढ़ाना है। यह सही है कि हमने डेमोक्रेसी पसन्द की है। हमने इसका प्लेज लिया है कि हम इस मुल्क की हुकूमत को डेमोक्रेसी के तरीके पर चलायेंगे। लेकिन वाकयात वाकयात हैं। हम अमली दुनिया में रहते हैं। जो वाकयात हमारे गिर्द होते हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या हमारे सामने उस वक्त दूसरे मुल्कों की मिसालें नहीं हैं। हमारे सामने एक बहुत ही जल्दी की मिसाल मिस्र की, इजिप्ट की मौजूद है। वहाँ हमारे सामने दो महीने पहले तक एक ऐडमिनिस्ट्रेशन था और ऐसा ऐडमिनिस्ट्रेशन था जिसके मुताल्लिक मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि वह कैसा था और उसके क्या उसूल थे उसका क्या स्टेट्स था और क्या उसका असर था ? लेकिन एक शख्स पैदा होता है, जनरल नजीब और वह हुकूमत के अख्तियारात अपने हाथ में लेता है, डिसिप्लिन पैदा करता है, एफीशियेंसी पैदा करता है, करप्शन को दूर करता है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं इस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं कि मैं डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करता, मैं डिक्टेटरशिप में यकीन करता हूं। साथ ही इस दलील की तरदीद इसलिये भी हो जाती है कि बजात खुद जनरल नजीब जिसने यह तमाम किया है वह डेमोक्रेसी का मानने वाला है, वह डिक्टेटर नहीं है। वह पहले मिस्र का एक मिनिस्टर था और अब प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन मैं जिस बात पर एम्फेसिस कर रहा हूं वह यह है कि अगर हमको हुकूमत को सही तरीके पर चलाना है, करप्शन को दूर करना है, इन एफीशियेंसी को दूर करना है, इंडिसप्लिन को अपने यहाँ से नापैद करना है तो हमको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा। हमको इस बात की तरफ देखना पड़ेगा कि हम अपने दिल को मजबूत करके मजबूती से कदम उठायें और जो हम पास करें उस पर कायम रहें। इसलिये कि दुनिया में जहाँ-कहीं भी हुकूमत चलती है वह सख्तगीरी से चलती है। मस्ल भी मशहूर है कि "घी टेढ़ी उंगलियों से ही निकलता है, सीधी उंगलियों से नहीं निकलता।" इस वजह से मैं तो अपनी हुकूमत के सामने यह चीज जरूर अर्ज करूंगा कि मैं इस बात को फख्र के साथ महसूस करता हूं कि और साथ में जरा भी शर्म और नदामत या हिचकिचाहट नहीं हो सकती कि इस हुकूमत ने ५ साल के अन्दर जितना अचीवमेंट करके दिखला दिया वह कोई करके नहीं दिखला सका। इस हुकूमत ने बहुत से काम किये, जिन्हें मैं दोहरा नहीं सकता, चाहे वह सेंट्रल की हुकूमत हो या प्राविंशियल हो। सबसे बड़ा काम जो इस मुल्क में हुआ अभी तक वह यह था कि साथी मुल्क जो पाकिस्तान कायम हुआ है उसी वक्त हुआ जब कि हमारा हिन्दोस्तान कायम हुआ, लेकिन आजतक उनके यहाँ कॉन्स्टीट्यूशन नहीं बन सका। उन्होंने आजतक जनरल एलेक्शन नहीं किया। लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ा कारनामा है कि हमारे यहाँ कांस्टी-ट्यूशन तैयार हो गया, जनरल एलेक्शन हुए, ऐडल्ट फ्रेंचाइज पर हुए और इतना बड़ा एलेक्शन दुनिया की तारीख में नहीं हुआ। इसके बाद फाइव ईयर प्लान है और डेवलपमेंट की बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं। इस तरह से हमारी गवर्नमेंट बड़े-बड़े काम कर रही है। लेकिन साथ ही मैं इस चीज को जरूर मानूंगा कि इस गवर्नमेंट के सामने भी यह चीज रखनी चाहिये कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट से कोई शिकायत तो नहीं, लेकिन शिकवा अगर कोई हो सकता है तो वह यही हो सकता है कि उसने उतनी मजबूती से काम नहीं किया कि जितनी मजबूती से करना चाहिये था। मैं जानता हूं कि इससे जो कुछ मैं कह रहा हूं, यह माने निकाले जा सकें कि एक तो यह कि वाकई जब हुकूमत को डेमोक्रेटिक तरीके पर चलाना है तो हम यह भी उम्मीद करेंगे कि जितने लोग ख्वाह किसी पार्टी से भी ताल्लुक रखते हों लेकिन क्योंकि सूबे और मुल्क की बहबूदी का सवाल है, उसकी तरक्की का सवाल है, उनकी हमदर्दियाँ और उनकी ताईद सब गवर्नमेन्ट के साथ होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस किस्म के मामलात में कि जो मुल्क और

[श्री सुलतान आलम खां]

सूबे की तरक्की और तहफ्फुज से ताल्लुक रखते हैं कोई सत्याग्रह करना या किसी दूसरे तरीके से हुकूमत के ऊपर दबाव या जोर डालना यह किसी सूरत से मुनासिब नहीं है। हाँ हुकूमत से भी मैं इतनी दरख्वास्त करूंगा कि जैसा मैंने कहा है कि मुझे अगर हुकूमत से कोई शिकवा है तो वह यह है कि बावजूद इतने कारनामों के उसने अबतक जो कुछ किया है वह मजबूती से नहीं किया जितनी मजबूती से करना चाहिये था। मैं नहीं कह सकता कि इस मामले में अपोजिशन की क्या राय है? हो सकता है कि एक हो। मैं यह कह सकता हूं कि हुकूमत ने जो सख्ती से काम नहीं किया है हमें भी उसकी शिकायत है। मुमकिन है कि वह यह भी कह सकें कि उन्होंने काफी सख्ती की है लेकिन यह वाकया है और बहुत से लोग इसे महसूस करते हैं कि ज्यादा सख्ती से काम करने की जरूरत है।

जनाबवाला, अगर मुल्क के अन्दर डिसिप्लिन काय्म करना है एफिशियेंसी लानी है करप्शन को रूट आउट करना है तो फिर आप सोचिये कि जिस बैकग्राउंड में हम चल रहे हैं हमारा मुल्क अभी आजाद हुआ है हमको डेमोक्रेसी को सही तरीके से नाफिज करना है अगर हम हर काम के लिये एक कमेटी बना सकें तो कैसे मुमकिन हो सकता है उसमें एफिशियेंसी आ सकती है और हमारी हुकूमत अच्छी तरह से चल सकती है। जहाँ तक कमेटियों का ताल्लुक है मेरा विचार इसके मुताल्लिक बहुत अच्छा नहीं है। मैं यह समझता हूं कि बहुत सी कमेटियाँ बनाना कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं होता इसलिये कि कमेटी में किसी चीज को भेज देने के माने यह होते हैं कि उस काम में देर लगे और उस काम में मुमकिन हो सकता है कि इतनी देर हो जाय कि जिस में उसका करना न करना बराबर हो जाय। एक बहुत ही जाहिर चीज यह है कि 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड'। अगर हमें जस्टिस करनी है अगर हमें इंसाफ करना है अगर हमें तरक्की करना है अगर हमें सही रास्ता निकालना है तो हमको मजबूती के साथ सख्ती के साथ बिला रू-रिआयत के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर इस उसूल के ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर इस चीज को गौर करें तो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि जहाँ तक बड़े-बड़े कामों का ताल्लुक है, जहाँ तक बुनियादी कामों का ताल्लुक है और बिलखुसूस ऐसे कामों का ताल्लुक है जो डिसिप्लिन से ताल्लुक रखते हैं उसमें इस किस्म की बहुत से आदमियों की कमेटी को बना देना मुनासिब नहीं होगा और इससे बजाय इसके कि काम में कोई सहूलियत पैदा हो, काम जल्दी निपटे, काम में देर होगी और काम में ज्यादा मुश्किलात पैदा होंगी। जनाबवाला, न सिर्फ इस मुल्क के अन्दर बल्कि अगर बाहर के मुल्कों पर नजर डाली जाय तो उन मुल्कों में भी हम इस चीज को पायेंगे कि जहाँ तक अन्दरूनी मामलात का ताल्लुक है जहाँ तक अफसरान का ताल्लुक है, मातहतान का ताल्लुक है इस किस्म की कमेटियाँ बनायी नहीं जातीं इसलिये कि हुकूमत तो वह चीज है जो डिमोक्रेसी में बदलती रहती है। आज हम लोग इस तरफ बैठे हुये हैं। हो सकता है कि कल हमारे दोस्त लाल टोपी पहनकर इधर आकर बैठें और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमारे दोस्त जो उधर बैठे हैं वह अगर इधर आ करके बैठें तो जो अमेंडमेन्ट आज उन्होंने पेश किया है उसको शायद वह इनकार्पोरेट नहीं करेंगे। हो सकता है कि कोई दूसरे लोग जो उन कुर्सियों में असर है उससे मुतास्सिर होकर इसको पेश करके सामने लायें। इसलिये मैं समझता हूं कि जहाँ तक इस अमेंडमेंट का ताल्लुक है यह बहुत ही गैरजरूरी है। गवर्नमेन्ट की नीयत के मुताल्लिक अपोजिशन ने एक लफ्ज नहीं कहा है। उनकी तरफ से बहुत से माकूल अमेंडमेंट आये जिन को माननीय मंत्री ने फौरन कबूल कर लिया लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत ही बुनियादी सवाल है और इसको तरीके पर यहाँ पेश करके इस तरह की कोशिश करना कि यह मंजूर हो जाय, किसी सूरत से मुनासिब नहीं मालूम होता।

एक बात मेरे दोस्त श्री गेंदा सिंह जी ने फरमाई। मैं गेंदा सिंह जी की बड़ी इज्जत करता हूं। वह जब बोलते हैं तो बहुत माकूल बात कहते हैं। उन्होंने अपने भाषण में यह फरमाया कि जिलों के अन्दर एंटी-करप्शन कमेटीज बन गयी हैं और जब हमने इसमें इस उसूल को मान लिया है कि एंटी-करप्शन कमेटीज जिलों में हों तो फिर क्या वजह है कि इस उसूल के मातहत एक कमेटी न बनायी जाय। मैं अपने दोस्त को यह याद दिलाऊंगा कि एंटी-करप्शन कमेटी और एंटी-डिसिप्लिनरी कमेटी में बहुत बड़ा फर्क है। एंटी-करप्शन कमेटी का काम क्या है? उसका काम सिर्फ यह है कि वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात में मदद दें कि करप्शन जिले से रूट आउट किया जा सके उस कमेटी का यह काम है कि वह प्रोपेगैंडा करे और अगर हो सके तो हुक्काम को और पुलिस को, करप्शन करने वालों को गिरफ्तार करने में और उनके खिलाफ केस चलाने में मदद दे। एंटी-करप्शन कमेटी के काम का जहाँ तक ताल्लुक है वह पुलिस ऐक्शन का काम है, पब्लिसिटी का काम है। यह वह फंक्शन है जो एंटी-करप्शन कमेटी जिले में अंजाम देती है लेकिन यह कमेटी जिसका कि हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं यह उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यह कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो फैसला देगी और जो यह फैसला देगी कि डिसिप्लिन के मातहत क्या कार्यवाही हो। डिसिप्लिन के अन्दर बहुत से मामलात आते हैं उसमें तबादिले भी आते हैं, पोस्टिंग भी आती है, बरखास्तगी भी आती है, जेल की सजा भी आती है और इस तरह सभी कुछ आ जाता है। तो इस कमेटी में और एंटी-करप्शन कमेटी में जमीन आसमान का फर्क है। इस वजह से मैं उनसे यह दरख्वास्त करूंगा कि वह इस मसले पर फिर गौर करें और वह इस मामले के हर पहलू पर गौर करें और मुझे यकीन है कि अगर वह इस मामले पर गौर करेंगे तो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस किस्म का प्राविजन इन रूल्स के अन्दर इनकार्पोरेट करना कुछ ज्यादा मुनासिब बात नहीं होगी बल्कि इससे उन दिक्कतों में कमी होने के बजाय जिनकी तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान है ज्यादा रुकावटें, दिक्कतें और दुश्वारियाँ बढ़ जायंगी। इन मुख्तसिर अल्फाज के साथ मैं इस अमेंडमेंट की मुखालिफत करता हूं और मैं यकीन करता हूं कि माननीय सदस्य इसे वापस ले लेंगे।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, अपने पूर्व वक्ता माननीय सदस्य का आदेश पालन करते हुये और इन पाँच साल में सरकार ने जो डेवलपमेंट में काम किया है उसकी तारीफ करते हुये उसके ऊपर उनको बधाई देते हुये और उनको शाबासी देते हुये मैं इस संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस संशोधन के विरोध में माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा, उसे सुन कर मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह विरोध केवल एक भ्रमवश है और पहले इसके कि मैं कुछ और निवेदन करूं, मैं आपके द्वारा अपने उन माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि उनकी इन शंकाओं में, डर में और भ्रम में अगर कुछ भी सच्चाई हो तो यह संशोधन अवश्य इस लायक था कि नोच कर फेंक दिया जाता। परन्तु श्रीमन् हमें देखना यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने विरोध किया है उनकी क्या शंकायें हैं, क्या डर है और क्या भ्रम है। माननीय सदस्य, मथुरा ने यह कहा था कि यह संशोधन तो जो यह बिल है या जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनके स्कोप को बढ़ाता है। श्रीमन्, माननीय मंत्री ने अभी पिछले एक संशोधन पर उत्तर देते हुये कहा था कि इन कमेटीज का स्कोप केवल कंसलटेटिव है यदि कंसलटेटिव स्कोप के अन्दर ही हम इस कमेटी का कुछ और स्कोप बढ़ा दें और कंसलटेटिव स्कोप से बाहर न जायं तो मैं समझता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को या सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यदि इस कमेटी का स्कोप कंसलटेटिव है यदि सरकार यह मानती है और चाहती है कि यह कमेटी माननीय मंत्रियों को परामर्श कुछ चीजों में दे और हम यह कहें कि उन चीजों में एक यह चीज और बढ़ा दी जाय तो मैं समझता हूं कि कंसलटेटिव हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब श्रीमान् बहुत सी बातें भ्रमवश कही गयीं कि जब देश की यह हालत है कि यहाँ पर करप्शन, इनएफिशिएंसी, सिफारिशबाजी इतनी चलती है और यह भी

[श्री सुरेश प्रकाश सिंह]

कहा गया। मैं बड़े दुःख के साथ कहता हूं कि हमारे एम० एल० ए० लोगों की यह हालत है कि शायद हम उससे उन लोगों के वश में आ जाते हैं या उन लोगों की सिफारिशें करने लग जाते हैं तो ऐसी हालत में अनुशासन के प्रश्न पर इस कमेटी को कोई भी हक हस्तक्षेप का नहीं रहना चाहिये। श्रीमन्, हस्तक्षेप का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पर प्रश्न तो यह है कि माननीय मंत्री यदि पसन्द करें तो एक किसी प्रश्न को वह कमेटी के सामने लायें या उस कमेटी का कोई सदस्य अगर चाहे तो माननीय मंत्री से आदेश लेने के बाद वह किसी चीज को सामने रख सकता है। अब हमें देखना है कि जब उसमें से हम अनुशासन निकाल दें या कमेटी के परामर्श के स्कोप में हम अनुशासन को भी ले आयें तो क्या फर्क पड़ जाता है। हमारे माननीय सदस्य प्रतापगढ़ ने यहाँ के मेडिकल कालेज का उदाहरण दिया। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि उन्होंने मेडिकल कालेज का उदाहरण दिया क्योंकि मैं भी वही उदाहरण देने जा रहा था। श्रीमन्, मान लें कि मेडिकल कालेज एक सरकारी अस्पताल होता और जो वहाँ पर बातें हुई थीं उन्हें देखकर माननीय मंत्री यह पसन्द करते कि इस मामले में लाओ हम अपनी जो यह स्टैंडिंग कमेटी है उससे भी क्यों न राय ले लें और अगर वह यह परामर्श चाहते इस कमेटी से कि इस मामले में क्या होना चाहिये और उस पर कमेटी के सदस्य अपनी-अपनी राय देते तो मैं नहीं जानता कि कहाँ से डाक्टर माथुर छूट जाते, कहाँ से जो डिसिप्लिनरी ऐक्शन और डाक्टरों के ऊपर हुआ है वह न लिया जाता। माननीय सदस्य प्रतापगढ़ ने जो कहा कि इतने कड़े अनुशासन का कदम शायद न बढ़ाया जाता अगर यह मामला स्टैंडिंग कमेटी के सामने न आता तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

मैं तो यह समझता हूं कि इतना बड़ा कदम और अच्छा कदम इसलिये उठाया गया कि उसमें सरकार का हाथ नहीं था। इसलिये यह कदम उठाया गया कि इसमें गवर्नर महोदय का हाथ था और उनके विचाराधीन यह चीज थी तो उन्होंने सख्ती के साथ यह कदम उठाया है। नहीं तो कौन नहीं जानता कि कुछ सालों से इस भवन के अन्दर और बाहर भी अखबारों में मेडिकल कालेज के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी और एक कोहराम मचा हुआ था। लेकिन सरकार ने उसके खिलाफ क्या कर लिया। लेकिन जब आँधी आई तो सरकार से अलग उसका इंतजाम गवर्नर महोदय ने किया। आपने देखा होगा कि ऐसी कार्यवाही हुई कि सदन का ही एक माननीय सदस्य ही नहीं, बल्कि सूबे का हर आदमी उससे खुश और संतुष्ट है।

श्रीमन्, कहा यह गया कि श्री वीरेन्द्र शाह जी ने एक मर्ज बतलाया और उसकी दवा जो बतलाई तो वह मर्ज और भी बढ़ा। माननीय सदस्य, प्रतापगढ़ ने यह कहा कि उनका आक्षेप यह है कि यह एम० एल० ए० राज्य है। आजकल भवन के माननीय सदस्य मिनिस्टरों के पास या अफसरों के पास यह सिफारिश लेकर जाते हैं कि बंदूक का लाइसेंस मिल जाय या ट्रक का परमिट मिल जाय। लेकिन वहाँ वह कभी नहीं जाते कि फलाँ जगह ट्यूब-वेल्स बनवा दिये जायं, फलाँ जगह अस्पताल बनवा दिये जायं।

श्रीमन्, मैं यह देखता हूं कि यह आक्षेप काँग्रेसी सदस्यों के ऊपर है। इसलिये कि ४३० सदस्यों के सदन में ३९० सदस्य काँग्रेस के हैं। यदि कहा जायगा तो उन्हीं के लिये कहा जायगा। यह कहा गया कि माननीय सदस्य इस तरह की सिफारिश नहीं ले जाते हैं जो डेवलपमेंट के कार्य हों या जनहित के कार्य हों जैसे कुछ स्कूल बढ़ाये जायं या अस्पताल खुलवाये जायं बल्कि बंदूकों के लाइसेंस और ट्रक्स वगैरा के परमिटों के लिये कहा जाता है।

श्रीमन्, स्टैंडिंग कमेटीज में जो सदस्य जायंगे वह सदन के ही माननीय सदस्य होंगे। यदि यहाँ के माननीय सदस्यों पर यह आक्षेप है और यदि उसमें कुछ सच्चाई में है तो हम स्टैंडिंग कमेटीज को तो छोड़ दीजिये, इस लायक नहीं हैं कि भवन में खड़े होकर

कुछ कह सकें। अगर हमारे पास सिफारिशें आती हैं और हम इस काबिल नहीं हैं कि हम देखें कि कौन सी सिफारिशें ऐसी हैं कि जिनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाई जाय। अगर हम इस काबिल नहीं हैं कि छटनी कर सकें कि कौन सी सिफारिशें ऐसी हैं जिनमें कि कोई निरपराध सताया जा रहा हो तो उसको बचाने के लिये सिफारिश करें या यह कि किसी ने कोई गलत कार्य किया है तो उसको बचाने के लिये सिफारिश करें। यदि हम सिफारिशों में से छंटनी नहीं कर सकते तो स्टैंडिंग कमेटीज में जाने की बात तो दूर, हमें भवन में आना ही नहीं चाहिये। लेकिन जब हम आये हैं और कैसे आये हैं। पूरे प्रजातंत्र के अन्दर एक चुनाव के द्वारा आये हैं। इतना बड़ा कदम उठाया गया और फिर यह कहा जाय कि अभी हम इस काबिल नहीं हैं कि हम सरकार को अनुशासन के प्रश्न पर परामर्श दे सकें तो मेरी समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो जम्हूरियत की डींग मारें और फिर यह कहें की इसके क्या माने हैं। स्वतंत्रता के बाद एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर इतना बड़ा कदम उठाया तो उसके बनिस्बत कोई दूसरा तरीका करना चाहिये था सरकार को अपने हाथ में कोई ताकत रखनी चाहिये तब तो मैं समझता कि ठीक है क्योंकि श्रीमन् मैं साफ कह देना चाहता हूं कि इस समय जो फुल प्लेज्ड डेमोक्रेसी लादी गई है मैं उसको कदापि पसन्द नहीं करता हूं।

मैं उनमें से हूं जो यह कहते हैं कि यह देश अभी जम्हूरियत के काबिल नहीं है। हो सकता है बहुत से यह कहते हों कि यहाँ पर जम्हूरियत होनी चाहिये लेकिन मैं इसके बिलकुल खिलाफ हूं। जब सरकार को पसन्द आवे या उनको सूट करे उस वक्त तो जम्हूरियत यहाँ पर होनी चाहिये और जब पसन्द न आवे तो तब नहीं होनी चाहिये। तो श्रीमन्, किस पार्टी ने यहाँ पर इस जम्हूरियत का भार इस देश पर लादा है। वह कदम बढ़ाने के बाद अब बहुत देर हो गयी है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि अब हालत ऐसी नहीं है कि हमारी डेमोक्रेसी के अन्दर अगर १४–१५ सदस्यों की यह कमेटी बैठेगी तो वह इस काबिल नहीं है कि अनुशासन के प्रश्न पर सरकार को अपना परामर्श दे। श्रीमन्, मैं बैठने के पहले इस बात को दोहरा देना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी बात होगी कि जिसके बारे में वह मंत्रियों को परामर्श देंगे। वह वही चीज होगी जो माननीय मंत्री रखना चाहेंगे या कोई माननीय सदस्य माननीय मंत्री के आदेशानुसार उसमें ला सकेगा। इसके मायने यह होते हैं कि अनुशासन के मामले में मैजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेन्ट पुलिस के अनुशासन के प्रश्न पर उनको परामर्श देने लग जायगी? वह कौन सा उसूल होगा कि जिसके अन्तर्गत स्थायी समिति में परामर्श के लिये लाये जा सकते हैं। उसमें पूरा अधिकार माननीय मंत्री जी का है। जिस चीज को वह चाहें और जिसको अहमियत देना चाहें वह दे सकते हैं और वह उस कमेटी में आयेगा। उनके बगैर पूछे हुये कोई कार्य नहीं कर सकता है। फिर समझ में नहीं आता कि इस सदन के माननीय सदस्य क्यों इतने गर्म होने लग गये। मान लीजिये कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के तबादले की बात है या मान लीजिये कि पुलिस विभाग के किसी कर्मचारी के तबादले की बात है तो क्या हमारे पास दौड़ धूप करने से उसका तबादला रुक जायगा। दूसरी बात यह है कि क्या इस वक्त भी किसी मामले के लिये दौड़–धूप नहीं होती, सिफारिश के लिये कोशिश नहीं होती और क्या आजकल सिफारिश नहीं की जाती। इसलिये इस प्रकार से इन्नोसेन्ट चीज को इस अनुशासन के मामले में रख देना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। यदि माननीय मंत्री पसन्द करेंगे तो वह परामर्श ले सकते हैं और कमेटी राय दे सकती है उसमें कौन सी अन्याय की बात है और क्या सोसाइटी के खिलाफ हो जायगा और इससे क्या धक्का जम्हूरियत को लगेगा?

श्री चन्द्र सिंह रावत––उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर, जो सदन के सामने उपस्थित है, विरोधी दल के माननीय सदस्यों का उत्तर देना चाहता हूं और इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो दलील और तकरीर इस सदन में उन्होंने उपस्थित की है उन्हीं दलीलों और तकरीरों को लेकर मैं यह बताऊंगा कि उन्होंने अपने पक्ष को उन

[श्री चन्द्र सिंह रावत]

दलीलों और तकरीरों से बहुत कमजोर बना दिया है। सब से बड़ा एक तर्क यह है कि इन्सान के अन्दर कमजोरी होती है। यह बिलकुल सही बात है और हरएक माननीय सदस्य इस बात को कबूल करेगा। फिर उनका तर्क आगे बढ़ता है कि मिनिस्टर साहब के अन्दर भी कमजोरी होती है। इससे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ एक कमजोरी का दरबार हमारे विरोधीदल को नजर आता है तो वह एक मर्तबा सब कमजोरियों का दरबार उस परामर्शदात्री समिति में एकट्ठा हो जायगा जहाँ पर १० सदस्य इकट्ठा हो जायेंगे। तो जो खतरा उनको मिनिस्टर साहब में नजर आता है वह खतरा उनके लिये १० गुना बढ़ जायगा। । इसलिये मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनकी दलील और तर्क के मुताबिक यह प्रस्ताव गलत हो जायेगा जब कि उसका खतरा १० गुना बढ़ जायगा।

दूसरे यह बताया जाता है कि अगर यह संशोधन नामंजूर कर दिया जायगा तो आखिर सिफारिशें तो होती ही हैं तो अगर दस आदमियों को रख दिया जायेगा तो सिफारिशें भी जैसे तैसे होती चली जायंगी। बात तो थोड़ी बहुत सही नजर आती है लेकिन प्रश्न यह है कि दुनिया ने तजुर्बे से जो सीखा है और आजाद राष्ट्रों की सरकारों ने जो तजुर्बे से कानून की व्यवस्था की है? क्या उससे लाभ उठाया न जाय? माननीय गेंदा सिंह ने जो प्रश्न किया था कि कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे? मैं उसका जवाब देता हूं यह तो बहुत पुराना सवाल है और दुनिया इसका कई बार जवाब दे चुकी है और उसका बहुत सरल सा एक जवाब है, "पाथ आफ दि लिस्ट रेसटिंक्शन्स" सब से कम बाधाओं का रास्ता अख्तियार करेंगे। हम ऐसी शासन पद्धति, नियम और व्यवस्था पर चलेंगे और बनावेंगे जिसमें सब से कम कमजोरी हो, चाहे नौकरी के ट्रान्सफर का सवाल हो। हम हर चीज में वह रास्ता पकड़ना चाहते हैं कि जिसमें कम से कम रोड़े हों और कम से कम कमजोरियाँ हों। जो रास्ता लीस्ट ईविल का होगा उसी को हम लेंगे। जब कि और कोई रास्ता खुला नहीं है और ईविल्स में से च्वाइस करनी है तो हम उस ईविल को चुनेंगे जो सब से छोटी कमजोरी होगी या सब से छोटा ईविल होगा। चाहे उस रास्ते में थोड़ी अड़चन या रुकावट ही क्यों न हो लेकिन जिससे सबसे अधिक जनता के हित का सम्पादन होगा उसी को हम अपनावेंगे। दुनिया की जितनी सरकारें और पद्धतियाँ हैं उन सब में चाहे वह डिक्टेटरशिप हो, कम्युनिज्म हो, या डेमोक्रेसी हो या कोई इज्म हो या कोई क्रेसी हो सबने तजुर्बे से यही व्यवस्था अपनाई है कि जहाँ पर एक्जिक्यूटिव पावर्स के इस्तेमाल की बात है वह सब सरकार ने अपने हाथ में रखी हैं और वह है सब से कम ईविल का तरीका। जब कि ईविल्स के दरम्यान ही च्वाइस है तो अच्छा यही है कि हम एक ही आदमी की कमजोरी की गुंजायश रखें और यदि वह सद्भावना और सत्यता से काम करे तो अवश्य इंसाफ होगा और न्याय से शासन चलेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि जो दलील विरोधी दल की ओर से पेश हुई है वह इतनी कमजोर है कि उसने अपने लड़खड़ाते हुये पाँवों के नीचे से जमीन भी खिसका दी है। मैं बतलाना चाहता हूं कि इसमें एक और भी तरीका हो सकता है जो कि बहुत जबरदस्त है और जो कि हमारे पक्ष को और जोरदार बनाता है। आप को मालूम है और हमारा हर सदस्य यह जानता है कि मिनिस्टर एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है और उनकी एक बड़ी स्टेट्स (states) भी है कि कहीं मिनिस्ट्री न छिन जाय और यह वेतन खत्म न हो जाय और उनका जो यहाँ सम्मान है जो कि औरों से ऊंचा है उस पर धब्बा न लग जाय और अगर वह गड़बड़ी करें तो जो सभा उनको बैठा सकती है वही उनको उखाड़ सकती है लेकिन परामर्शदात्री समिति के जो सदस्य होंगे उन की क्या स्टेक है वह बहुत छोटा है उनके मुकाबले में। इसलिये आप समझते होंगे कि जहाँ टेक है वहाँ जिम्मेदारियाँ भी बड़ी होंगी। वह आदमी उतनी ही ज्यादा सतर्कता औसर जिम्मेदारी से काम करता है। इसलिये मैं समझता हूं कि अगर एक्जिक्यूटिव

की तमाम जिम्मेदारी एक जिम्मेदार आदमी के हाथ में छोड़ दी जाती है तो वह बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस काम का सम्पादन करता है, क्योंकि कार्य बिगड़ने पर उसकी ख्याति पर प्रभाव पड़ता है।

इसलिये इस प्रकार की अंधी और लंगड़ी दलील जिनकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है इस प्रकार से वे न्याय के रास्ते में अग्रसर नहीं हो सकते और वे इस ओर बेकार ही कोशिश करते हैं। अगर कोई घोड़ा लंगड़ा है आप कितनी ही कोशिश उसको रेस में दौड़ाने की कीजिये आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। वह हमेशा ही पिछड़ जायगा। मैं इसमें श्री नारायण दत्त जी का कोई बैड मोटिव है, ऐसा नहीं कहता हूं। इसके लिये तो मैं उनकी प्रशंसा ही करूंगा कि वे ऐसा अमेंडमेंट लाये। अभी वे छोटी उम्र के हैं। अभी तो उनकी बुद्धि का विकास होने जा रहा है। अभी वह पूरी विकसित नहीं हुई। यह तो उनकी प्रशंसा की बात है कि उन्होंने इतनी हिम्मत तो की कि इस प्रकार का एक अमेंडमेंट वे सदन के सामने लाये। लेकिन अब जो सदन में बहुत सी बातें बतायी गयी हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, जस्टिस को देखते हुए तथा अपने पक्ष को कमजोर समझ कर अब उन्हें अपने इस अमेंडमेंट को वापिस ले लेना चाहिये और सदन का समय बरबाद होने से बचाना चाहिये। यह साबित करेगा कि सदन के सदस्य पढ़े-लिखे हैं, तजुर्बेकार हैं, जनता की भलाई चाहते हैं। हम इस प्रकार से जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। मुझे आशा है कि वे अपना अमेंडमेंट वापिस ले लेंगे।

श्री व्रज बिहारी मिश्र---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---मैं इसका विरोध करता हूं। अभी तो कुछ सदस्य और बोलना चाहते हैं।

श्री सैयद अली ज़हीर---अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है कि मामला इतना सहल और इतना छोटा था लेकिन उसके ऊपर इतनी बड़ी बहस छिड़ गयी। इसमें वे तमाम उसूल डेमोक्रेसी से और ऐडिमिनिस्ट्रेशन से जिनका ताल्लुक हो सकता है उन पर बहस कर डाली गयी। जो मामला हाउस के सामने पेश है वह सिर्फ इतना है कि जो रूल यहाँ बनाये गये हैं, जो मशविरे वाली कमेटियां बन रही हैं, उन्हें यह अख्तियार होगा या नहीं की वह अधिकारियों अथवा कर्मचारियों से संबंधित ऐसे व्यक्तिगत विषय जिनका संबंध नियुक्तियों, स्थान नियुक्तियों, स्थान परिवर्तनों अथवा अनुशासन से हो इन मामलों पर गौर करेंगी या नहीं। इस पर तिवारी जी ने यह कहा कि और चीजें तो ठीक हैं लेकिन डिसिप्लिन के मामले में कमेटी को अख्तियार देना चाहिये। जहाँ तक गवर्नमेंट और कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है कांग्रेस पार्टी का भी जिक्र मैं इसके साथ करता हूं। हमारा उसूल यह है कि जहाँ तक मुलाजिमीन का मामला है उन मामलात में मेम्बर साहबान जितना ज्यादा दूर रहें उतना अच्छा है। इसकी वजह यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को कामयाबी के साथ चलाने के लिये यह जरूरी है कि जो काम करने वाले हैं उनको पूरी पूरी आजादी अपने काम करने में हासिल हो। सिवाय कमेटी के सामने के और किसी के सामने वह जवाबदेह न हों। नहीं तो सब मामला ही गुंजलट हो जायगा और कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। लिहाजा इस मामले पर गौर करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो उसूल ऐडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये बनाये हैं उसमें नम्बर ४० पर यह है—

"No member of the party shall take interest in appointments, transfers, promotions or punishments of public servants, but he shall be free to bring complaints against them to the notice of Ministers, heads of departments or district officers"

[दल का कोई सदस्य लोक सेवकों की नियुक्तियों, स्थानान्तरों, पदवृद्धियों या दंड के विषय में रुचि नहीं रखेगा, किन्तु वह उनके विरुद्ध शिकायतें मंत्रियों, विभागाध्यक्षों या जिला अधिकारियों के सामने लाने के लिये स्वतंत्र होगा।]

[श्री सैयद अली जहीर]

तो मेरे कहने का मंशा यह है कि यह उसूल है वह हमने अपने लिये बना लिया है, हमने अपने लिये कायदा बना लिया है और उसी पर हम अमल दरामद कर रहे हैं और उसी के मातहत यह रूल बनने जा रहा है। जहां तक डिसिप्लीनरी ऐक्शन वगैरह के मामले होंगे, ट्रांस्फर वगैरह के मामले होंगे ऐसे मामले ऐडवाइजरी कमेटी के सामने पेश हों तो इसका नतीजा यह होगा कि अगर इस तरह से बहुत सी बाडीज, बहुत सी जमातें हो जायंगी तो फिर जो काम करने वाले हैं उनके लिये यह यकीन करना मुश्किल हो जायगा कि वे किस तरह से काम करें और किसके हुक्म पर चलें। किसी के मंशे के खिलाफ कोई बात न हो, नहीं तो आगे चलकर मुश्किल हो जायगी। तो एक अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये ये सब चीजें मुजिर हैं। ज्यादा हवाला देने की जरूरत नहीं है। इसी गरज से हमारा जो कांस्टीट्यूशन है उसी उसूल के मातहत सेंटर के लिये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है और सूबे के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन अलग है और उसी उसूल के मातहत यह रूल भी बनने जा रहा है। इस किस्म की चीजें मुलाजिमीन की कमेटी के स्कोप से बाहर होंगी, उनके सामने इस तरह की चीजें नहीं जायेंगी। तो मेरे ख्याल में इन सब बातों को देखते हुए गवर्नमेंट के लिये इस तरमीम को मंजूर करना ठीक नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह का रूल बना हुआ है उसी तरह से रूल को यह हाउस मंजूर करे।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। अभी श्रीमान् के सम्मुख क्लोजर मूव किया गया था, उसके पश्चात् श्रीमान् ने माननीय न्याय मंत्री जी को बोलने के लिये आह्वान किया। इसके पश्चात् रूल के अनुसार केवल जो प्रस्तावक महोदय हैं उन्हीं को अधिकार दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को दो बार बोलने का अधिकार है। मैंने उनको इसलिये मौका दिया कि वे अपनी परिस्थिति को स्पष्ट कर दें। मैं सिर्फ एक मौका और विरोधी दल को देना चाहता हूं। उसके बाद मैं क्लोजर पर हाउस की राय ले लूंगा।

श्री झारखंडे राय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय न्याय मंत्री जी ने मेरी समझ में इस बिल को पेश करके हाउस में बहुत बड़ा अन्याय किया है। जैसा अन्याय उन्होंने अब तक इस हाउस में मेरी राय में नहीं किया था।

उपाध्यक्ष--यह बिल नहीं है। यह तो नियमों की स्वीकृति का संकल्प है।

श्री झारखंडे राय--इस बिल के अनुसार एक तरफ.....।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि यह बिल है।

उपाध्यक्ष--मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री शिव नारायण--अभी माननीय सदस्य ने फिर बिल कहा।

श्री झारखंडे राय--इस गलती के लिये मैं क्षमा चाहता हूं और इसे प्वायंट आउट करने के लिये श्री शिव नारायण जी को धन्यवाद देता हूं।

तो, माननीय न्याय मंत्री जी ने इस संकल्प को पेश करके एक हाथ से कुछ अधिकार देने की कोशिश की है तो दूसरे हाथ से उस अधिकार को लेने की भी कुचेष्टा की। मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो अधिकार हम लोगों के हाथों में आयेगा वह कुल मिला करके कुछ नहीं सा है। जहाँ पर अधिकार देने की बात है, वहाँ पर काफ़ी लम्बी-चौड़ी बातें की गयी हैं लेकिन, दूसरी ओर जहाँ पर प्रतिबन्ध है, उन प्रतिबन्ध के जरिये जो कुछ पहले दिया गया था, सब छीन

लिया गया है। मेरी समझ में यह काँग्रेसी सदस्यों के भीतर, काँग्रेस पार्टी के भीतर जो असन्तोष है, यह तो निश्चित है कि जब यह संकल्प स्वीकार हो जायगा और विभागों की सभी कमेटियों का चुनाव होगा तो काँग्रेस के लोगों में से ही इनमें अधिक सदस्य चुने जायंगे। इसका मतलब होगा कि काँग्रेसी सदस्यों के भीतर जो असंतोष है उनके भीतर जो गुटबन्दी और पार्टीबाजी है और अलग अलग दरबार वाले लोग हैं, और इस वजह से उनके अन्दर एक दरार तथा फिशर है और इसके कारण काँग्रेस संस्था को दिक्कत पड़ रही है, उस असंतोष को थोड़े समय के लिये दूसरी ओर मोड़ देने का न्याय मन्त्री जी का यह होशियारी से भरा हुआ संकल्प है। जहाँ तक कि करप्शन की बात की जाती है, किस तरह से करप्शन दूर होगा इसके लिये मैं आपके सामने माननीय उपाध्यक्ष महोदय दो तीन बातें कहना चाहता हूं। यों तो मैं महसूस करता हूं कि हम लोग हिन्दुस्तान के रहने वाले एक महान देश के निवासी हैं। हमारे पड़ोस में एक दूसरा इतना ही महान देश चीन का है। चीन के नाम से हमारे बहुत से भाई भड़क जाते हैं, मैं इस बात को नहीं समझ पाता कि क्यों। जैसे हम अपने एक पड़ोसी की गलती को देखकर सोचते हैं कि हम ऐसी गलती न करें फिर उसी तरीके से हम अपने महान पड़ोसी की प्रगति को देखकर, उसकी उन्नति को देखकर क्यों न सोचें कि हम भी उसी रास्ते पर चल कर या उस रास्ते में थोड़ा सा परिवर्तन करके, जो रास्ता हमारे देश के अनुकूल हो, उस पर चल कर, उसी प्रगति की तरफ आगे बढ़ें, अभी अभी डाक्टर अमरनाथ झा जी ने बड़ौदा में जो बयान दिया है, चीन से लौटने के बाद, और उन्होंने ऐसे बहुत से बयान दिये हैं, कई बार अखबारों में भी छापा किया है डाक्टर जे० सी० कुमारप्पा तथा पंडित सुन्दरलाल जैसे निर्भीक गाँधीवादी जो किसी दलविशेष के नहीं हैं, जो किसी समाजवाद, साम्यवाद के मानने वाले नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी वहाँ से लौटकर वहाँ की वास्तविकता को देखकर जो कुछ हमारे सामने रखा है, उसको देखते हुये हमें मजबूर होना पड़ता है कि हम उस महान चीन के देश को देखें और समझें उन्होंने साफ साफ कहा है कि उस महान देश ने दो सालों के अन्दर जो प्रगति की है वह हमारे देश में काँग्रेस राज्य पिछले पाँच सालों के अन्दर भी नहीं कर पाई है। यह कठोर सत्य है। उन्होंने कहा कि आज उस देश में भुखमरी नहीं है, भिखमंगे नहीं हैं, वहाँ से वेश्यावृत्ति बिलकुल खत्म हो गई है। उस देश में अब भ्रष्टाचार और दुराचार की बात रह नहीं गयी है। दो तीन सालों के अन्दर उन्होंने करप्शन को अच्छी तरह से वाइप आउट कर दिया और उन्होंने क्या क्या नहीं किया है? बुजुर्ग मन्त्रीगण ६ सालों से जो मंत्री बने बैठे हुए हैं उन्होंने विभिन्न पदों पर, विभिन्न परिस्थितियों में काम किया है। यहाँ पर इस प्रदेश में काँग्रेस सरकार को क़ायम हुये ६ साल हो गये और पूरे देश में ५ वर्ष हो गये लेकिन आज तक न तो यह भुखमरी-भिखमंगी गई और न भ्रष्टाचार।

उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि वे संशोधन पर ही भाषण दें।

श्री झारखंडे राय--इस संकल्प को पढ़ते वक्त मैंने कुछ ऐसा ही सोचा था लेकिन यहां पर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके कारण मुझे यह सब कहना पड़ रहा है। मैं कहता हूं कि चीन से हम सबको सबक लेना चाहिये। तब तक करप्शन दूर नहीं होगा जब तक कि छोटी तनख्वाह वालों की तनख्वाहें बढ़ाई नहीं जायेंगी, जब तक जनता के सच्चे सेवकों को विश्वास में नहीं लिया जायगा, जब तक गैर सरकारी संस्थाओं और असरकारी पार्टी के सदस्यों को विश्वास में नहीं लिया जायगा और वे सरकार से मिलकर, जो आफिसर्स करप्टेड हैं, जो अधिकारी घूस लेते हैं, या और तरह के दुराचार करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही न करें, तब तक हम समझते हैं केवल एक प्रस्ताव करने से, एक संकल्प कर देने मात्र से, कुछ थोड़े से आदमियों का लाभ भले ही हो जाय लेकिन उससे कोई विशेष फायदा जनता का नहीं होगा। हमारे कुछ उस ओर के साथी और खास करके माननीय रामनरेश जी शुक्ल इसकी चर्चा करते हुए नहीं भूलते और कांग्रेस की तरफ ऐसे बहुत से भाई हैं, जो कहते हैं कि न हम अमेरिका के पथ पर चलना चाहते हैं और न सोवियट के पथ पर चलना चाहते हैं, तो मैं पूछता हूं फिर आप क्या चाहते हैं त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहना। कौन सा तीसरा पथ है। एक पूंजीवाद का पथ है और

[श्री झारखंडे राय]

दूसरा साम्यवाद का, जनवाद का पथ है। एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वे आफ लाइफ है, और दूसरा कैपिटलिस्ट वे आफ लाइफ है। दो ही फिलासिफीज आफ लाइफ हैं। जीवन के दो ही दर्शन पथ हैं दोनों में से आपको एक चुनना पड़ेगा जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। मैं समझता हूं कि इस तरीके से मसले को टाल कर, और अनावश्यक बातों पर हाउस का समय बरबाद करने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। जो संकल्प रतनलाल जी जैन बहुत पहले पेश कर चुके हैं वह कल हमारे सामने आने वाला है। उसमें एक सुझाव बहुत सुन्दर है कि हर जिले में पांच आदमियों का एक गैर सरकारी बोर्ड बनाया जाय जिसमें कलेक्टर और सुपरिंटेंडेंट पुलिस को छोड़कर तीन ऐसे ईमानदार आदमी हों जिन पर जनता को विश्वास हो कि वे लोग पक्षपात नहीं रखते हैं और उनके अधिकार में यह कार्य दिया जाय कि वे निम्न कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश करें। अगर भ्रष्टाचार दूर करने के लिये गवर्नमेंट कोई कमेटी बना सके तो यह सरकार सोचे और मैं माननीय मंत्री जी से इसके जवाब की आशा करूंगा। सन् ४२ में जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाया, जिन्होंने हिन्दुस्तान को गुलाम बनाये रखने में अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने हिन्दुस्तान में अंग्रेजों को बनाये रखने में कुछ भी उठा नहीं रखा। जिन लोगों के बारे में पं० जवाहरलाल नेहरू, माननीय पं० गोविन्दवल्लभ पन्त, किदवाई साहब या दूसरे प्रान्त के या देश के जाने हुए नेता बलिया, गाजीपुर, जौनपुर में जा जाकर उन्होंने व्याख्यान दिये कि ऐसे लोगों को जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों के साथ गद्दारी की है उनको नौकरी से अलग किया जायगा, बलिया के खूनियों को फांसी पर लटकाया जायगा।

उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि वह संशोधन का समर्थन कर रहे हैं या कोई और बात कर रहे हैं?

श्री झारखंडे राय--मैं जिन बातों का माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिक्र कर रहा हूं, उनमें मैं सरकारी बेंचों की तरफ से जो जो बातें उठायी गयी हैं, उनको थोड़ा थोड़ा जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं।

उन ४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन के गद्दारों को।

उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य जो बातें कह रहे हैं उसका कोई सीधा संबंध इस संशोधन से नहीं है। इसलिये मैं इसकी आज्ञा नहीं दे सकता।

श्री झारखंडे राय--मैंने इसलिये यह बात कही कि जब ऐसे बड़े-बड़े अधिकारी निर्द्वन्द्व काम कर रहे हैं। आज टी जडेल जैसे हत्यारे मूछों पर ताव दे कर कांग्रेस सरकार के राज्य में ....

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने इस बात का निर्णय दे दिया कि जो बात हमारे माननीय मित्र कह रहे हैं वह तरमीम से कोई संबंध नहीं रखती। उसके बाद हमारे मित्र का यह फर्ज था कि उस हुक्म का पालन करें। चूंकि हमारे मित्र उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय माननीय मित्र को रोकें।

उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि ....।

श्री झारखंडे राय--चूंकि करप्शन का जिक्र इस सदन में आया ....।

उपाध्यक्ष--संशोधन में करप्शन का जिक्र नहीं है। संशोधन पर आप अपना भाषण दें।

श्री झारखंडे राय--करप्शन जब होता है तो अनुशासन नहीं रह सकता, अनुशासन के लिये भ्रष्टाचार दूर होने की बहुत जरूरी शर्त है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह विषय प्रासंगिक है और मैंने माननीय उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा की अवहेलना कतई नहीं की

है। मैं उन बातों का जिक्र करना चाहता हूं कि जो अनुशासन के दायरे से बाहर भी नहीं हैं और जिनका अनुशासन पर बहुत असर पड़ता है।

मैं सिर्फ यह कह रहा था कि बड़े अपराधी जब निर्द्वंद घूमते हैं तो छोटे-छोटे अधिकारियों को राह मिलती है कि वे भ्रष्टाचार करें। इस वजह से ही अनुशासन हीनता सरकारी यंत्र के अन्दर आती है। माननीय मंत्री जी से मैं इसलिये निवेदन करूंगा कि मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं।

एक बात मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने माननीय मंत्री जी से सीधे पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जिस जिले के रहने वाले हैं और अन्य मंत्री जिन-जिन जिलों के रहने वाले हैं, सारे सूबे की बात छोड़िए, क्या वह नहीं जानते कि उनके जिलों में कौन ऐसे सरकारी पदाधिकारी हैं या अफसर और कर्मचारी हैं जो बड़े अनुशासनहीन हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, जिसकी वजह से सरकारी मशीन में....।

उपाध्यक्ष--अनुशासनहीनता का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि अनुशासन की कार्यवाही कमेटी में आवे या नहीं। आप जरा संशोधन पर विचार करते हुए अपने भाषण को दें।

श्री झारखंडे राय--मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही कह रहा था कि ऐसे सारे मामले कमेटी के सामने तो आने चाहिए। ऐसे मामलों को कमेटी के आधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल देने से उसका अधिकार कुछ नहीं रह जाता। मेरा मतलब इस विषय को कहने से यह था कि एक ओर अधिकार देने से और दूसरे हाथ से ले लेने से कोई इस संकल्प....।

श्री हुकुम सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान् का निर्णय दूसरा है और हमारे मित्र का निर्णय दूसरा है, तो इस सदन को कौन सा निर्णय मानना चाहिये? श्रीमान् का या माननीय सदस्य का?

श्री झारखंडे राय--मेरा तो कोई निर्णय नहीं हो सकता। मैं तो केवल सदस्य हूं और उपाध्यक्ष महोदय की आज्ञा के अधीन हूं।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप काफी कह चुके हैं। आपको संशोधन के संबंध में कुछ कहना नहीं है तो अपना भाषण समाप्त करें।

मैंने जैसा आरम्भ में कहा था, मैंने माननीय मंत्री जी को मौका इसलिये दिया था एक बार बोलने का कि वह इस संशोधन के संबंध में अपनी राय जाहिर कर देवें ताकि सुविधा हो। बहस इस छोटे से संशोधन पर काफी हो चुकी है और एक प्रस्ताव भी भवन के सामने है कि बहस समाप्त की जाय। इसलिये मैं भवन की अनुमति लेना चाहता हूं कि अब इस संबंध में वादविवाद समाप्त किया जाय।

(विभाजन की माँग होने पर घंटी बजाई गयी)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जहां तक हम लोग सुन पाये, हम लोगों न "नहीं" की आवाज नहीं सुनी। इसलिये डिवीजन का प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष--जब डिवीजन मांगा जाता है तो देना ही पड़ता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दे दी और घंटी भी बज गयी। उसके बाद भी माननीय सदस्य आपकी रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष--मैं इसको चैलेंज नहीं मानता। वह एक बात जनाना चाहते थे और उसको मैंने बता दिया।

(घंटी बन्द होने पर)

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अब वादविवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में---१६१
विपक्ष में---२१

श्री नारायण दत्त तिवारी---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय मैंने यह संशोधन आपकी आज्ञा से प्रस्तुत किया था मुझे यह किंचितमात्र भी आशा नहीं थी कि इसमें इतना बड़ा वादविवाद उठ खड़ा होगा और हमारे माननीय मित्रों की ओर से राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं का, अलग अलग मुल्कों का, इंगलैन्ड का, अमेरिका का कैबिनेट सिस्टम और उनकी कमेटी के प्रिविलेजेज, अधिकार और तमाम इसका जितना जिक्र है वह इसमें आयेगा। मुझे बिल्कुल इसकी आशा नहीं थी। शायद श्रीमान सभी सदस्यों को याद होगा कि मैंने इस संबंध में एक छोटा सा वक्तव्य दिया था और दो मिनट में समाप्त कर दिया था। मैंने यह कर्मचारियों के व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित संशोधन इस लिये प्रस्तुत किया था कि मुझे आशा थी कि सरकारी दल के १५० माननीय सदस्य ने जो माननीय मुख्य मंत्री के नाम अनुशासन संबंधी विरोध के लिये और विवाद के लिये सुझाव दिया था उसको ध्यान में रखते हुए इसको जरूर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब मैंने भाषण सुना तो माननीय मिश्रा जी ने यह कहा कि यह स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय होगा जब कि मैं पहले भी कह चुका था कि जो नियम हमारे सामने है अगर उन पर माननीय मिश्रा जी ध्यान दें तो नियमों में हर जगह लिखा हुआ है कि यह स्थायी समितियां केवल परामर्श देंगी, निर्णय नहीं करेंगी चाहे कोई विषय हो। फिर भी उन्होंने इस संशोधन के संबंध में कहा कि मैं निर्णय की बात कह रहा हूं। निर्णय की बात तो नियमों में है भी नहीं तो फिर निर्णय का प्रश्न कहां से उठता है। उन्होंने बाद में कहा कि यदि इस संशोधन को मंजूर कर लिया जाय तो अनुशासनहीनता बढ़ेगी। अनुशासनहीनता कैसे बढ़ेगी? इसमें तो यदि कोई आफिसर अनुशासन के खिलाफ कार्य करता होगा तो उसकी चर्चा होगी, तो इसमें अनुशासनहीनता कैसे बढ़ेगी। तो देखिए कि कितना गलत आरोप उन्होंने इस संशोधन पर लगाया।

फिर हमारे मित्र आचार्य जी ने यह कह दिया कि यह कांस्टिट्यूशन के खिलाफ है। कैबिनेट का जो राइट है उसको यह छीन लेता है। उन्होंने यह भी बतलाया कि इस कमेटी के फंकशन्स ऐडवाइजरी और लेजिस्लेटिव फंकशन्स हैं लेकिन एक्जिक्युटिव फंकशन्स स्टैंडिंग कमेटीज के नहीं होते। मैं नहीं जानता कि किस पोलिटिकल साइंस के अनुसार, किस स्टैंडिंग कमेटी के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कह दिया कि स्टैंडिंग कमेटी का एक्जिक्युटिव मामलात में कोई फंकशन नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी का काम ऐडवाइजरी है। तो उसका काम केवल लेजिस्लेटिव मामलात में नहीं बल्कि एक्जीक्युटिव मामलात में भी सलाह देने का है। यह चीज माननीय आचार्य जी पहले ही मंजूर कर चुके हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है "वार्षिक प्रतिवेदन"। इसको माननीय आचार्य जी मंजूर कर चुके हैं। तो आखिर यह सालाना प्रतिवेदन होता क्या है। जितने भी एक्जीक्यूशन के काम होते हैं उनमें सलाह ली जाती है। अगर हम यह मान लेते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार कर सकती है, और यह भी है, "सामान्य नीति संबंधी बड़े प्रश्न" तो यह सब एक्जीक्युटिव फंकशन्स हैं। तो माननीय आचार्य जी अगर यह चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी एक्जीक्यूटिव फंकशन्स में एडवाइज न करे तो यह तो आप पहले ही मंजूर कर चुके हैं। इसका इस संशोधन से क्या ताल्लुक है? कैबिनेट अलग चीज है और स्टैंडिंग कमेटी अलग चीज है? मुझे तो श्रीमन्, माननीय जवाहरलाल जी जो हमारे प्रधान मंत्री हैं उनके वे शायद शब्द याद आते हैं जो उन्होंने पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी के बारे में कहे थे। उन्होंने कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी होती है सदन के तमाम माननीय सदस्यों को ऐडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव कराने के लिये क्योंकि सभी माननीय सदस्य तो

डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बन नहीं जाते हैं। तो जो नये नये लोग सदस्य बन कर आते हैं उनको शासन के काम का अनुभव कराने के लिये स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। ताकि उनको शासन के विभिन्न तरीकों का अनुभव हो और वे राय दे सकें। मैंने तो यही देखा है। और भी मैंने बातें सुनीं। यह कहा गया कि माननीय मंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी का रूल ४० पढ़ दिया और यह कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमने यह पढ़ दिया है कि कोई ट्रांसफर के बारे में, पनिशमेंट के बारे में कोई भी सदस्य जो कांग्रेस पार्टी का है कोई दखल नहीं दे सकता है। अच्छा होता, श्रीमन्, अगर माननीय मंत्री जी इस रूलिंग को और जो उन्होंने उपदेश कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को यहां पर दिया वह कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में देते। मैं समझता हूं कि असेम्बली इसके लिये उपयुक्त स्थान नहीं है, इसके लिये तो उपयुक्त स्थान कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी। मुझे जरा खटका जरूर, शायद मुझे कम अनुभव हो। लेकिन जहां तक संशोधन का संबंध था कि यह क्यों न मंजूर किया जाय, माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा और माननीय सुल्तान आलम जी ने कहा कि सत्याग्रह नहीं होना चाहिये इस डेवलपमेंट योजना के खिलाफ। मैंने उनके शब्द बिल्कुल लिखे हैं। उन्होंने कहा कि "मुल्क और सूबे की तरक्की को रोकने के लिये सत्याग्रह नहीं होना चाहिये। कहां सत्याग्रह, कहां मुल्क की तरक्की रही और कहां मेरा छोटा सा संशोधन रहा। और सत्याग्रह का तो हमने नाम भी नहीं लिया। मुझे तो माननीय संपूर्णानन्द जी ने जो कहा था वह याद आता है। उन्होंने कहा था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हममें से बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एक कोई कल्पना कर लेते हैं और उस कल्पना पर आक्रमण करते हैं। तो आज मैंने यहीं पर यह देखा कि जो संशोधन मैंने कभी मूव नहीं किया उसका विरोध यहां होने लगा। अनुशासन के बारे में बहुत सी बातें कह दी गयीं कि स्टैंडिंग कमेटी में यह प्रश्न जाने से कैबिनेट का अधिकार छिन जायगा। तीन घंटे तक सदन में यह कहा गया कि डिसिप्लिन का सवाल स्टैंडिंग कमेटी में जाने से बड़ा गड़बड़ होगा। आखिर ये स्टैंडिंग कमेटी कोई पब्लिक का इलेक्शन तो है नहीं जिसमें कि हम और आप यह सोचने लगें कि इसमें तो हम चुने ही नहीं जायेंगे। इसको तमाम माननीय सदस्य ही चुनेंगे और अगर स्टैंडिंग कमेटी बनेगी तो उसमें तो कांग्रेस पार्टी का ही बहुमत होगा हमारे भी दो तीन सदस्य उसमें चले जायेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जायगी। अगर परामर्श-दात्री समिति में जहां आपका बहुमत हो हमें कोई अधिकार मिल जायं तो क्या एतराज हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर संशोधन को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाय, मैं तो आपसे और माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि एक बार वह फिर संशोधन को पढ़ने का कष्ट करें। वह जिस संशोधन का विरोध कर रहे हैं वह तो मैंने मूव ही नहीं किया और जिसका अब माननीय सदस्य विरोध कर रहे हैं वह उसको पहले ही मंजूर कर चुके हैं, यानी स्टैंडिंग कमेटी में अनुशासन संबंधी विषयों पर विचार हो सकता है।

मैं तो सही कह रहा था। अभी मैं समझाऊंगा कि मेरा संशोधन किस तरह से ठीक है। जिस प्रकार आस्ट्रेलिया में बूमरेंग अटेक करता है उसी प्रकार आपने मेरे संशोधन पर अटेक नहीं किया बल्कि वह आपके स्वयं के विचार पर था। आपका अब मैं ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरा संशोधन क्या था। प्रतिबन्ध यह है कि "अधिकारियों अथवा कर्मचारियों से संबंधित ऐसे व्यक्तिगत विषय जिनका संबंध नियुक्तियों, स्थान नियुक्तियों, स्थान परिवर्तनों अथवा अनुशासन से हो," तो स्थायी समिति के सामने सभी विषय लाये जायं। मेरा कहना केवल यह था कि इसमें से "अनुशासन" निकाल दिया जाय। इस संशोधन पर सदस्यों को यह ख्याल हो गया कि सारे अनुशासन का प्रश्न उठा दिया गया है। यदि आप देखें तो "अधिकारियों अथवा कर्मचारियों से संबंधित ऐसे व्यक्तिगत विषय जिनका संबंध नियुक्तियों, स्थान नियुक्तियों, स्थान परिवर्तनों अथवा अनुशासन से हो" जहां तक संबंध अनुशासन से है, वह नहीं। विविध विषय लिये जा सकते हैं, साधारण विषय लिये जा सकते हैं। इस प्रतिबन्ध में यह कहीं नहीं है। मैं व्यक्तिगत विषय के बारे में चाहता था कि हम विविध विषयों पर विचार नहीं कर सकेंगे जब तक कि इसको नहीं ले लेंगे

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जनरल डिसिप्लिन पर हम विचार नहीं कर सकते हैं जब तक कि इंडिविजुअल डिसिप्लिन पर विचार न करें।

श्री शुक्ला जी ने मेडिकल कालेज का सवाल उठाया है तो हम उस पर तो विचार कर सकते हैं। मेडिकल कालेज के अधिकारी और सरकारी अधिकारी तथा कर्मचारी अनुशासनहीन हो गये हैं तो उस पर हम विचार कर सकते हैं लेकिन इस पर विचार नहीं कर सकते जो डाक्टर माथुर या डाक्टर बहाल ने इधर किया। आप देखें कि मेरा संशोधन कितना निर्दोष था। मेरा केवल इतना ही कहना था कि जनरल डिसिप्लिन पर विचार करते समय इंडिविजुअल डिसिप्लिन का सवाल भी लेना अवश्यक हो जाता है। यह नहीं हो सकता है कि हम जनरल डिसिप्लिन पर तो विचार करते समय राजीव के केस को न लें। लेकिन मैंने देखा कि मेरी भावना को लोगों ने नहीं देखा जो स्पष्ट है और जिसको आप सभी और सरकार भी चाहती है। फिर यह कहा गया कि इससे तो कैबिनेट के अधिकार छीने जा रहे हैं।

हमारे शुक्ल जी ने अमेरिका की कमेटीज की बात कही। मैं आपको बतलाऊंगा कि अमरीका में जो कमेटीज होती हैं तो उनमें पब्लिक के लोगों तक की गवाही ली जाती है। जनरल मैकआर्थर तक ने गवाही दी है और हम अपने यहां तो गोपनीय रखने जा रहे हैं। श्रीमान् को मैं याद दिलाऊंगा कि मैकआर्थर ने एक मिलिटरी के जनरल के खिलाफ जिसका नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, गवाही दी है। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि वह कम्यूनिस्ट हैं। उनका नाम शायद जनरल मार्शल था। उनके खिलाफ सारी अमरीका में ओपिन इंक्वायरी हुई और लोगों ने गवाहियां दीं। इस हिसाब से तो आप अमरीका की क्या बात कर रहे हैं और सोचें कि आप अपने यहां की कमेटीज को कितने अख्तियार दे रहे हैं।

मेरा जो अगला संशोधन आ रहा है उसके अनुसार मंत्री जी को यह ताकत है कि जिस विषय को चाहें वह वापस लें। हमारे मित्र चन्द्रसिंह रावत ने कहा कि हमारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। उस मायने में वाकई हम लोगों की बुद्धि विकसित नहीं हुई है। जिस प्रकार चन्द्रसिंह रावत जी की बुद्धि विकसित हो चुकी है। उनकी बुद्धि के विकास के स्तर पर हम इधर के सदस्य और दूसरे जो सदस्य यहां पर बैठे हैं अभी नहीं पहुंचे हैं। शिवनारायण जी की यह शिकायत हो सकती है। लेकिन मैं बड़े अदब से यह बात कह सकता हूं कि मेरे संशोधन में केवल इतनी बात है और मेरा यह विश्वास है कि जनरल डिसिप्लिन का तब तक इंतजाम नहीं हो सकता जब तक कि इंडीविजुअल डिसिप्लिन के मामले को आप टेकअप न करें। इसलिये यह आवश्यक है कि आप इसको स्वीकार करें जब नियम को आप मान चुके हैं कि अनुशासन पर विचार किया जा सकता है। तो फिर क्या बात है जो व्यक्तिगत मामले पर विचार न किया जाय। मैंने तो अपने संशोधन को तीन हिस्सों में इसी कारण तकसीम कर दिया है। जान बूझकर उसमें "व्यक्तिगत" शब्द को रख दिया है। इसलिये अगर मेरे संशोधन को सही मायनों में देखा जाय तो वह बिल्कुल ठीक है। जितने आक्रमण मेरे संशोधन पर हुए हैं वह सब लोगों ने अपने विचारों के अनुसार किये हैं। मैं न्याय मंत्री जी से बड़े अदब से निवेदन करूंगा कि आप लीगल लेंगवेज का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात को मानें। अगर आप सरकारी कर्मचारियों के मामले पर विचार कर सकते हैं तो व्यक्तिगत मामलों पर गौर करने में आपको क्या आपत्ति है? अगर कोई पुलिस का कर्मचारी है और उसके मामले पर आप विचार करते हैं तो फिर वह स्वयं व्यक्तिगत मामला उसमें आ जाता है। जनरल डिसिप्लिन और इंडीविजुअल डिसिप्लिन दोनों मिले हुए हैं। इसी बात को देखते हुए इस विधेयक में तब्दीली करने की आवश्यकता है। मैं आचार्य जी से पूछना चाहता हूं वे कानून के प्रकांड पंडित हैं कि वह ऐसी धारा दिखायें जहां पर यह मालूम हो कि स्थायी समिति में जनरल मामले को तो लिया जाय और वह व्यक्तिगत मामलों को टेकअप न

करें। अगर वह इस प्रकार की धारा दिखा देंगे तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा। मैं जानता हूं कि ऐसी कोई धारा नहीं है।

आचार्य जी ने एक बात कही कि कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी और स्थायी समिति में बहुत अन्तर है। अन्तर होता है, फर्क होता है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन स्थायी समिति के अन्दर कांग्रेस पार्टी का बहुमत जायगा और हमारे तो २-३ सदस्य चले जायेंगे। तो जो चीज हम इस सदन में सुन सकते हैं, बहस कर सकते हैं और अपनी विचारधारा व्यक्त कर सकते हैं और अनुशासन पर आरोप लगा सकते हैं तो फिर क्या वजह है कि वही सदस्य स्थायी समिति में जाकर अनुशासन के व्यक्तिगत मामले पर विचार नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि सदा से यह परम्परा चली आ रही है इस पर आप गौर करें और इस बात को निश्चय करें कि क्या बात सही है। हम भले ही अपने स्वतंत्र विचारों के हों, भले ही विरोधी दल में बैठे हों, लेकिन आप संसार के सामने इस बात को रखिए कि आप सही चीज मानते हैं और ठीक बात मानते हैं और उसको यहां पर कायम रखने की कोशिश करेंगे। अगर हमको कुछ अधिकार मिल जाता है तो उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। आप इस बात का ख्याल न करें कि हम लाल टोपी पहने हुए हैं या सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं। हम जितने माननीय सदस्य यहां पर हैं वे सब स्थायी समिति में जा कर काम करेंगे। मैं माननीय न्याय मंत्री से फिर प्रार्थना करता हूं कि इंडिविजुअल डिसिप्लिन, जनरल डिसिप्लिन और साधारण डिसिप्लिन में अन्तर न समझते हुए और इन बातों को जो मैंने कही हैं, ध्यान में रखते हुए मेरे संशोधन पर दोबारा गौर करने का कष्ट करें।

श्री सैयद अली जहीर--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके सिवा और क्या अर्ज करूं कि गालिबन माननीय सदस्य, जिन्होंने अभी तकरीर की है, वह इतना मोटा फर्क जो जनरल डिसिप्लिन और इंडिवीजुअल डिसिप्लिन में है उसको नहीं समझ रहे हैं। जनरल डिसिप्लिन के माने हैं डिसिप्लिन बाई इटसेल्फ, डिसिप्लिन इन थ्योरी यानी डिसिप्लिन है या नहीं और डिसिप्लिन क्या चीज है और उसको किस तरह से रायज और एनफोर्स करना चाहिये। या डिसिप्लिन के जितने उसूल हैं। जहां तक जनरल पालिसी का सवाल है वह जनरल डिसिप्लिन में आ सकता है, लेकिन जहां तक इंडिवीजुअल डिसिप्लिन का ताल्लुक है वहां के ऊपर कतई दूसरी सूरत हो जाती है और जाहिर है कि ऐसी सूरत में एक पर्टिकुलर इंडिवीजुअल और उसके एक्शन और बिहैवियर का सवाल होता है और जनरल डिसिप्लिन दूसरी चीज है। ताज्जुब है कि माननीय सदस्य इतने मोटे फर्क को भी नहीं समझ पा रहे हैं और वह समझते हैं कि जब एक चीज में इजाजत है तो दूसरी की भी होना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं उदाहरण के रूप में पूछना चाहता हूं कि जनरल और इंडिवीजुअल डिसिप्लिन में क्या फर्क है। मान लीजिए कि मेडिकल कालेज के कर्मचारियों की जनरल डिसिप्लिन का सवाल है और उस पर हम विचार कर सकते हैं तो क्या इसी में यह शामिल नहीं है कि वहां डाक्टरों ने आपरेशन के समय या एनीथीसिया देते समय असावधानी बर्ती? तो क्या जनरल डिसिप्लिन में इंडिवीजुअल डिसिप्लिन का इस तरह से कोई केस शामिल नहीं है?

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक कि फर्क निकालने की कोशिश की है मैं समझता हूं कि उन्होंने इसमें फिर गलती की है। किसी इंस्टीट्यूशन के हवाले से अगर डिसिप्लिन का जिक्र आवेगा तो वह फिर एक तरह से इंडिवीजुअल हो जायगा चाहे उसमें हजार आदमी शामिल क्यों न हों। लेकिन एक चीज है कि जनरल डिसिप्लिन बिला लिहाज किसी के हवाले के अप्लाई करेगी, उस वक्त वह पालिसी का सवाल होगा। उसमें बातचीत जनरल तरीके से हो सकती है, लेकिन फर्ज कीजिए कि जिस तरह से उन्होंने मिसाल दी कि फलां जगह की पुलिस का यह हाल है तो वह फिर इंडिवीजुअल

[श्री सैयद अली जहीर]

हो जायगा कि फलां जगह की पुलिस का डिसिप्लिन ठीक है या नहीं। लेकिन पुलिस फोर्स का ऐज ए होल जिक्र होगा तो वह पालिसी की जनरल चीज होगी और उसका डिसकशन हो सकेगा। यह इतनी मामूली सी चीज है जिसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को रोका गया है वह इंडिवीजुअल डिसप्लिन का सवाल है या कोई ट्रांसफर वगैरह का सवाल है वह नहीं हो सकता, लेकिन जितने जनरल मैटर आफ पालिसी होंगे उनके लिये दूसरी दफात हैं और उनके बारे में कमेटी में बातचीज हो सकती है। जहां तक इंडिवीजुअल केसेज का ताल्लुक है मेरी अब भी गुजारिश है कि तिवारी जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत इस चीज को मुनासिब नहीं समझती है कि हमारे अफसरों और कर्मचारियों के मामलात इंडिवीजुअली ले कर डिसकस किये जायं और उन पर रायजनी की जाय जिससे उनको अपने फरायज के अदा करने में दिक्कत हो। यह कांग्रेस गवर्नमेंट और कांग्रेस पार्टी दोनों की यह पालिसी है और उस पालिसी पर चलना हमने अपनी पालिसी बना लिया है।

अमरीका का हवाला दिया गया और कहा गया कि वहां पर कमेटियों में इस किस्म की चीजें डिसकस होती हैं। ये दूसरी बात है वहां क्या होता है और क्या नहीं होता और कब होता है यह हमें देखना होगा। बाज जगह गोली चलाई जाती है और उस पर एक कमेटी मुकर्रर होती है। कभी-कभी स्पेशल ट्रिब्यूनल भी बैठाये जाते हैं और फिर एक कमेटी बना दी जाती है पूरे किसी मामले को इंक्वायर करने के लिये। तो यह तो मौके-मौके की बात है कि उस वक्त क्या काम उनके सुपुर्द किया गया और क्या अख्तियारात उनको दिये गये। लेकिन यहां हम जिन कमेटियों की बाबत डिसकस कर रहे हैं वे वह स्टैंडिंग कमेटियां हैं जो सरकार को मशविरा देने के लिये बनायी जा रही हैं। इस बात को देखते हुए मेरे ख्याल में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी जहां स्टैंडिंग कमेटियों को जो सिर्फ एडवाइजरी कमेटियां हैं इससे ज्यादा पावर या अख्तियारात दिये गये हों। मैं इन वजूहात से अर्ज करूंगा कि तिवारी जी की जो तजवीज है वह गलतफहमी पर मबनी है, वे फिर से उस पर गौर करें और अपनी उस तरमीम को वापस ले लें।

उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि नियम ४ के प्रतिबन्ध के खंड (२) के उपखंड (१) की पंक्ति २ से शब्द "स्थान परिवर्तनों अथवा अनुशासन से हो" के स्थान पर शब्द "अथवा स्थान परिवर्तनों से हो" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न-लिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं---

"नियम ४ के प्रतिबन्ध के खंड (२) का उपखंड (२) निकाल दिया जाय"।

श्रीमान् जी, यह नियम चार का प्रतिबन्ध का उपखंड (२) इस प्रकार है---

"ऐसे सब विषय जिनको संबंधित मंत्री जनहित के विचार से समिति के सामने प्रस्तुत करना उचित न समझे।" श्रीमन्, आज मैंने जितने भी संशोधन उपस्थित किये हैं उनमें यह संशोधन सबसे महत्वपूर्ण है। यह इसलिये महत्वपूर्ण है कि आज तक जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज बनायी गईं उन सबके नियमों का इस प्रकार के नियम कहीं भी देखने में नहीं आये। मैं यह मानता हूं कि कुछ प्रतिबन्ध अवश्य होते हैं लेकिन इतना बड़ा आधारभूत प्रतिबन्ध किसी भी स्टैंडिंग कमेटी आखिर के नियमों में नहीं है इसका अर्थ क्या है?

(इस समय ४ बजकर १३ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

इसका अर्थ यह है कि मंत्री जी जनहित के विचार से, चाहे उनका जनहित का विचार कुछ भी क्यों न हो, उनको अधिकार है कि वे जनहित किसी भी बात को समझ लें, उसके लिये वहां "सब" शब्द का प्रयोग किया गया है। जितने भी

विषय हों चाहे हरिजन, शरणार्थी, शिक्षाश्रम, बन या माल के विषय हों या और भी कोई विषय हों, जिनका जिक्र किया गया है उनमें से किसी भी विषय पर विचार करने से माननीय मंत्री बंद कर सकते हैं। अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो आपको मालूम होगा कि केवल दो या तीन ही बातें हैं जिन पर स्टैंडिंग कमेटीज को अधिकार होगा उसमें भी यह लगा दिया गया कि वे यह कह सकें कि यह जनहित की दृष्टि से उसमें नहीं रहना चाहिये। वह छोड़ दिया जाय। इसलिये यह जो प्रतिबन्ध है वह गवर्नमेंट के हाथ में वह सत्ता देता है जिससे स्टैंडिंग कमेटीज की जो आधारशिला है, जो उनका स्ट्रक्चर है, जिनके द्वारा आप उनको बनाने जा रहे हैं, वह सब आप ही खत्म हो जाता है। मुझे भरोसा था कि माननीय न्याय मंत्री स्वयं ही खड़े होते और कहते कि यह उपखंड समिति के अधिकारों को छीनता है इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको डिलीट कर दिया जाय। लेकिन आज वे इतने बड़े भारी विचार विमर्श के बाद भी नहीं उठे और उन्होंने उसको वापिस नहीं लिया।

मुझे तो विश्वास है कि जितने माननीय सदस्य, जिन्होंने हमारे पुराने संशोधनों का विरोध किया वे भी उठकर मेरे इस संशोधन का समर्थन करेंगे। क्योंकि जितने अधिकार हम स्थायी समितियों को देना चाहते हैं उनको तो सुरक्षित रखें। मुझे तो एक बात अवश्य मालूम हुई कि जितने माननीय सदस्यों ने इस सदन में भाषण दिये उसके अनुसार तो माननीय सदस्य जितने अधिकार दिये गये हैं उनको तो स्वीकार करते ही हैं। तो जितने अधिकार हमारे पास हैं उनको तो सुरक्षित रखें जिसमें हम उस पर स्टैंडिंग कमेटीज में विचार कर सकें। नहीं तो स्टैंडिंग कमेटीज आखिर क्या रह जायंगी। उसका भी वही हाल हो जायगा जैसा कि फाइनेंस कमेटी का हुआ कि बजट भी हमारे सामने आ गया, सप्लीमेंटरी बजट भी आ गया, एनुअल बजट भी आ गया, लेकिन फाइनेंस कमेटी के सामने उसका पूरा आइटम नहीं आ सका। हो सकता है कि अब फाइनेंस कमेटी का काम अच्छा हो गया हो, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि इन स्टैंडिंग कमेटीज का भी वही हाल न हो जैसा कि फाइनेंस कमेटी का हुआ और वह कार्यशील और गतिशील हो तो उसके लिये आवश्यक है कि माननीय मंत्री जी को और उनके डिपार्टमेंट को यह अधिकार न हो कि वे जिस विषय को चाहें उस विषय को तो कमेटी के सामने पेश करें और जिस विषय को न चाहें उस विषय को कमेटी के सामने न लावें। मैं आपकी आज्ञा से बम्बई लेजिस्लेचर का वह नियम पढ़ना चाहता हूं जिसमें दिया हुआ है :—

"After giving ten days' notice any member may, with the consent of the Minister incharge of the Department to which the matter relates, move that any matter of public importance be referred for consideration and report to a Committee."

[दस दिनों की पूर्वसूचना देने के उपरान्त कोई भी सदस्य, विभाग के भारसाधक मंत्री की सम्मति जिससे उस विषय का संबंध हो, प्रस्ताव कर सकता है कि सार्वजनिक महत्व का विषय समिति के विचार तथा प्रतिवेदन के लिये निर्दिष्ट किया जाय।]

तो हम देखते हैं कि जब एक बार मंत्री महोदय ने अनुमति दे दी उसके बाद वह कमेटी के अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता। जब कमेटी बन गयी है और उसका नियम बन गया है तो फिर मंत्री के लिये आवश्यक नहीं है कि वह इसके ऊपर प्रतिबन्ध लगा दे। तो इसलिये मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि यह संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसलिये माननीय सदस्य अवश्य मेरे इस संशोधन का समर्थन करेंगे और माननीय न्याय मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने आशा प्रकट की थी कि हम लोग, जिन्होंने कि उनके कुछ संशोधनों का विरोध किया, शायद इस संशोधन को स्वीकार कर लें। किन्तु दुःख के साथ मुझे फिर इसका विरोध करना पड़ता है और कारण इसके लिये बहुत स्पष्ट हैं। ऐसा मालूम होता है कि यह तो इस कमेटी के

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

कार्य को या जो परामर्शदात्री समिति या स्थायी समितियां बनायी जायेंगी, इनके कार्य क्षेत्र को मैं नहीं समझता हूं या यदि मुझे क्षमा किया जाय तो मैं कहूंगा कि वे नहीं समझते। माननीय श्री गेंदा सिंह जी ने कहा कि हम हिटलर के मार्ग पर जा रहे हैं। इसी प्रकार की बातें कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी सदन के सम्मुख कहीं।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य संशोधन के ऊपर ही अपनी टीका कायम रखें।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--उनका जिक्र मैंने केवल प्रसंगवश कर दिया। इस कारण कर दिया कि समिति का कार्य क्षेत्र क्या हो, इसकी चर्चा के समय यह बात कही गयी कि समिति के कार्यक्षेत्र में संभवतः यह कह कर कि इस समिति को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, इस प्रकार सरकार की नीयत पर कुछ आक्रमण किया गया है। किन्तु मैं तो स्पष्ट रूप में समझता हूं कि इस समिति का कार्यक्षेत्र केवल यह है कि जिस विभाग से संबंधित यह समिति बनायी जायगी उस विभाग के सारे कार्य पर यह समिति संबंधित मंत्रीगण को परामर्श दे सकेगी जिन पर मंत्री गौर कर सकें। संभवतः ऐसे कार्य इस समिति के कार्यक्षेत्र में न होंगे। तो यदि यही कार्यक्षेत्र है तो मैं केवल एक चीज सदन के सामने रख कर उसके संबंध में विचार करने के लिये इस सदन को आमंत्रित करूंगा।

मंत्रीगण को एक ओथ आफ सिक्रेसी लेना पड़ता है प्रत्येक सदस्य को तो ओथ आफ सिक्रेसी नहीं लेना पड़ता। यदि ओथ आफ सिक्रेसी का अर्थ कुछ भी नहीं है और यदि वह केवल एक परम्परा है और केवल इसलिये ली जाती है कि वह मंत्री है तब तो वह व्यर्थ की चीज है, लेकिन यदि उसका कोई अर्थ है और यदि मैं सही उस अर्थ को समझा हूं और सम्भवतः वही अर्थ उसका है भी तब तो जनहित के बहुत से कार्य हो सकते हैं कि उनको गोपनीय रखा जाय और यह ओथ आफ सिक्रेसी उन्हीं से सम्बंधित है। मेरे मित्र ने बम्बई वाली कमेटीज के नियमों को यहां पढ़ा लेकिन मुझे विश्वास है कि वह बम्बई की परामर्शदात्री समितियों से सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि वे तो जो वहां के स्टैंडिंग रूल्स हैं जो लेजिस्लेचर के हैं उनसे सम्बन्धित हैं और दुर्भाग्यवश वह मेरे पास नहीं है अन्यथा मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ न कुछ नियम ऐसी बातों के गोपनीय रखने के सम्बन्ध में अवश्य होंगे यह मेरी धारणा है। तो मैं केवल यह कह रहा था कि माननीय मंत्रीगण कुछ विषयों को गोपनीय समझें और वह विषय प्रत्येक विभाग से सम्बन्धित हो सकते हैं जैसे बहुत ही मोटी सी बात है केन्द्रीय सरकार के डिफेन्स का विषय ऐसा है डिफेन्स में बहुत सी बातें ऐसी आ सकती हैं जो अत्यंत गोपनीय रखी जायं और मैं तो यहां तक जानता हूं और सम्भवतः मेरे मित्र इस चीज को जानते हैं कि कुछ ऐसे विषय भी आते हैं जिनको तत्सम्बन्धी मंत्री अपने कैबिनेट से भी गोपनीय रख सकते हैं तो जहां पर जनता के हित के लिये उन नियमों का पालन किया जाय और उस के लिये परामर्शदात्री समिति के सामने कोई चीज न रखी जाय तो मैं खयाल करता हूं कि मेरे मित्र को शिकायत का कोई मौका नहीं है। जहां तक कि यहां का यह संशोधन है वह तो केवल उसी खंड के उपखंड दो से है और उसमें केवल इसी पर चर्चा है कि जनहित के विचार से अगर कुछ विषयों को माननीय मंत्री समिति के सामने प्रस्तुत करना उचित न समझें तो वह न करें तो मैं बहुत सूक्ष्म में अपने मित्र से यह प्रार्थना करूंगा कि वह कृपा करके इस प्रकार का भेदभाव न करें कि आज किसकी सरकार है किसकी नहीं है। किन्तु परम्परा को स्थापित करने के लिये हमको यह निश्चय करना है। आज एक दल की सरकार है, कल दूसरे दल की सरकार हो सकती है और परसों तीसरे दल की किन्तु यदि इसमें ऐसी परम्परा हो जाय कि परामर्शदात्री समिति के सामने कोई भी प्रस्ताव जिनको जनहित में रखना उचित न हो, वह भी रखे जायं तो यह परम्परा गलत होगी। इस सम्बन्ध में एक बात और भी कही गई थी कि परामर्शदात्री समिति में सदन के सदस्य तो ही बैठेंगे और दूसरे रूप में वह सब बातें विवाद के रूप में या दूसरे रूप म मेम्बरों के सामने आयेंगी

और उनपर वह अपनी राय दे सकते हैं तो यदि परामर्शदात्री के सामने ही वह रख दी जायें तो अनुचित नहीं। इन सब के उत्तर में मुझे यही निवेदन करना है कि अन्य देशों में भी कई बार ऐसा हुआ है कि सदन की कार्यवाहियाँ भी गुप्त रूप से हुई हैं और की जाती हैं और इसके लिये प्रेस रिपोर्टर तथा अन्य दूसरे व्यक्तियों को सदन में आने की अनुमति नहीं दी जाती है। ऐसे समय भी उपस्थित हो सकते हैं जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा करना पड़ता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र से जरूर अनुरोध करूंगा कि इसकी आवश्यकता को देखते हुये वह यह संशोधन वापस ले लें।

श्री सैयद अली जहीर—अध्यक्ष महोदय, जो दफा इस वक्त जेरे बहस है उसके अल्फाज ऐसे हैं "ऐसे सब विषय जिन को संबंधित मंत्री जनहित के विचार से समिति के सामने प्रस्तुत करना उचित न समझें।"

इसके मानी यह हैं कि ऐसे मामलात, जिन को मंत्री मुनासिब न समझें कि पब्लिक इंट्रेस्ट में कमेटी के सामने उन को वह पेश करें। जाहिर है कि इस किस्म की दफा चाहे हो या न हो अजेंडा बनाने का अख्तियार हमेशा उस मिनिस्टर को होगा जिसके मुताल्लिक वह कमेटी है। कमेटी मिनिस्टर को मशविरा देने के लिये बन रही है। यही उसकी गरज है। और यह कहना कि वह जबरदस्ती मसलों पर जिन पर मिनिस्टर उस का मशविरा नहीं चाहता, अपना मशविरा दे तो यह मोहमिलियत हो जायगी। यह दफा तो महज इस वजह से रखी गयी है कि अगर कोई मामला पब्लिक इंट्रेस्ट में मिनिस्टर रोकना चाहे तो वह रोक ले और उसके मुताल्लिक एतराज न हो कि फलाँ चीज को आपने कमेटी में नहीं पहुंचाया। इसलिये इसकी जरूरत पड़ी। वरना जिस तरीके पर कमेटी बन रही है सिर्फ वही मामले जा सकते हैं, जिन को मिनिस्टर चाहता है। बकीया मामलात के लिए मिनिस्टर की जिम्मेदारी हाउस के सामने बदस्तूर है। यह कमेटियाँ खास गरज से बनायी जा रही हैं और उन दफात में यह जिक्र किया गया है कि उनकी हद क्या होगी। वह किन मामलों पर बहस कर सकती हैं और किन मामलों पर बहस नहीं कर सकती हैं। मेरे ख्याल में गालिबन तिवारी जी यह समझते हैं कि यह कमेटियाँ जो हैं दूसरे लेजिस्लेचर की तरह होंगी जिनको अख्तियार होगा कि वह मिनिस्टर को मेंसर कर सकें, क्वेश्चन पुट करें और उनके खिलाफ ऐडजर्नमेंट मोशन लाएं, ऐसी चीज नहीं है। यह तो स्टैंडिंग कमेटीज मिनिस्टर को सलाह देने के लिये हैं। उन को तजवीज कर दिया गया है कि फलां फलां मामलात में सलाह देंगी। ऐसी कमेटियों में इस किस्म की दफा होना बिलकुल मुनासिब है। बगैर इसके काम ही नहीं चल सकता मैं समझता हूं कि उन्होंने कमेटी के स्कोप को पूरे तौर से समझा नहीं। मैंने इसीलिये अर्ज किया और गालिबन वह अब समझ लेंगे और इस तरमीम पर इसरार न करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस नियम में माननीय नारायणदत्त जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस उद्देश्य से यह कमेटियाँ बनायी जा रही हैं अगर यह नियम रहता है तो वह सारा उद्देश्य खत्म हो जाता है। यहाँ पर लिखा है कि ऐसे सब विषय, जिनको संबंधित मंत्री जनहित के विचार से समिति के सामने प्रस्तुत करना उचित न समझें। तीन चीजें आती हैं एक तो ऐसे सब विषय यानी ऊपर के सब विषय। अगर वह कहते "और सब विषय" तो हम समझते कि कोई नये विषय पैदा किये जायं तो उन पर शायद मंत्री उचित न समझें उन्हें वह निकाल दें। लेकिन इसमें लिखा है कि "ऐसे सब विषय" जिनको वह जनहित के कारण उचित न समझें उनको वह कमेटी के सामने पेश न होने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय हमारा तजुर्बा इस सदन का बहुत बुरा है। जितनी गवर्नमेन्ट की तरफ से बातें आती हैं जब हम कभी ऐडजर्नमेंट मोशन इस सदन के सामने रखते हैं उसकी अरजेंसी पर बात करते हैं उसकी इम्पार्टेंस पर बात करते हैं वह सब्जेक्ट कितना ही

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

इम्पार्टेंट हो कितना ही अर्जेंट हो लेकिन सरकार हमेशा कह देती है कि न तो यह इम्पार्टेंट है न यह अर्जेंट है, इसलिये इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिये । इस प्रकार जिस सरकार का हमें यह तजुर्बा है वह सरकार एक ऐसा नियम बना रही है, किसी कमेटी के सिलसिले में तो हमें यह शक है कि यह ऐसी भारी बातों को, जो इस प्रान्त के हित के लिये हों, प्रान्त के शासन की भलाई के लिये हों, उन सब को इतना कह करके कि यह जनहित के लिये ठीक नहीं हैं उन्हें कमेटी से बाहर कर देंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि जो बहस इस सदन में अभी हुई उससे पहले एक डिसिप्लिन (अनुशासन) के प्रश्न पर बड़े महत्वपूर्ण भाषण हुए कि डिसिप्लिन ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर सारी हुकूमतें टिकी हुई हैं, ऐसे मामले को आप इस कमेटी के सामने लाते हैं ! तो जो विचारधारा इस सदन के सामने उधर के सदस्यों ने प्रगट की उससे साफ मालूम होता है कि जब इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को इस कमेटी के सामने नहीं लाना चाहते हैं तो फिर कौन सा ऐसा प्रश्न रहेगा जो इस कमेटी के सामने आयेगा ! क्या यह कमेटियाँ सिर्फ इसलिये बैठेंगी कि हम लोग दूर-दूर से यहाँ पर आवें और थोड़ी देर बैठें, जरा चाय वगैरह पी लें और फिर अपने घर को चले जायं । अगर इसलिये बनी हैं तो फिर उन कमेटी का रहना ही फिजूल है । क्योंकि इस नियम से तो सारी बातें खत्म हो जाती हैं । मैं मिसाल के तौर पर रखना चाहता हूं कि इस प्रान्त के अन्दर घूसखोरी सबसे बड़ी महत्व की चीज है ऐसा मैं समझता हूं जिसे आज हमें हटाना है । चीन में जब हुकूमत आई, लेकिन फिर कहीं माननीय सदस्य यह न कहें कि मैं चीन और रूस की बात करता हूं, तो चीन में सबसे पहला काम जो किया गया वह था घूसखोरी और भ्रष्टाचार को खत्म करना और उसके लिये एक कानून बना । जिस तरह से करप्शन को चीन से हटाया गया चाहे वह तरीका गलत हो चाहे वह ऐसा हो जिसे हम न मान सकें लेकिन इस प्रान्त के लिये आवश्यकीय है कि हम करप्शन को हटावें । अगर हम उस विषय को कमेटी के सामने लाते हैं कि भ्रष्टाचार को कैसे हटाया जाय तो हमारे माननीय मंत्री कह देते हैं कि यह "जनहित के लिये उचित नहीं है पेश करना" इसलिये क्योंकि इस सदन को कमेटियाँ बनाने का अधिकार है अगर ऐसी बातें उन्हें लानी हैं जोकि हम सदन के सामने ला सकते हैं तो फिर इस कमेटी की आवश्यकता ही क्या है । क्योंकि यहाँ तो अध्यक्ष महोदय, आप हमारी व हमारे हकों की रक्षा करने के लिये हैं। आप हमारे हकों की रक्षा करते हैं, पर वहाँ जब हम कमेटी में मंत्रियों के रहम पर होंगे तो जिस तरह से यह हुकूमत आज चल रही है उनके मंत्रिमंडल से हम क्या उम्मीद करें यह तो हम सब जानते ही हैं । इसलिये अच्छा है कि उस समय को हम यहाँ लगावें आपके सामने उन चीजों को पेश करें और तब हम इस प्रान्त से करप्शन को दूर कर सकते हैं । जैसे डिसिप्लिन की बात कही गयी । कोई हुकूमत क्या बगैर डिसिप्लिन के चल सकती है ?

अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जब इसका फैसला हो चुका है सदन में तो उस सम्बन्ध में उस पर टीका नहीं हो सकती है। अनुशासन के सम्बन्ध में टीका नहीं होगी ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय अनुशासन भी एक विषय तो है जिसे अगर उस कमेटी के सामने रखें तो माननीय मंत्री जी उसे .....

अध्यक्ष--सावधान ! मैं समझता हूं उसके ऊपर बहस नहीं होगी ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं एक दूसरी मिसाल लेता हूं । कमेटी के सामने हम एक मसला ले जाते हैं ऐडमिनिस्ट्रेशन का । मैं मिसाल के तौर पर रखता हूं कि प्रान्त के अन्दर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मुकर्रर हुए । अगर हम इस कमेटी के सामने यह रखना चाहें कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की आमदनी तनख्वाह तीन सौ रुपये रखी है, दो साल के बाद उनको २५ रु० का इंक्रीमेन्ट दिया जाता

है। पाँच सौ रुपये तक उनकी तनख्वाह हो सकती है। न वे जज हो सकते हैं और न वे किसी दूसरे पद पर जा सकते हैं। हम कमेटी के सामने जा करके कह सकते हैं कि आप यह बात गलत कर रहे हैं। आप इनके ग्रेड को जैसा डिप्टी क्लेक्टर का ग्रेड है बढ़ाइये क्योंकि जो काम आप इनसे ले रहे हैं वही आप डिप्टी क्लेक्टर से लेते हैं। इस बात को अगर हम कमेटी के सामने रखेंगे तो यह कह दिया जायगा कि कमेटी के सामने इसे रखना उचित नहीं है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की बातें मैं कर रहा हूं इसी तरह की मिसालें हर विभाग के सिलसिले में घूसखोरी के सिलसिले में, या किसी के सिलसिले में अगर हम इन कमेटियों के सामने रखना चाहेंगे तो वह उसको नहीं रखने देंगे। इस लिये वह रूल जिस के लिये माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा है कि हटा दिया जाय उसका हटाया जाना बहुत आवश्यक है। अगर यह नहीं हटाया गया तो यह कमेटी किसी काम की नहीं रहती है और इस कमेटी का जो मकसद है वह भी नहीं पूरा होता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा और माननीय मंत्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि वे इस पर विचार करें कि जिस कमेटी के लिये इतने रूल्स बने हुये हैं और जो इस सदन के माननीय सदस्यों की कमेटी होगी उसका कोई महत्व नहीं रहेगा अगर इस क्लाज को नहीं हटाया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नारायण दत्त जी का जो संशोधन है उसका समर्थना करता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उपाध्याय जी के भाषण को बड़े गौर से सुना और मैं इस परिणाम पर पहुंचा कि उनकी जो शंकायें हैं वे निर्मूल हैं। जो उनकी शंकायें हैं उनका मैं कोई कारण नहीं समझता। सरकार ने स्वयं ही अपनी इच्छा से यह कमेटियाँ निर्माण करने का प्रस्ताव रखा है। मंत्रियों ने कुछ सदस्यों को इस बात के लिये निमंत्रित किया है कि वे आवश्यक विषयों पर उनको सलाह दें। यदि उसकी इच्छा न होती और वे परामर्श न लेना चाहते तो फिर कोई कारण नहीं था कि वे इस को यहाँ सदन के सामने रखते। इस लिये किसी तरह की उसमें शंका करना मेरे खयाल से निर्मूल है। जिस नियम को हटाने के लिये माननीय नारायणदत्त जी ने संशोधन पेश किया है मैं समझता हूं कि अगर वह हटा दिया जायगा तो कार्य में बहुत कठिनाइयाँ आयेंगी। ऐसे बहुत से विषय हो सकते हैं जो परामर्श-दात्री समिति के सामने रखना जनहित की दृष्टि से उचित नहीं होगा। ऐसी हालत में अगर हम इस नियम को नहीं रखते हैं तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी कठिनाई आ जायगी जो कि आगे चलकर दिक्कतें पैदा कर सकती है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता और इन शब्दों के साथ मैं नारायणदत्त जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन के विरोध में माननीय आचार्य जी और माननीय न्याय मंत्री जी का भाषण बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। माननीय आचार्य जी का कहना यह था कि जनहित के विचार से माननीय मंत्री जी को यह अधिकार मिलना इस लिये आवश्यक है चूंकि मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, लेकिन इस भवन के माननीय सदस्यों को गोपनीयता की शपथ नहीं लेनी पड़ती। माननीय आचार्य जी को मालूम होगा कि शपथ अपना उत्तरदायित्व निभाने की इस सदन के सदस्यों को भी लेनी पड़ी और शायद माननीय आचार्य जी ने अवश्य वह शपथ ली होगी। इसके अलावा अगर नियम ५ की ओर ध्यान जाता माननीय आचार्य जी का, मैं आपकी आज्ञा से उसे पढ़ दूं "स्थायी समितियों का काम परामर्श देना होगा और उनकी कार्यवाहियां पूर्ण रूप से गोपनीय होंगी, समिति की किसी भी बैठक में समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने की आज्ञा नहीं दी जायगी" तो इतनी सीक्रेट आप इस कमेटी को बना रहे हैं और नियमों के अन्दर हम और आप स्वीकार करते हैं कि इस समिति में जो विचारार्थ विषय आयेगा वह पूर्णरूप से गोपनीय होगा कोई भी सदस्य यहाँ तक मंत्री भी जो कुछ उसमें विचारार्थ विषय आयेगा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उसको पूर्णरूप से गोपनीय रखेंगे। तो यह प्रश्न उठाना कि चूंकि मंत्रियों को सीक्रेसी की शपथ लेनी पड़ती है यह मैं समझता हूं जरा भ्रमात्मक है जबकि नियम ५ में हम स्वीकार करते हैं कि हम इसको गोपनीय रखेंगे। तत्पश्चात माननीय आचार्यजी को शंका हुई कि बाम्बे लेजिस्लेचर के रूल्स जो मैंने पढ़े उनमें शायद कोई प्रतिबन्ध जरूर होगा कि जिसमें मंत्रीजी को अधिकार रहेगा कि जिस विषय को वह चाहें न रखें। आपकी आज्ञा हो तो मैं माननीय आचार्यजी को यह रूल्स की किताब भिजवाना चाहता हूं। अगर माननीय आचार्य जी मुझे आज्ञा दें और आप दें तो इसमें मैं एक और रूल पढ़ दूं। इसमें तो यहां तक है कि:—

"A Committee may hear expert evidence and representatives of special interests concerned with the matter referred to."

[समिति विशेषज्ञों का साक्ष्य तथा निर्दिष्ट विषय से संबंध विशेष हितों के प्रतिनिधि को सुन सकती है।]

यानी बाम्बे लेजिस्लेचर की जो स्टैंडिंग कमेटीज होंगी वे तो गवाही भी ले सकती हैं और जो स्पेशल सम्बन्धित इंटरेस्ट हैं उनके प्रतिनिधियों से भी बातचीत कर सकती हैं जो इस नियम में नहीं है। उनको शंका हुई अगर आपकी आज्ञा हो तो भिजवा दूं।

अध्यक्ष—भिजवा दीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—तत्पश्चात् माननीय आचार्य जी की शंका दूर करने के लिये मैं मध्य भारत लेजिस्लेटिव असेम्बली मैनुअल पढ़ देना चाहता हूं। उसमें बिलकुल स्पष्ट स्टैंडिंग कमेटी का नाम लिखा हुआ है इसमें तो एनी कमेटी लिखा हुआ है—

"When on the motion of the Government or otherwise the Assembly agrees to choose its representatives for any Standing or other Committee set up or proposed to be set up by Government or otherwise, the election of such representatives shall be made from amongst the members of the Assembly on the principle of proportional representation by means of the single transferable vote."

[जब सरकार के प्रस्ताव पर अथवा अन्यथा सभा किसी स्थायी अथवा अन्य समिति के लिये जो सरकार द्वारा अथवा अन्य प्रकार से निर्मित की गई हो या निर्मित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गई हो प्रतिनिधि चुनने के लिये सहमत हो जाय तो ऐसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों में से अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकलसंक्रमणीय मत द्वारा होगा।]

इसमें भी स्टैंडिंग कमेटी के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बरों को क्या करना पड़ेगा या क्या होगा। इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिये मैं माननीय आचार्य जी से कहूंगा कि इस पर वह दोबारा विचार करें कि जो उन्होंने वैधानिक एतराज किया वह कितना गलत है। कांस्टीटुएंट असेम्बली आफ इंडिया ने जहां स्टैंडिंग कमेटीज को रखा गया उसने भी रूल ४५ में स्पष्ट कर दिया है—

"Any other committee may be set up by a motion in the Assembly"

[सभा में प्रस्ताव द्वारा कोई अन्य समिति निर्मित की जा सकती है।]

इसमें भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है, कहीं भी इस बात का प्राविजो नहीं है जिसमें यह मान लिया जाय कि इसमें यह है कि मंत्री जिस विषय को चाहें उसको जनहित में न रखें।

उसके बाद माननीय न्याय मंत्री जी ने एक और महत्व का प्रश्न उठाया। उन्होंने यह कहा कि स्टैंडिंग कमेटी लेजिस्लेचर की कमेटी नहीं होती है। उन्होंने इस प्रकार का एक निगेटिव जवाब दिया। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय न्याय मंत्री जी से अदब के साथ पूछना चाहूंगा कि स्टैंडिंग कमेटी अगर लेजिस्लेचर कमेटी नहीं है तो वह

कौन सी कमेटी है ? क्या वह जनता के द्वारा चुनी जाने वाली कमेटी है या वह गवर्नमेन्ट के द्वारा नामजद की जाने वाली कमेटी है ? आखिर फिर वह कौन सी कमेटी है ? या जैसा कि हम नियम १ (क) में मंजूर कर चुके हैं, मैं उसे आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं :–

"स्तम्भ २ में उल्लिखित विषयों पर मंत्रियों को परामर्श देने के लिए निम्नलिखित स्थायी समितियाँ होंगी और उनका निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकलसंक्रमणीय मत (single transferable vote) द्वारा यथास्थिति विधान सभा और विधान परिषद् द्वारा किया जायगा।

श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से चाहूंगा कि जो कमेटी विधान सभा द्वारा या विधान परिषद् द्वारा एकलसंक्रमणीय वोट द्वारा चुनी गयी हो तो वह बाहर की कमेटी मानी जायगी या लेजिस्लेचर की कमेटी होगी। स्पष्ट है कि वह लेजिस्लेचर द्वारा चुनी जायगी, यह ठीक है कि इस कमेटी की रिपोर्ट सदन के सामने नहीं आती है। लेकिन जब कभी कोई माननीय मंत्री जी किसी अनुदान पर या प्रस्ताव पर अपने विचार सदन के सामने रखेंगे तो वह जरूर कहेंगे कि स्टैंडिंग कमेटी ने भी ऐसा परामर्श दिया। इसलिये यह कमेटी मेरे विचार में लेजिस्लेचर द्वारा चुनी जाने वाली है और लेजिस्लेचर की कमेटी है। भले ही इसका नाम स्टैंडिंग कमेटी हो।

इसके बाद माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा कि इस प्राविजन को रख दिया जाय तो क्या हर्ज है जब कि उनको अधिकार है। मुझे शंका है और माननीय मंत्री जी कहीं भी दिखा दें कि एजेन्डा बनाने का अधिकार माननीय मंत्री जी के हाथ में है, उन्होंने इसके नियम ६ की ओर इशारा किया है। मैं आपकी आज्ञा से उसको पढ़ देता हूं कि "सचिव स्थायी समिति की बैठक साधारणतया वर्ष में कम से कम दो बार और यदि हो सके तो तीन बार ऐसी तिथियों पर बुलायेंगे जिन्हें संबंधित मंत्री निर्धारित करें।" यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी केवल तिथि निर्धारित करेंगे। इसके बाद क्या होगा "बैठक का कार्यक्रम सचिव तैयार करेगा और उसे वह ऐसे स्मृति–पत्र के साथ", यानी एजेन्डा सेक्रेटरी तैयार करेगा "परिचालित करेगा जिसमें वह स्पष्टतया बताया जायगा कि प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाही किस प्रकार की है और वह ऐसे पत्रों की प्रतियाँ भी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिन्हें संबंधित मंत्री प्रस्तुत करने का आदेश दें।" तो यह आदेश केवल ऐसे पत्रों के लिये है जिनको मंत्री प्रस्तुत कराना उचित समझें। यह कार्यक्रम के लिये नहीं है कि कौन विषय रखा जाय कौन विषय न रखा जाय। यानी संक्षेप में यह है कि मंत्री तिथि निर्धारित करता है और नियमों के अनुसार एजेंडा सेक्रेटरी तैयार करता है तो हमारे माननीय न्याय मंत्री का दावा बिलकुल गलत है।

इसके बाद मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि चौथे नियम का पहला प्रतिबंध हम देखें कि "अत्यंत आवश्यकता की दशा में संबंधित मंत्री को अधिकार होगा कि वह समिति का परामर्श न ले" तो श्री देवकी नन्दन जी की शंका भी दूर हो जाती है कि बहुत से ऐसे अर्जेन्ट मामले होंगे जिनके लिये आवश्यक नहीं होगा कि स्टैंडिंग कमेटी विचार करे। तो इस प्रतिबंध में वह चीज आ जाती है कि संबंधित मंत्री को अधिकार होगा कि अत्यंत आवश्यकता की दशा में वह समिति का परामर्श न ले। ऐसी दशा में हम मंत्री जी को अधिकार दे चुके हैं। इसलिये श्रीमन्, जो दलील उन्होंने दी है वह तो कसौटी पर सही नहीं उतरती है। अगर यह आवश्यक है कि जो प्रतिबन्ध जैसा है वैसे का वैसा ही मान लिया जाय तो फिर इतनी लम्बी–चौड़ी नियमावली की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनको केवल एक नियम बना देना चाहिये था कि ऐसे विषय जिनको संबंधित मंत्री जनहित के विचार से उपस्थित करना उचित समझें वह समिति के सामने रक्खे जायेंगे। बाकी किसी और नियमों की आवश्यकता नहीं है। इसमें असरकारी विधयक,

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

प्रतिवेदन और इतने लम्बे-चौड़े नियम जो दिखाई देते हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं थी। मैं तो कहूंगा कि मंत्री जी क्यों हमको पचड़े में डालते हैं। सीधी सादी सारी नियमावली को स्केच कर दें और एक ही नियम बना दें कि जिसे मंत्री जी जनहित के विचार से उचित समझें वह विषय समिति के सामने रखे जायेंगे। लेकिन अगर मंत्री जी न्याय करते हैं और चाहते हैं कि सब विधेयकों पर विचार हो, कमीशन की रिपोर्टों पर विचार हो, नीति पर तथा योजनाओं पर विचार हो, तो उन्हें आवश्यक है कि वह इतने बड़े अधिकार न लें कि स्टैंडिंग कमेटी को महज एक सिटिंग कमेटी बना दें, एक नामिनल कमेटी बना दें।

मैं नहीं चाहता कि स्थायी समिति महज नाममात्र की कमेटी हो जाय या मैं यह समझ लूं कि मैं पी० डब्लू० डी० कमेटी का मेम्बर हूं या और किसी कमेटी का मेम्बर हूं और अधिकार कुछ भी न हो, सब अधिकार मंत्री जी के हाथ में ही रहे। फिर यह समझ में नहीं आता कि जनहित क्या है और अगर जनहित की दृष्टि से यह अधिकार नहीं है तो माननीय मंत्री जी जनहित की परिभाषा स्पष्ट कर देते कि इस नियमावली में और इस प्रकरण में जनहित की परिभाषा यह मानी जायगी और यह चीज पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं मानी जायगी, जिसको कि आमतौर पर गवर्नमेंट मानती आयी है। अगर माननीय मंत्री जी की दलील मजबूत है कि यह तो लिखा ही जाता है तब लीगल लैंगवेज में उसकी डैफिनिशन कर देते कि जनहित की यह परिभाषा होती है हम उसको समझ लेते कि यह तो डिफेंस मैटर की वजह से सिक्रेट है और यह जाहिर नहीं हो सकती। इसलिये मैं माननीय न्याय मंत्री जी से आपके द्वारा फिर निवेदन करूंगा कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री सैयद इब्राहीम जहीर—अध्यक्ष महोदय, मुझे फिर अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे नारायण दत्त जी मालूम होता है कि वाकिफ नहीं हैं कि स्टैंडिंग कमेटी कैसे हुआ करती हैं और कैसे काम करती हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। लेकिन उनके लिये यह नई चीज है कि इस किस्म के कायदे और कानून आज इसके मुताल्लिक असेम्बली में पेश हो रहे हैं। आज उनको मालूम हुआ कि ऐसे कायदे और कानून स्टैंडिंग कमेटी के मुताल्लिक हुआ करते हैं। लेकिन वाकया यह है कि स्टैंडिंग कमेटीज बहुत दिनों से चली आ रही हैं। पुराने लेजिस्लेचर का जिनको तजुर्बा है वह इस किस्म की स्टैंडिंग कमेटीज में रहे हैं उनको मालूम होगा कि किस तरह के मामले स्टैंडिंग कमेटी में पेश हुआ करते हैं और कौन उसका एजेंडा बनाता है, जितना दखल उन मामलात में होता है, किसकी राय से वह एजेंडा बनता है, सेक्रेटरी किससे पूछकर यह बनाता है यह वह सब लोग जानते हैं। लेकिन उनको इसमें हर चीज नई मालूम होती है। मैं उनको यह भी बताऊं कि जहां तक इस दफा का ताल्लुक है यह तो एविडेंस ऐक्ट के मुताबिक है, उसके सेक्शन १ में यह लिखा हुआ है कि अगर कोई डाकुमेंट किसी अदालत में तलब की जाय तो वह अफसर अदालत के अन्दर यह कह सकता है कि पब्लिक इंटेरेस्ट में यह शो नहीं की जा सकती। यह वह क्लेम कर सकता है। क्वेश्चन के मामले में यहां भवन में अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज सिक्रेट होती है वह पब्लिक इंटेरेस्ट में जाहिर नहीं की जाती है। मिनिस्टर भी यही क्लेम कर सकता है कि यह चीज पेश नहीं की जा सकती। तो यह कोई अनोखी चीज नहीं है। हमारे रूल्स ३२ की क्लाज १८ में यह दिया हुआ है कि:—

"It shall not seak information about matters, which in their nature are secret, such as decisions or proceedings of the Cabinet, advice given to the Governor by Law Officers and other similar subjects."

[उसमें ऐसे विषयों के सम्बन्ध में सूचना नहीं मांगी जायगी जो प्रकृति में गोपनीय हैं, जैसे मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय अथवा कार्यवाहियां, विधि अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को दी गयी मंत्रणा तथा अन्य तत्सम विषय।]

इस तरह से यह फैसला कि यह चीज सिक्रेट है या नहीं है इसका फैसला तो वही करेगा जिसके जिम्मेदारी उस मामले में होगी। इस वजह से यह कह देना कि यह चीज बिलकुल नयी है और तमाम पावर कमेटी से छीनी जा रही है और कोई राइट नहीं उसका रह जायगा सही नहीं है। उन्होंने अभी तक स्टैंडिंग कमेटी में किसी में काम नहीं किया है इसी वजह से घबराहट मालूम हो रही है। उन्होंने जो बम्बई का हवाला दिया यानी जो वहां के लेजिस्लेचर की कमेटी है जैसे कि सेलेक्ट कमेटी वगैरह, यह रूल उन्हीं के मुताल्लिक हैं और स्टैंडिंग कमेटी, जैसे कि यह बनने जा रही है, उसका इससे कोई वास्ता नहीं है और स्टैंडिंग कमेटी का भी कोई टेकनिकल लफ्ज नहीं है। वह भी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है जैसे इंगलैन्ड में बाज वक्त ऐसा होता है जब कि पूरा हाउस अपने को स्टैंडिंग कमेटी में बदल देता है और स्टैंडिंग कमेटी का काम करता है। तो वह प्रोसीजर दूसरा है, लेकिन जैसी कमेटी हम बनाने जा रहे हैं और जिस तरह की कमेटी का जिक्र आज हाउस के सामने है वह मिनिस्टर की एडवाइस के लिये बनती है, वह बन रही है और चूंकि अब तादाद बढ़ गई है लिहाजा सदस्यों की तादाद अब हम उसमें बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया गालिबन श्री नारायण दत्त जी को अभी प्रोसीजर से वाकफियत नहीं है, इसलिये उनको जरा घबराहट हो रही है कि नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और यह कमेटियां बेकार हो जायेंगी। यह उनकी गलतफहमी है और चूंकि अभी उनको तजुर्बा ऐसी कमेटियों का नहीं है, इसलिये ऐसी बात है। सिवा इस के कि जो अहम मामले होंगे वह चाहे कमेटी में न जायं बकिया सभी मामले उनमें जाते हैं और डिसकस होते हैं और उन पर अमल होता है। जो बहुत जरूरी या कांफिडेंशियल मामले होते हैं वह नहीं जाते और बाकी सब जाते हैं वही प्रोसीजर अब भी बरता जायगा। इन बातों को सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि वह अपनी तरमीम पर इसरार न करेंगे और उसको वापिस ले लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं दो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह कि उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी पहले से भी बनती चली आ रही है तो क्या पहले भी कोई ऐसे नियम थे ?

श्री सैयद अली जहीर--मेरे ख्याल में रहे तो जरूर होंगे मगर वह क्या थे मैं इस वक्त नहीं बतला सकता। सवाल पूछेंगे तो बतला दूंगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--तो क्या अब दो दो नियम एक साथ चलेंगे ?

अध्यक्ष--जब यह पास हो जायेंगे तो वह खत्म हो जायेंगे।

प्रश्न यह है कि नियम ४ के प्रतिबन्ध के खंड (२) का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन पेश करना चाहता हूं कि नियम ६ की पंक्ति १ में शब्द "दो" तथा शब्द "तीन" के स्थान पर क्रमशः शब्द "चार" तथा शब्द "छः" रख दिये जायं।

नियम ६ इस तरह से है कि सचिव स्थायी कमेटी की बैठक साधारणतः वर्ष में कम से कम दो बार और यदि हो सके तो तीन बार, मेरा ख्याल यह है कि दो बार या तीन बार मीटिंग होने से कोई काम नहीं चलता। इतने सारे विषय हैं जेल, पुलिस, सामान्य, प्रशासन, पी० डब्लू० डी० वगैरा इनको देखकर तो मेरा ४ का संशोधन भी बहुत कम है और मैं समझता हूं कि सदन के सदस्य स्वयं सोचेंगे कि उनको स्टैंडिंग कमेटी में पूरा मौका मिलना चाहिये ताकि वह सब विषयों पर विचार कर सकें और सरकार को और मंत्रीगण को परामर्श दे सकें। जब भी कमेटियां होती हैं तो अधिकतर विधान सभा का अधिवेशन होता रहता है और कई कई बार होता है। कम से कम साल में ६ या ७ बार हमें यहां

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

आने का मौका मिला करेगा अधिवेशन के सिलसिले में। यह भी नहीं कि इन स्टैंडिंग कमेटीज की वजह से मेम्बरों को यहां आना पड़ेगा इसलिये सरकार के ऊपर खर्च पड़ जायगा। जब मेम्बरान यहां ही रहेंगे तो माननीय मंत्री जी की क्या आपत्ति है कि स्टैंडिंग कमेटीज की मीटिंग्स बजाय दो बार के चार बार बुलाई जाय, बजाय ३ बार के ६ बार बुलाई जाय। वे कह सकते हैं कि किन्हीं विषयों की, जैसे आबकारी है कोई विशेष महत्ता नहीं है या बन पर कोई खास डिसक्शन नहीं होगा। यह मैं मान सकता हूं गोकि उन पर भी विचार हो सकता है। लेकिन जैसे पुलिस है, रसद है, कृषि है, पशुपालन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, विद्युत, सिंचाई, विकास और प्लानिंग ऐसे विषय हैं जिनको मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जा सकता। मेरा विचार है माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे। अगर आप नियम ४ की ओर ध्यान देंगे तो आपको मालूम होगा कि उन कमेटियों के सामने जो विषय रक्खे जा सकेंगे वे इस प्रकार हैं, असरकारी विधेयक, समितियों और कमिश्नरों की रिपोर्टें, सामान्य नीति संबंधी बड़े बड़े प्रश्न आदि आदि। माननीय गुप्ता जी जो खाद्य विभाग के मंत्री हैं उनको कई बार रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है और कई बार कंट्रोल हटाने और फिर लगाने के बारे में अपनी नीति की घोषणा करनी पड़ती है। तो क्या ये सब हम उन दो मीटिंग्स में कर पायेंगे?

जहां तक बड़ी योजनाओं पर विचार करने का प्रश्न है इन दो मीटिंग्स में बड़ी योजनाओं पर विचार होना मुश्किल हो जायगा। अगर कोई सार्वजनिक महत्व का विषय पड़ गया तो इन दो मीटिंगों में यह कैसे होगा। मैं तो यह समझता था कि जब संबंधित मंत्री को कमेटी बुलाने का अधिकार दिया जाता है तो उसको इस बात का भी अधिकार होना चाहिये कि वह स्थायी समिति को जितनी बार बुलाना चाहे बुला ले और कम से कम ४ या ६ बार स्थायी समिति की मीटिंग तो वह जरूर बुलाये। अतः मेरा यह निवेदन है कि आप कम से कम ४, ६ बार स्थायी समितियों की बैठक जरूर बुलायें और मेरे इस निवेदन को स्वीकार कर लें।

प्राक्कलन समिति के दो रिक्त स्थानों के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

अध्यक्ष--प्राक्कलन समिति के दो रिक्त स्थानों के लिये ३ नामजदगियां हुईं उनमें से एक माननीय सदस्य ने अपना नाम वापिस ले लिया है अतः

श्री राधा मोहन सिंह, बलिया, तथा
श्री शांति प्रपन्न शर्मा, देहरादून

निर्वाचित हुए।

वित्त समिति के एक रिक्त स्थान के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

अध्यक्ष--वित्त समिति के लिये एक स्थान रिक्त है उसके लिये २ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं।

१--श्री शुगन चन्द्र, जिनका नाम दाताराम जी ने प्रस्तावित किया है तथा इनके अनुमोदक हैं श्री हरदेव सिंह।

श्री दीन दयालु शर्मा, इनके प्रस्तावक हैं श्री मंगला प्रसाद और अनुमोदक हैं श्री शांति प्रपन्न शर्मा।

अगर ११ तारीख के ३ बजे तक एक नाम वापिस नहीं हुआ तो १३ तारीख को चुनाव होगा।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
९ अक्तूबर, १९५२।

नत्थी 'क'

(देखिए ९ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५६ पर)

इलाहाबाद स्थित विभागों के प्रधानों के कार्यालय

(१) बोर्ड आफ रेवेन्यू (जुडीशियल तथा स्टाम्प विभाग)।
(२) डायरेक्टर आफ एजूकेशन।
(३) एडवोकेट जनरल।
(४) एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऐन्ड आफिशियल ट्रस्टी।
(५) इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस।
(६) एक्साइज कमिश्नर।
(७) इंस्पेक्टर जनरल आफ रजिस्ट्रेशन।
(८) सेक्रेटरी, कोर्ट आफ वार्ड्स।
(९) पब्लिक सर्विस कमीशन।
(१०) एग्जामिनर, लोकल फंड एकाउन्ट्स।
(११) सुपरिन्टेंडेंट, प्रिंटिंग ऐंड स्टेशनरी।
(१२) चीफ इंस्पेक्टर आफ आफिसेज।
(१३) चीफ इंस्पेक्टर आफ स्टाम्पस ऐंड जूनियर सेक्रेटरी, बोर्ड आफ रेवेन्यू।
(१४) प्रिंसिपल, आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल।
(१५) चेयरमैन, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल।

लखनऊ स्थित विभागों के प्रधानों के कार्यालय

(१) इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस (पार्ट—आई० जी० का कैम्प आफिस तथा डी० आई० जी०, सी० आई० डी०) का आफिस।
(२) ऐडमिनिस्ट्रेटिव कमान्डेंट, प्रान्तीय रक्षक दल।
(३) कमिश्नर खाद्य, तथा रसद।
(४) सेल्स टैक्स कमिश्नर।
(५) इंटरटेनमेंट ऐन्ड बैटिंग टैक्स कमिश्नर।
(६) हरिजन साहयक आफिसर।
(७) डायरेक्टर आफ एजूकेशन (पार्ट—कैम्प आफिस)।
(८) डायरेक्टर आफ सोशल सर्विसेज ऐन्ड फिजीकल एजूकेशन ऐन्ड सेक्रेटरी कौंसिल आफ फिजीकल कल्चर।
(९) डायरेक्टर आफ मिलिटरी एजूकेशन।
(१०) क्यूरेटर, स्टेट म्यूजियम।
(११) आर्कियलाजिकल आफिसर।
(१२) केन कमिश्नर।
(१३) डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर।
(१४) लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर।
(१५) कमिश्नर, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स।
(१६) डायरेक्टर आफ पंचायत।
(१७) रजिस्ट्रार आफ मैरिजेज।
(१८) डायरेक्टर आफ मेडिकल ऐन्ड हेल्थ सर्विसेज।
(१९) इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स।
(२०) चीफ इंजीनियर, पी० डब्लू० डी०, बिल्डिंग ऐन्ड रोड्स ब्रान्च।
(२१) चीफ इंजीनियर, इरिगेशन ब्रांच।
(२२) चीफ इंजीनियर, एल० एस० जी० इंजीनियरिंग विभाग।

(२३) इलैक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू गवर्नमेंट ।
(२४) चीफ टेकनीशियन, गवर्नमेंट प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंटस फैक्टरी ।
(२५) ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ।
(२६) डायरेक्टर आफ कोलोनाइजेशन ।
(२७) रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटीज ।
(२८) रजिस्ट्रार, ज्वाइंट स्टाक कम्पनीज ।
(२९) डायरेक्टर आफ एनीमल हस्बेंडरी ।
(३०) सेक्रेटरी, यू० पी० सेलर्स, सोल्जर्स ऐन्ड ऐयरमेन्स बोर्ड ।
(३१) टाउन ऐन्ड विलेज प्लानर टू गवर्नमेंट, यू० पी० ।
(३२) चीफ इंजीनियर, इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ।
(३३) चीफ प्रोबेशन आफिसर ।
(३४) डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट इंचार्ज, गवर्नमेंट ब्रांच प्रेस ।
(३५) कस्टोडियन आफ इवैकुई प्रापर्टी ।
(३६) बोर्ड आफ रेवेन्यू (पार्ट) ।
(३७) डिप्टी डायरेक्टर, मैकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स ।
(३८) डायरेक्टर आफ लैन्ड रेकार्डस ।
(३९) सेक्रेटरी टु गवर्नर, उत्तर प्रदेश ।
(४०) सेक्रेटरी बोर्ड, आफ पब्लिक हेल्थ ।
(४१) ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ।
(४२) डायरेक्टर रिसेटिलमेंट ऐंड एम्प्लायमेंट ।
(४३) डेवलपमेंट कमिश्नर ।
(४४) डायरेक्टर आफ इंफारमेशन ।
(४५) डायरेक्टर आफ इकोनामिक इन्टेलिजेन्स ऐंड स्टैटिस्टिक्स ।
(४६) कमिश्नर, रिलीफ ऐंड रिहैबिलिटेशन, उत्तर प्रदेश ।
(४७) चीफ एलेक्टोरल आफिसर ।
(४८) प्राविंशियल लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर, यू० पी० ।
(४९) फूड प्रोडक्शन कमिश्नर, उत्तर प्रदेश ।
(५०) उत्तर प्रदेश सिविल सेक्रेटेरिएट ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए ९ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न १३ के उत्तर पीछे पृष्ठ २५९ पर)

सूची (क)

फर्रुखाबाद जिले में जिन राजनीतिक पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को पेंशन अब तक मिली है। पहिली अप्रैल सन् १९४९ से इन पेंशनों पर ५० प्रतिशत महंगाई का भत्ता भी दिया जाता है।

क्रम संख्या	नाम व पता	मासिक पेंशन	कब से दी जा रही है
		रु०	
१	श्री उमाशंकर शर्मा, मोहल्ला समावारा, गली केशव साध	२०	१-७-४८
२	श्री कालिका प्रसाद, पुर्वा चन्द्र भजरा, मौजा इटारा निस्फ तिखा	१५	१-८-४८
३	श्री प्रयाग दास, मोहल्ला सैनापत ..	१५	१-९-४८
४	श्री रोहन लाल, किशोरपुर, मौजा फतेहपुर ..	१०	१-९-४८
५	श्री छबि राम सिंह, मोहल्ला खतराना ..	२०	१-३-४९
६	श्री इच्छा लाल शर्मा, मौजा मुबारकपुर, तहसील कन्नौज	१५	१-१०-४९
७	श्री राम चरन लाल, सिकन्दरपुर, तहसील छिबरामऊ	१२	१-१०-४९
८	श्री त्रिलोक सिंह, मोहल्ला सदवारा, चिपट्टी	१२	१-१-५०
९	श्री देवी प्रसाद, मौजा अधोपुर, डा० शमशाबाद	१२	१-१-५०
१०	श्रीमती गंगा देवी चदेल, स्थान किलामपुर, थाना व पोस्ट मुहम्मदाबाद।	१०	१-१-५०
११	श्रीमती सुखदेवी विधवा श्री राम स्वरूप, मौ० मीरापुर, तहसील फर्रुखाबाद	१६	१-४-५०
१२	श्रीमती किशोरी देवी गुप्त पत्नी श्री बाबू राम गुप्त, पृथ्वी गेट, कायमगंज	२०	१-५-५०
१३	श्री श्रीकृष्ण सक्सेना, मझूना ..	१०	१-६-५०

क्रम-संख्या	नाम व पता	मासिक पेंशन	कब से दी जा रही है
		रु०	
१४	श्री बोटे सिंह मौ० व डा० राजेपुर ..	१०	१-८-५०
१५	श्री गंगा महेश शुक्ल, फर्रुखाबाद ..	२०	१-१०-५०
१६	श्रीमती गंगा देवी, मौ० नोन्ही ..	१२	१-१-५१
१७	श्री कन्हैयालाल, मौ० डालीगंज, कन्नौज ..	१६	१-४-५१
१८	श्री दयाराम वर्मा, कन्नौज ..	१५	१-६-५२
१९	बाबा कोमलदास मार्फत कांग्रेस आफिस, कन्नौज ..	१०	१-८-५२

सूची (ख)

फर्रुखाबाद जिले में जिन राजनीतिक पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को एकमुश्त रकम दी गयी है।

क्रम-संख्या	नाम व पता	एकमुश्त रकम	कब स्वीकृत की गयी
		रु०	
१	श्री परशोत्तम नारायन दीक्षित, मौ० हाथीखाना, कोतवाली रोड	२,०००	७-१२-४८
२	श्रीमती सोनवती देवी विधवा राम नरायन आजाद, साहिबगंज, फर्रुखाबाद	२,०००	१२-२-४९
३	श्री राम लड़इतेलाल दुबे मार्फत कृषि विभाग ..	५००	३-९-४९
		५००	२३-१-५१
४	बाबूराम गुप्त, कायमगंज ..	५००	२०-९-४९
५	सूर्यभान आजाद, मौ० सराह, डा० फरहर ..	१,०००	४-५-५०
		५००	२४-१-५१

सूची (ग)

फर्रुखाबाद जिले के उन राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों के नामों की सूची पतों सहित जिनको सन् १९४९–५०, ५०–५१ तथा ५१–५२ में सहायता दी गयी थी।

क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम	द्रव्य
			सन् १९४९–५०	
१	कुमारी श्याम कुमारी	९	आर्य कन्या पाठशाला इंटर कालेज, फर्रुखाबाद	१२ रु० प्रतिमास।
२	अरुणकुमार	७	बी० पी० इंटर कालेज, फर्रुखाबाद	२० रु० पुस्तकों के लिये।
३	कुमारी प्रतिमा देवी	८	ए० के० पी० इंटर कालेज, फर्रुखाबाद	२० रु० पुस्तकों के लिये।
			सन् १९५०–५१	
१	कुमारी प्रतिमा देवी	९	नारायण आर्य कन्या पाठशाला इंटर कालेज, फर्रुखाबाद	१२ रु० प्रतिमास।
२	अरुणकुमार ..	८	बी० पी० इंटर कालेज, फर्रुखाबाद	८ रु० प्रतिमास।
३	वीरेन्द्रनारायण सक्सेना	११	एस० बी० एस० इंटर कालेज, कन्नौज, फर्रुखाबाद	२० रु० प्रतिमास
४	प्रभाकर देव शुक्ला	७	जी० एच० एस० स्कूल, फर्रुखाबाद ..	२० रु० पुस्तकों के लिये।
५	रमेशचन्द्र ..	३	प्राइमरी स्कूल, भगवन्तपुर, फर्रुखाबाद ..	५ रु० पुस्तकों के लिये।
६	रवीन्द्रनारायण सक्सेना	७	एस० एन० इंटर कालेज, कन्नौज, फर्रुखाबाद	२० रु० पुस्तकों के लिये।
७	स्वराजप्रकाश	७	मिडिल स्कूल, बुधनामऊ, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	२० रु० पुस्तकों के लिये।
८	हरीशंकर ...	७	रस्तोगी विद्यालय हा०सेकेंड्री स्कूल, फर्रुखाबाद	२० रु० पुस्तकों के लिये।
			सन् १९५१–५२	
१	वीरेन्द्रनारायण सक्सेना	१२	एस० बी० एस० इंटर कालेज, कन्नौज, फर्रुखाबाद	२० रु० प्रतिमास।
२	कुमारीप्रतिमा देवी	१०	नारायण आर्य कन्या पाठ० इंटर कालेज, फर्रुखाबाद	१२ रु० प्रतिमास।
३	अरुणकुमार	९	भारतीय पाठशाला इंटर कालेज, फर्रुखाबाद	१२ रु० प्रतिमास।

सूची (घ)

उपनिवेशन विभाग द्वारा राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को केवल भूमि संबंधी सहायता प्रदान की जाती है। फर्रुखाबाद जिले के अभी तक केवल २ व्यक्तियों को तराई क्षेत्र में, १५, १५ एकड़ टूटी हुई भूमि दी जा सकी है। उन व्यक्तियों के नाम व पता इस भांति हैं :—

(१) श्री बाबूराम गुप्ता, कायम गंज, फर्रुखाबाद।

(२) श्री जौहरीलाल, गांव सिलसादा, पो० कायमगंज, फर्रुखाबाद।

इसके अलावा सहकारी समितियों द्वारा राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को कृषि संबंधी चीजों व रहने आदि के संबंध में २,००० रु० के लगभग प्रत्येक को सहायता दी जाती है, जो कि इन्हें भी सहायतार्थ दिये गये हैं।

खाद्य विभाग द्वारा दी गई सहायता का विवरण

श्री किनदीन, ग्राम मझीला — फुटकर कपड़े का लायसेंस

कृषि विभाग द्वारा दी गई सहायता का विवरण

श्री हेमन्तकुमार मुकर्जी को क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया।

विधान सभा फर्रुखाबाद

नत्थी 'ग'

(देखिए ९ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

बनाई गयी सड़कों तथा पुलियों का विवरण

क्षेत्र (जोन) का नाम	बनाई गई सड़क का नाम	लम्बाई मीलों में	कार्य का विवरण	धन जो खर्च हुआ	सरकारी अनुदान
१	२	३	४	५	६
				रु०	रु०
१९४९--५०					
१--पिपराइच (डी)	पिरपाइच-भैंसही ..	१०·०	मिट्टी डाली गई	..	१०,०००
२--पिपराइच (एम)	बड़गाँव-चकदहा ..	१·५	,, ,,	४,७८८	..
	पतरा मोलाखोर वाया कथवलिया ..	१·०	,, ,,	३,०००	८,०००
	परसरामपुर-केराबाद-बनकटा-ताजपिपरा ..	२·५	,, ,,	..	७,१५०
३--फरेंदा ..	कलान नाला पर बाँध ..		निर्माण	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्षेत्र (जोन) का नाम	बनाई गई सड़क का नाम	लम्बाई मीलों में	कार्य का विवरण	धन जो खर्च हुआ	सरकारी अनुदान
१	२	३	४	५	६
				रु०	रु०
४--धुधली ..	पडरी-महदेइया-देवतहा ..	२·५	मिट्टी	१,१६२	७,१९९
	पडरी-महदेइया-खजुरी ..	१·०	,,	१,८८४	..
	नारायन टोला-मदनीपुर ..	१·०	,,	१,३१९	..
	रामपुर-बसन्तपुर ..	१·०	,,	२९८	..
	मदनीपुर सामपुर ..	१·०	,,	१,९८७	..
	बेलबाटीकर, हरखपुर ..	·३	,,	१४०	..
५--सरदारनगर ..	सरइया-जगदीशपुर ..	३·४	,,	१२,३२७	१०,०००
	सरइया-बरंगवा ..	३·४	,,		
योग ..	११ सड़कें	३०·२		२६,६०५	४२,३४९
१९५०--५१					
१--पिपराइच (डी)	पिपराइच-भैंसही ..	५·४	मिट्टी डाली गई	११,७६९	..
	पिपराइच-धनहाँ ..	४·०	,,	..	..
२--फरेंदा ..	कलान नाला पर बाँध बाँधा गया ..	..	..	९,२००	..
३--घुघली ..	रामपुर-सोहना ..	४·०	,,	१५,४१५	..
योग ..	..	१३·०	..	३६,३८४	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१९५१-५२						
१--पिपराइच (डी)	पिपराइच-भैंसही	..	२·४	मिट्टी डाली गयी	४,०७१	..
	पिपराइच-धनहां	..	३·५	,,	१६,९६५	..
२--फरेंदा ..	आनन्दनगर-करपैनी घाट	..	१·०	,,	३,४१०	..
३--घुघली ..	रामपुर-सितलापुर रोड	..	२·४	,,	८,०४२	..
४--सिसवाँ ..	केवल दो पुलियाँ बनी	..	..		..	..
५--सरदारनगर ..	सरइया-परसाघाट सरइया-अकटा रोड	..	७·०		..	..
योग ..	..	..	१६·०	..	३२,४८८	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए ९ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ७५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६९ पर)

जिला प्लानिंग कमेटी, गाजीपुर के मेम्बरों की सूची

(१) जिलाधीश (पदेन प्रधान),
(२) प्रधान जिला बोर्ड (पदेन उप-प्रधान),
(३) श्री भृगुनाथ पांडेय,
(४) श्री रंजीत राम,
(५) श्री मदन मोहन सिन्हा,
(६) श्री श्रीकान्त वर्मा,
(७) श्री बशीर हसन आबदी,
(८) श्री हर प्रसाद सिंह,
(९) श्री भोला सिंह,
(१०) श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी,
(११) श्री कपिल देव पांडेय,
(१२) श्री सीताराम मिश्रा,
(१३) श्री राजेश्वर नाथ,
(१४) प्रधान नगर पालिका, गाजीपुर,
(१५) श्री विश्वनाथ राय शर्मा,
(१६) श्री गजानन्द मारवाड़ी,
(१७) श्री गुप्तेश्वर लाल
(१८) जिला कृषि अधिकारी,
(१९) जिला सहकारी अधिकारी,
(२०) जिला पशुपालन अधिकारी,
(२१) गन्ना विकास अधिकारी (यदि जिले में हों),
(२२) जिला स्कूल निरीक्षक,
(२३) जिला स्वास्थ्य अधिकारी,
(२४) जिला इंजीनियर,
(२५) स्थानीय प्रतिनिधि सिंचाई विभाग,
(२६) जिला नियोजन अधिकारी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए ९ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७० पर)

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

PLANNING DEPARTMENT

No. 1857-P/39-P/50

Dated Lucknow, October 1, 1952

MEMORANDUM

Subject:—**Reconstitution of the District Planning Committees in Uttar Pradesh**

THE District Planning Committees and their subordinate bodies organized in Government Resolution no. 5463-R/D.C.—617-1950, dated July 15, 1950, and subsequent orders have now been working for about two years. A considerable change in the political scene has taken place during this period. The Legislature now consists of representatives elected on the basis of adult suffrage and its strength too is considerably augmented. Besides this the pressing problems confronting us demand immediate solution. The Community Projects have to be given concrete shape. Taking all these factors into consideration, Government have decided to reorganize the District Planning Committees and their subordinate bodies on a broader basis as in the following paragraphs.

2. The District Planning Committee will be reconstituted and will consist of the following :

(1) All the M. L. As. and M. L. Cs. representing the district or resident therein (with suitable adjustments to avoid double commitments in more districts than one).

(2) A Harijan member nominated by Government in case there is no Harijan M. L. A. or M. L. C. from the district.

(3) One lady social and constructive worker nominated by Government, if there is no lady M. L. A. or M. L. C.

(4) Three non-officials to be appointed by Government.

(5) President of the District Board .. .. *Vice-Chairman.*

(6) Two members nominated by the District Board.

(7) President or Vice-President of the District Co-operative Bank (if the President is the District Magistrate himself,)

(8) President or Vice-President (if the President is the District Magistrate himself) of the District Co-operative Development Federation.

(9) All Chairmen, Municipal Boards, Town Areas and Notified Areas.

(10) Representatives of Gaon Sabhas—One Pradhan from each circle of the Panchayat Inspector.

(11) A representative of each Cane Marketing Society in the District.

(12) A representative of Bharat Sewak Samaj.

(13) Non-official members of the State Planning Board resident in the District.

(14) Officials : 1. District Magistrate ... ... *Chairman.*

2. District Planning Officer ... ... *Secretary.*

3. One officer each, being the senior officer in the district of his department, from each of the departments of Irrigation, Education, Public Works Department (Buildings and Roads), Hydel (only where Hydel schemes will operate), Public Health and District Supply Officer.

3. The Executive Committee will be reconstituted as follows :

(1) All the officials (at item 14) of the District Planning Committee of the District Magistrate to be the Chairman and the District Planning Officer, Secretary.

(2) President, District Board ... ... *Vice-Chairman.*

(3) One of the three non-officials mentioned in paragraph 2(4) above to be nominated by Government.

(4) One representative of the Municipal Board.

(5) One representative of Co-operatives.

(6) Two from amongst M. L. As. and M. L. Cs.

(7) The Harijan worker.

(8) The lady worker.

(9) One representative of Gaon Sabhas.

The representatives under items (4) to (6), and (9) will be elected by the respective groups under paragraph 2 above.

The one under item (3) will be selected by Government.

4. The District Magistrates should have a staff committee consisting of the District Planning Officer, Sub-Divisional Officers and Assistant District Planning Officers including the local senior gazetted officers of the Agriculture, Animal Husbandry, and of such other departments as he may consider necessary. The District Magistrate is to be the Chairman and the District Planning Officer, Secretary.

5. The functions of the District Planning Committees should be generally :

(1) To make a plan for the district, with specific targets and time schedules, in keeping with local needs and resources and in keeping also with the State Plan.

(2) To fix priorities within the Plan.

(3) To review the progress of the execution of the Plan, once in each quarter, and in case of any shortfall in the execution to assess and assign the causes for it.

(4) The fourth and the most important function of the Planning Committee will be to ensure the successful and satisfactory execution of the schemes by enlisting the co-operation of non-officials and to enlarge the scope of the district plan by creating enthusiasm for it among the people and inspiring them with the ideals of self-help and self-reliance.

6. The District Magistrates may recommend to Government a panel of names for the District Planning Committees accordingly. In case of items (2) and (3) of paragraph 2 if there is no Harijan or lady-member M. L. A. or M. L. C. they may send three names with recommendations for the selection of one. In case of (4) they may include representatives of Industry and Labour, where necessary, and recommend a panel of four names for Government's approval.

7. With the establishment of these reconstituted bodies the District Planning Committees and their subordinate bodies formed under the Government Resolution referred to above will be dissolved.

A. N. JHA,
Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

No. 1857(1)-P/39-P/50 OF DATE

COPY forwarded for information and necessary action to all District Magistrates in Uttar Pradesh.

No. 1857(2)-P/39-P/50 OF DATE

COPY forwarded for information to—

(1) All District Planning Officers.
(2) All Presidents, District Boards.
(3) All Presidents, District Congress Committees.
(4) M. L. Cs. and M. L. As.
(5) All Heads of Departments.
(6) All Commissioners of Divisions.
(7) The Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad.

No. 1857(3)-P/39-P/50 OF DATE

COPY also forwarded to—

(1) All Departments of the Secretariat, Uttar Pradesh.
(2) Secretary, Planning Commission, New Delhi.
(3) Chief Secretaries of the State Governments.

By order,
A. N. JHA,
Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

विधान सभा के वर्तमान बैठक के ९वें गुरुवार के लिये श्री राम हेत सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८२–८३ के उत्तर:

प्रश्न संख्या ८२ — जी हां।
प्रश्न संख्या ८३ । — जी नहीं

मंगला प्रसाद
उपमंत्री, सहकारी विभाग

नत्थी 'च'

(देखिए ९ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७१ पर)

ORDER

Whereas numerous reports have been reaching me from different parts of the district that indiscriminate cutting of green trees all over the district has created a tension of feelings among the general public and whereas I am satisfied from these reports that immediate preventive measures are necessary to avert a breach of the peace, I, Satish Chandra, District Magistrate, Kanpur, do hereby make the following order under section 144 of the Criminal Procedure Code.

No person shall cut or cause to be cut any green trees of the following varieties in the District of Kanpur without the prior permission of the President of the Gaon Sabha in which the trees may be situated:

1. Mango
2. Mahua
3. Jamun
4. Goolar
5. Katahal
6. Lasoda
7. Imli
8. Khinni
9. Lukath
10. Anwala
11. Kaitha
12. Bel
13. Barhar
14. Rithi
15. Pipal
16. Bargad
17. Pakadia
18. Achhi
19. Neem
20. Baherha

The Tahsildar is authorised to vary or rescind any order passed by the President of a Gaon Sabha under the above paragraph.

This order is passed exparte against the general public and shall come into force with immediate effect. The order shall remain operative for a period of two months from today. A breach of this order shall render a person liable to prosecution under section 188, Cr. P. C. punishment for which may extend to imprisonment for 6 months. Wide publicity of this order shall be made by posting copies at prominent places in the Collectorate, Tahsils and Gaon Sabha offices and by publication in the local newspapers.

Given under my hand and the seal of the court this 9th day of April, 1951.

(Sd.) SATISH CHANDRA I.C.S.,
District Magistrate, Kanpur.

Copy to S. D. Os, and A. D. Ms. (R.A.), S. S.P., S.P.R.A. & Planning Officer for information and necessary action.

Copies to all Tahsildars for wide publicity through the patwaries.

Copies to all P.R.I. for publicity through their Secretaries.

Hindi version to be published in Panch Parmashwar which shall be sent to all Gaon Sabha Presidents with the direction that they will post a copy of this order at some prominent place in front of the Gaon Sabha Offices.

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ २७३ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५२

कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को और संशोधित करने का

१९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५।

विधेयक

समय-समय पर संशोधित संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में आगे चलकर दिये हुए प्रयोजनों के लिये और संशोधन करना आवश्यक है।

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

१--(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २ का संशोधन।

२--संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे चल कर "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के खंड (घ) में से शब्द "विद्युत शक्ति और" निकाल दिये जायेंगे।

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ३ का संशोधन।

३--मूल अधिनियम की धारा ३ में:

(१) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड का उपखंड (४) निकाल दिया जायगा,

(२) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जायगा:

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय तो किसी व्यापारी द्वारा देय कर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, की गणना निम्नलिखित रीति से की जायगी, अर्थात :

(क) जिस अवधि के संबंध में कमी की गयी हो उससे पहले की अवधि से संबंधित विक्रय धन पर, मानो उक्त धनराशि कम नहीं की गई थी, और

(ख) शेष पर, मानो कम की हुई धनराशि (reduced amount) सभी महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर ऐसी ही थी"

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ३ का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायेंगे और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे।

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ३-क का संशोधन।

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ४ का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द "औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली" निकाल दिये जायेंगे।

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २३ का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) में--

(१) खंड (५) में पूर्ण विराम (Full-stop) के स्थान पर अर्ध विराम (Comma) रख दिया जायगा, और उसके पश्चात् शब्द "या" जोड़ दिया जायगा,

(२) खंड (५) के बाद एक नये खंड के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा :

"(६) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाये जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिये उसके किसी अधिकारी को उसका प्रकट किया जाना आवश्यक हो।"

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २५ का संशोधन।

७--मूल अधिनियम की धारा २५ निकाल दी जायगी।

वैधीकरण (Validation)

८--इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार और उनके अधीन किया गया प्रत्येक प्रख्यापन (declaration) या कर निर्धारण (assessment), लगाया गया कर, की गई कार्यवाही या व्यवहार, अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के संबंध में यह समझा जायगा कि वह विधिवत और वैध (good and valid in law) है मानो धारा ४ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम सब महत्वपूर्ण दिनांकों (meterial dates) पर प्रचलित था।

उद्देश्य और कारण

एक पृथक् विधान द्वारा बिजली के उपभोग पर कर लगाने का विचार है। अतः संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट में से बिजली संबंधी उपबन्ध निकाल दिये गये हैं इसलिये बिक्री-कर ऐक्ट में संशोधन करना आवश्यक हो गया है। इस अवसर का उपयोग इस ऐक्ट में कुछ अन्य साधारण संशोधन करने के लिये भी किया जा रहा है, जैसे विक्रय धन की न्यूनतम सीमा, जिस पर किसी व्यापारी के कर देने का दायित्व अवधारित होता है, किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाने की स्थिति में कर की गणना करने की रीति संबंधी उपबन्ध और किसी कर के लगाये जाने या उसकी वसूली के संबंध में केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के पदाधिकारी के साथ सूचना के पारस्परिक आदान-प्रदान के लिये ऐक्ट में की गयी व्यवस्था।

उपर्युक्त उद्देश्यों से यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

हाफिज मोहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

विधान मुखी मंदर पदेश

पी० एस० यू० पी०—४६—एल० ए०—१९५२—८३०